खण्ड-292, अंक-3
मंगलवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(31 अगस्त, 1971 ई0)

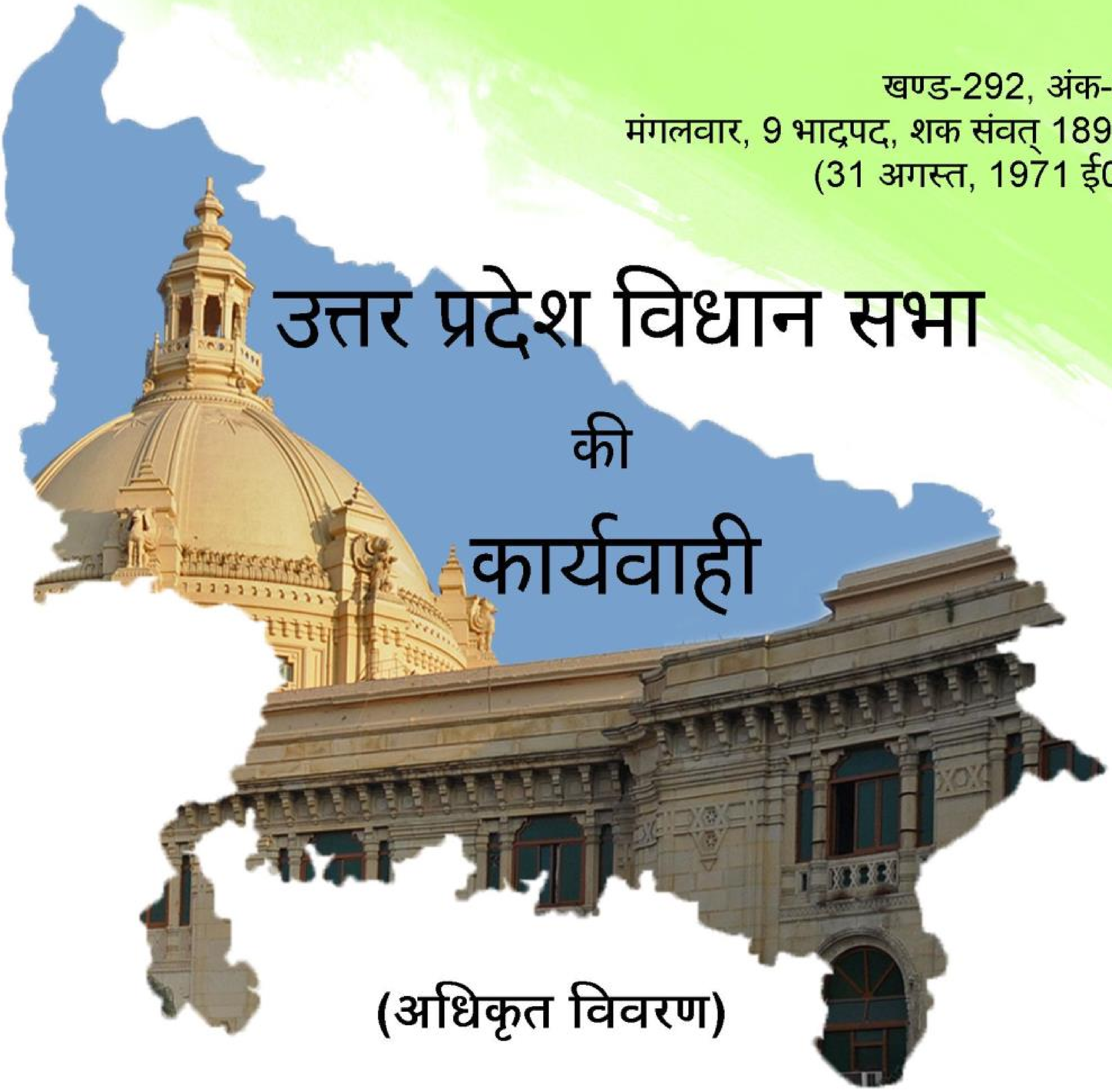

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	227-231
प्रश्नोत्तर	231-271
होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विधान भवन के सामने किये जा रहे अनशन के संबंध में चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य (जारी) ..	271-272
शासक दल के 51 सदस्यों द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये आरोप पत्र के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकारी की मांग (जारी) ..	272-273
नगर प्रमुख, इलाहाबाद के निर्वाचन-स्थगन से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पर स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा कानूनी राय से सदन को अवगत कराने का आदेश	273-274
शासक दल के 51 सदस्यों द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये आरोप-पत्र के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकारी की मांग ..	275-276
नगरपालिकाओं के चुनावों में मतदाता सूचियों में नाजायज तरीके से नाम बढ़ाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	277
प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने के लिये केन्द्र द्वारा दबाव डाले जाने की आशंका का मुख्य मंत्री द्वारा खंडन	278-279
नियम 51 की सूचनाओं पर वक्तव्य की मांग	280
गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में मुख्य मंत्री के ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं (जारी)	280-281
होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विधान भवन के सामने किये जा रहे अनशन के संबंध में चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य ..	281-282
गन्ना ग्रामसेवकों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में मुख्य मंत्री के ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	282-283
उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (जारी) ..	283-284
विविध विषय	284-285
उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य ..	285-286
भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर अलीगढ़ में कथित गोली चलाये जाने से संबंधित विषय पर श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत उठाया गया विषय	286-290
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1971 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	290
आवाइसन समिति का 34 वां तथा 35 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये) ..	291-292
जिला परिषद् सीतापुर के शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध श्री रामलाल राही द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	293-294
श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के विषय में श्री अध्यक्ष से निर्णय की मांग (जारी) ..	295

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला परिषद् सीतापुर के शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध श्री राम लाल राही द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	295–296
श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के संबंध में श्री अध्यक्ष से निर्णय की मांग ..	296–298
नैनीताल जिले के विभिन्न अंचलों में अराजकता फैलाने एवं थाना किच्छा के अन्तर्गत बस रोक कर गुन्डों द्वारा सरदार सेवा सिंह की हत्या किये जाने तथा थाना कैन्टोनमैन्ट, जिला बरेली के अन्तर्गत ग्राम बरकलीगंज के निवासी श्री घनश्याम की हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य ..	298–302
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 (पारित) ..	302–317
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 (पारित)	317–328
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा ..	328–352
कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	352–353
गोरखपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र श्याम डेरवा में बंजारों द्वारा अवैधानिक कार्य किये जाने के संबंध में नियोजन राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	353–356
प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये प्रि-मेडिकल टेस्ट में हुई कथित धांधली व हस्तक्षेप तथा सफल उम्मीदवारों को मेरिट के हिसाब से उनकी पसन्द का कालेज एलाट न किये जाने आदि के संबंध में स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य	356–363
गन्ना समिति बभनान, जिला बस्ती की सिंचाई योजना के कई लाख रुपये के ऋण के मामले से संबंधित रिपोर्ट के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	363–366
नत्थियां	367–373

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 31 अगस्त, 1971

विधान सभा की बठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--393

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, सेरवानी श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, दुबे श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां कुंवर, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तयाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदितनारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
सुखलाल कोरी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्रीदेवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिंहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
दूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल, सिंह 'कृष्ण" श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रसिंह कुंवर, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लालबाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, गुप्त, श्री
परमाईलाल श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीराज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री

रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह वैद्य, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री

शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्ता, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबु उल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा–फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायतीराज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९७१ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिव, स्वायत्त शासन शाखा द्वारा अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार किये जाने के संबंध में शिकायत

****१—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—**

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या स्वायत्त सचिव ने 12 अगस्त, 1971 को मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ को कोई पत्र अंग्रेजी में शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद लिखा है ? यदि हां, तो शासन उसमें क्या कार्यवाही कर रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

स्वायत्त शासन शाखा में कार्य हिन्दी में ही होता है। सारी टिप्पणी हिन्दी में ही की जाती है। सचिव, स्वायत्त शासन द्वारा एक पत्र अंग्रेजी में 12-8-71 को मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ को अवश्य भेज दिया गया था किन्तु उन्हें निर्देश दे दिये गये हैं कि वे भविष्य में ऐसी भूल न करें और समस्त कार्यवाही हिन्दी में ही की जाय।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्देश उन्होंने किस तारीख को दिया? क्या प्रश्न जब विभाग में पहुंचा, उसके बाद ही निर्देश दिया गया?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह सत्य है कि जब सरकार को मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है तभी किया गया।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से पता लगता है कि प्रश्न पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि स्वयमेव माननीय मंत्री महोदय ने यह पत्र कौन-सी तारीख को लिखा और क्या चेतावनी उन्हें दी गयी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिस समय यह प्रश्न सामने आया तो तुरन्त ही उनको कह दिया गया कि भविष्य में कोई भी कार्य हिन्दी भाषा के अतिरिक्त न किया जाय और कोई पत्र या टिप्पणी अंग्रेजी में न हो।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

समाचार पत्रों में यह कई बार देखने में आया कि आपकी सरकार ने कई बार आर्डर लिख कर भेजे हैं कि कार्य हिन्दी में ही हो, तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपका क्या पत्र है हिन्दी के विषय में कि सरकारी कार्यालयों में कार्य हिन्दी भाषा में हो?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

समय-समय पर इस प्रकार की विज्ञप्तियां प्रकाशित होती रहती हैं और इसके अतिरिक्त मंत्रि परिषद के सदस्यों के सामने जब कभी इस प्रकार की बात आती है तो विभाग के लोगों को पुनः स्मरण कराया जाता है कि वे हिन्दी भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा में कार्य न करें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र लिखा गया है अंग्रेजी में वह इस वजह से लिखा गया है कि स्वायत्त सचिव को हिन्दी में लिखने का अभ्यास नहीं है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं, ऐसा नहीं है। वे तमाम टिप्पणियां हिन्दी में ही लिखते हैं। कदाचित् किसी समय भूल से उनको स्मरण न रहा हो और यह पत्र लिखा गया हो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

सरकार के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करके और माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद अधिकारीगण आज भी अंग्रेजी में आदेश और टिप्पणियां लिख रहे हैं। तो जिन

अधिकारियों ने शासन के आदेश की अवहेलना की है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का विचार सरकार करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मंत्रि-परिषद् के सम्मुख जब कोई ऐसी टिप्पणी आती है तो उनको चेतावनी दी जाती है फिर भी यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी चरित्र पंजिका में उल्लेख करने पर सरकार द्वारा विचार किया जायगा ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है कि सभी अधिकारी हिन्दी में टिप्पणी लिखें और आदेश लिखें। फिर भी जिला केन्द्रों के सरकारी अधिकारी अंग्रेजी में टिप्पणी कर रहे हैं और आदेश लिख रहे हैं । क्या सरकार उनके खिलाफ उनके आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यापक प्रश्न कर दिया है आपने ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

श्रीमन्, यह हिन्दी से सम्बन्धित है । जो अधिकारी स्पष्ट अवहेलना कर रहे हैं सरकारी आदेशों की·····

श्री अध्यक्ष---

आपने पूछा सचिवालय का प्रश्न अब जिलों का प्रश्न पूछ रहे हैं तो वे कैसे बतायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई अधिकारी अंग्रेजी में टिप्पणी लिखकर लायें या जो प्रार्थना-पत्र अंग्रेजी में दिये जाते हैं उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश देंगे कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, ऐसे आदेश देंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, यह विचारणीय विषय है। कोई व्यक्ति किसी समय आवश्यकता का अनुभव करते हुए कोई प्रार्थना-पत्र देता है और उसको इस कारण से विचार न किया जाय कि ये अंग्रेजी में लिख कर लाये हैं । यह अवश्य है कि उनको बराबर कहा यह जाता है कि हिन्दी में ही प्रार्थना-पत्र हों और हिन्दी में ही टिप्पणी हो । यह मानवता के अनुकूल नहीं लगता कि उस पर कार्यवाही इसलिये न हो कि वे अंग्रेजी में लाये हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यही मानवता हिन्दी नहीं आने देगी ।

स्वायत्त शासन विभाग में भिन्न-भिन्न पदों हेतु मांगे गये प्रार्थना-पत्र

**2---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको मालूम है कि उनके विभाग सचिवालय में भिन्न-भिन्न पदों व श्रेणी के सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज की खाली जगह पर नियुक्ति करने हेतु कई वर्ष हुये प्रार्थना-पत्र मांगें थे ? यदि हां, तो कब और किस-किस

श्रेणी के पद के लिये प्रार्थना-पत्र आये और उस पर सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां। ये प्रार्थना-पत्र जनवरी, 1969 में निम्नलिखित पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिये आमन्त्रित किये गये थे:--

(1) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी;
(2) नगरमहापालिकाओं के सहायक कर अधीक्षक;
(3) वर्ग 2 की नगरपालिकाओं में शिक्षा अधीक्षक तथा महिला शिक्षा अधीक्षक;
(4) वर्ग 3 की नगरपालिकाओं में शिक्षा अधीक्षक;
(5) सिविल ओवरसियर;
(6) सैनिटरी इन्स्पेक्टर;
(7) वर्ग 1 और 2 की नगरपालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं में सहायक पशु चिकित्सक (ग्रेड 2)।

इन आवेदन-पत्रों पर मई, 1970 में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली में संशोधन करने के पश्चात् नियुक्ति हेतु नये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं उसके लिये कितनी खाली जगहें हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, जिस वक्त प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे उस समय 107 स्थान रिक्त थे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन से इन जगहों को भरने के लिये जब से ये खाली जगहें हैं सरकार ने क्या कोशिश की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सन् 66 में नगरपालिकाओं की सेवाओं का केन्द्रीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप 75 प्रकार की नियुक्तियों का अधिकार सरकार को आया। उसके उपरान्त यह निश्चय किया गया कि इन स्थानों के लिये विज्ञप्ति की जाय और 107 पदों के लिए विज्ञप्ति की गई। लोक सेवा आयोग को जब इस संबंध में लिखा गया तो उन्होंने अतिरिक्त स्थानों की मांग की। उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने यह परामर्श दिया कि 250 रुपये से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति शासन द्वारा कर ली जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

दो सौ पचास रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति फिर किस वजह से नहीं हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, इन पदों पर नियुक्ति के लिये एक चयन समिति बनाई गई और उसके नियम बनाने का निश्चय किया गया। नियम कुछ बने पर उनमें कुछ कमी रह गई थी। वे नियम पूर्ण करने हेतु नियुक्ति (ख) विभाग को भेज दिये गये हैं उनकी स्वीकृति आ जाने पर चयन समिति शीघ्र ही नियुक्तियां करेगी।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जबसे इन स्थानों का प्रांतीयकरण किया गया है तबसे बहुत सी नगरपालिकाओं में स्थान रिक्त पड़े हैं और अभी तक सेवा नियमावली नहीं बनी जबकि पिछले सदन में इसको दो महीने में बनाने का आश्वासन भी दिया गया था, तो वह कब तक बन जायेगी और यदि बनने म बिलम्ब हो तो नगरपालिकाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कोई और व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

इन नियुक्तियों में विलम्ब से कार्य में कोई रुकावट नहीं हो रही है । जहां कहीं अध्यक्ष उचित समझते हैं, इन पदों पर नियुक्ति कर देते हैं । उनको छः सप्ताह के लिये नियुक्ति करने का अधिकार है । शासन से उसकी स्वीकृति ले लेते हैं । इसके अतिरिक्त निरन्तर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि नियम बन जायं और चयन समिति द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति यथाशीघ्र कर दी जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे यह जो सर्विसेज सेंट्रेलाइज की गयी हैं इनसे कार्य में बाधा पड़ी है, जैसे सीवर लाइन का कोई एक्सपर्ट है, वह जानता है कि कहां-कहां दिक्कत हो सकती है, उसका ट्रांसफर हो सकता है, तो सेन्ट्रेलाइज करने से जो हम समझते थे कि लाभ होगा वह नहीं हुआ है और यदि लाभ नहीं हुआ है तो क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

इन नियमों में संशोधन करने हेतु और अधिनियम के संशोधन पर विचार करने के लिये शासन ने एक उप समिति का गठन किया है । जो सुझाव समिति देगी उन पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा । किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ऐसे टैक्नीकल आदमी जो जल कल विभाग में काम करते हैं उनका स्थानान्तरण होता है तो उनके स्थान पर टैक्नीकल आदमी ही भेजा जाता है । तो इससे कार्य में कोई बाधा नहीं होती ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ अध्यक्ष जो इन पदों पर अवैध तरीके से नियुक्ति कर देते हैं उन अवैध नियुक्तियों को रद्द करने की कोशिश करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

शासन की स्वीकृति के लिये जब इस प्रकार से नियुक्ति करके अध्यक्ष मामले को भेजते हैं तो उस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाता है और जो अनियमित भरती होती है उस पर शासन स्वीकृति नहीं देता ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या 3 श्री वीरेंद्र वर्मा ।

श्री कृष्णानन्द राय----

श्रीमन्, एक औचित्य का प्रश्न है । यह प्रश्न विरोधी दल के जितने लोग हैं उन सब की तरफ से आया है और एक स्टेटुचरी बाडी, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है । ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी मुख्य मंत्री जी से आप जवाब न दिलवाएं तो क्या यह उचित होगा ? यह तो वही पढ़ देंगे जो लिखा हुआ है । हम लोग फोर्स नहीं कर सकेंगे

कि कांस्टीट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको मेन्टेन किया जाय। तो क्या यह उचित न होगा कि इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी स्वयं दें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी मुख्य मंत्री जी के सामने नहीं रखे जाते ताकि उनको मालूम पड़ सके कि उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है ताकि सरकार की नीति का एक्सप्रशन हो सके । अगर कोई अन्य मंत्री जो उत्तर देंगे तो उनको यह कहने का मौका रह जायेगा कि मैंने तो कहा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष---

वह बीमारी के कारण से नहीं आये हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अब वह अच्छे हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अभी अच्छे नहीं हुए हैं । कल भी वह नहीं आये, इतनी बड़ी सभा हुई । वह कभी उपवास करते हैं, कभी कुछ करते हैं । तो यह कारण है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अखबार में जो छपा है, क्या वह बीमारी तो नहीं है कि जो दिल्ली से चली है कि मुख्य मंत्री हटाये जाने वाले हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

पोलिटिकल बीमारी की केवल एक ही दवा है और वह है भगवान से प्रार्थना । अगर पोलिटिकली बीमार नहीं हैं तब तो उन्हें यहां आ जाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये आप दूसरा प्रश्न रख सकते हैं और उस पर डिस्कशन मांग सकते हैं कि हम इस उत्तर से सेटिसफाई नहीं हुये हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

आप कहें तो हम सवाल पूछ लें, मगर हम सन्तुष्ट नहीं हो पायेंगे । यह नीति का प्रश्न है । जब फिर असेम्बली बैठे तो इस सवाल को ले लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष---

अगर ऐसी कोई चीज हो भी तो आप कह सकते हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

23 अगस्त को मैंने प्रश्न दिया था और मुझे यह सूचना मिली कि पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकार कर दिया गया है । जब इस प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया गया था तब पुनरावृत्ति के आधार पर कैसे फाइल हो सकता है?

श्री अध्यक्ष---

आप यहां नहीं कह सकते हैं । आप मेरे कमरे में आयें या प्रश्नों के बाद कहें ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

आपके सचिवालय में विनियमों का पालन नहीं होता है । बार-बार यहां व्यवस्था उठायी जाती है । प्रश्न नं० 3 लोक सेवा आयोग के बारे में है । आपने लिखा है कि उसे अस्वीकार किया गया । इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---

यह सवाल पहले एडमिट हो गया होगा और उसके बाद आपका सवाल आया होगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

फिर मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा गया ? इसकी जांच करायें ।

श्री अध्यक्ष---

आपका नाम भी लिख दिया जायेगा ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, प्रश्न नं० 3 का जवाब पेंसिल में लिखा हुआ आया है मेरे पास । कितना सिनसीयर है यह जवाब ?

श्री अध्यक्ष---

इस सवाल को पूछने वाले बहुत लोग हैं ।

लोक सेवा आयोग में ज्येष्ठतम सदस्य को चेयरमैन बनाने की परंपरा

**3--श्री वीरेंद्र वर्मा, (जिला मुजफ्फरनगर) श्री जयराम वर्मा, (जिला फैजाबाद), श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़) श्री मैनेजर सिंह, श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल) श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री रामकरन सिंह---

मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन शीघ्र ही रिटायर हो रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि अब तक उक्त आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को चेयरमैन बनाने की परम्परा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पालन करेगी ?

नियोजन उपमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)---

जी हां, ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को ही चेयरमैन बनाया जाय । यह नियुक्ति, परिस्थितियों को देखते हुए शासन अपने विवेकानुसार करता है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है । 15 अगस्त, 1947 के बाद इन 24 वर्षों में क्या कभी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनाने में इस परम्परा का उल्लंघन हुआ है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

सन् 1947 से पहले कोई परिपाटी या परम्परा इस प्रकार की नहीं थी । सन् 1947 के बाद दो चीजें सीनियारिटी और सूटेबिलिटी पर इम्फेसिस है । सन् 1947 के बाद जो

अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, हुये हैं उनको कई दृष्टियों से तोला गया था । अगर वे सीनियर भी हुए और सूटेबिल भी हुये तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया। यह परिपाटी रही है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

मान्यवर, सर्व श्री के० एम० लाल, नफीसुल हसन, राधा कृष्ण अग्रवाल, सी० एम० चक, डा० राम धर तथा जे० पी० मित्तल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुये हैं । ये सब सीनियारिटी की परिपाटी के आधार पर बने । क्या कभी कोई परिवर्तन हुआ ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया है कि सीनियारिटी और सूटेबिलिटी के दृष्टिकोण को देखा गया। श्री वीरेंद्र वर्मा कहते हैं कि जब श्री मित्तल रिटायर होंगे तब कौन चेयरमन बनेंगे ? मान्यवर, मार्च 1969 में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री बी० बी० लाल ने कहा था कि डा० रामलाल और श्री महमूद अली खां का वरीयता के आधार पर चुनाव होना है तो उनके नाम आ सकते हैं लेकिन जनहित में उनको बनाना उचित नहीं होगा । तत्कालीन मुख्य सचिव के सुझाव से तत्कालीन मुख्य मंत्री पूर्णरूप से सहमत हुए । इस समय मित्तल साहब जब रिटायर हुए तो सूटेबिलिटी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

कृष्णानन्द राय जी ने कहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी अनुपस्थित हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर कहना चाहता हूं कि अगर यह चीज हो गई है तो स्थगित कर दूंगा, क्योंकि उत्तर गलत आ गया है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

स्थगित कर दें लेकिन एक सवाल कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं स्थगित करता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

चूंकि दो सप्ताह तक हाउस नहीं रहेगा इसलिये एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी स्वयं आगे किसी दिन उत्तर देगें।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि मित्तल साहब रिटायर हो गये तो उनके स्थान पर कौन साहब नियुक्त हुये हैं और किस आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

श्री ए० डी० पांडे की नियुक्ति 3-9-71 से की गई है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

इसका आधार क्या था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

सूटेबिलटी का आधार था ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह सवाल हो गया । मैंने इसको स्थगित कर दिया ।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । जैसा कि वीरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि सन् 47 से सीनियारिटी के आधार पर ही रखे गये हैं तो ऐसा नहीं है । श्री अमरनाथ झा बाहर से आये थे । इसी तरह श्री गोपीनाथ जी उस वक्त सीनियर नहीं थे और उनसे सीनियर दो और व्यक्ति थे, लेकिन उनको नियुक्त किया गया ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को यह मालूम हुआ है कि यहां से एपाइंटमेंट आर्डर श्री ए० डी० पांडे के लिये हुआ है जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में हैं और जिनके रिटायरमेंट में पांच छः महीने बाकी हैं । श्री मित्तल तीसरी तारीख को रिटायर हो जायेंगे । आप इस सवाल को मुल्तवी कर रहे हैं । मेरा कहना यह है कि जब तक यह प्रश्न दुबारा न आ जाय और इस पर जवाब न हो जायं तब तक श्री ए० डी० पांडे को चार्ज न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपकी रिक्वेस्ट है और यह गवर्नमेंट के पास भेज दी जायगी । गवर्नमेंट को जो करना हो वह करे ।

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी)--

पाइंट आफ आर्डर है । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह रिक्वेस्ट की है कि जब तक प्रश्न पर विचार न हो जाय तब तक नियुक्ति न की जाय । मैं समझती हूं इस तरह प्रश्नों को शासन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ने की नयी परम्परा डाली जा रही है । इसकी आपको अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष जी, अभी आपने व्यवस्था दी कि यह प्रश्न स्थगित किया जा रहा है और इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी सदन में देंगे । माननीया बाजपेयी जी ने कहा कि इस प्रश्न को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा जा रहा है क्योंकि चौधरी साहब ने कहा कि जब तक प्रश्न पर विचार न हो जाय श्री ए० डी० पांडे को चार्ज देना स्थगित रखा जाय । आपने कहा कि इस रिक्वेस्ट को सरकार के पास भेज रहे हैं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय राजेंद्र कुमारी बाजपेयी को यह कहने का हक है कि इस प्रकार का प्रश्न शासन के एडमिनिट्रेशन में हस्तक्षेप है ? यह सीधा साधा सवाल था कि जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वह वापस ले लिया जाय और दूसरे व्यक्ति को जो आज तक परम्परा रही है उसके अनुसार नियुक्त किया जायगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि जब तक इस प्रश्न का सदन में पूर्णतः उत्तर न दे दिया जाय तब तक सारी कार्यवाही नियुक्ति आदि की रोक दी जाय वरना इस प्रश्न के आने का कोई मतलब नहीं रह जायगा ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में प्रश्न आते हैं और स्थगित भी होते रहते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह कांग्रेस की प्रैसीडेंट क्या हो गयी हैं कि मुख्य मंत्री जी अगर नहीं रहते तो उनकी जगह बोलने लगती हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चरण सिंह जी ने यह प्रार्थना की कि जब तक यह प्रश्न फिर से आये और मुख्य मंत्री उसका उत्तर दे दें तब तक मुख्य मंत्री जी को इसका फैसला नहीं करना चाहिये । यह उन्होंने प्रार्थना की । अब मैं आपकी प्रार्थना को भेज दूंगा । आप बीच में खड़ी हो गयीं । इसका मतलब क्या यह है कि मैंने हुकुम दे दिया और उसको रोक दिया ? मैंने तो साफ कहा है कि मैं भेज दूंगा । अब माननीय मुख्य मंत्री जो करना चाहें करें । अगर उन्होंने कायम रखा अपने आर्डर को तो उन्हें हाउस को फेस करना पड़ेगा लेकिन मैं कोई आज्ञा नहीं दे सकता कि ऐसा किया जाय ।

(शोर व्यवधान)

मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने 3 प्रश्नों पर आधा घंटा दे दिया और शेष प्रश्न रह गये । 71 प्रश्न हैं आज । यह गलत परम्परा है । (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब किसी प्रश्न में 6—7 माननीय सदस्यों के नाम हों, और उनमें दल के नेता भी हों, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि आप क्रमानुसार जो उसमें नाम हों पहले नेताओं को अवसर दें और बाद में अन्य माननीय सदस्यों को ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

स्थगित कर दिया जाय आप यह चाहते थे, तो वह स्थगित कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री—

नेता कौन होते हैं कि पहले उनको ही अवसर दिया जाय, यह गलत नीति होगी। (व्यवधान)

नगर प्रमुख इलाहाबाद के चुनाव का स्थगन

**4—श्री रूपनाथसिंह यादव—

*क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरमहापालिका इलाहाबाद के नगर प्रमुख पद का चुनाव अचानक रोक दिया गया है, यदि हां, तो वह चुनाव अब सरकार कब तक करा दे देगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नगर प्रमुख इलाहाबाद का उपनिर्वाचन जो पहले दिनांक 7 अगस्त, 1971 के लिये निश्चित था नगर में बाढ़ की भयंकर स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था । अब यह निर्वाचन दिनांक 4 सितम्बर 1971 के लिये निश्चित किया गया है।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

मान्यवर, मंत्री जी जानबूझ कर गलत उत्तर दे रहे हैं । यह उत्तर दिया है कि बाढ़ की भयंकर स्थिति के कारण स्थगित कर दिया है, जब कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने बाढ़ पर जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें कहा है कि इलाहाबाद में बाढ़ समाप्त हो गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से आपने चुनाव को स्थगित किया तथा यह भी बतलायें कि स्थगित किस तारीख को किया और आदेश किस तारीख को इलाहाबाद भेजा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने गलत उत्तर का जहां तक उल्लेख किया है, यह सही नहीं । जिस समय पिछले चुनाव की तिथि निश्चित हो गयी थी उस वक्त गंगा यमुना, जो खतरे का बिन्दु था उससे ऊपर जा रही थी, उस वक्त हमको वहां से सूचना मिली कि यदि यही स्थिति चलती रही तो संभव है सारा इलाहाबाद पानी में डूब जाये और हमारे जो वाटर वर्क्स और नलकूप हैं उनकी व्यवस्था अव्यवस्थिति हो जाये । इसलिये उन्होंने लिखा कि सारे के सारे नगरपालिका और सरकारी कर्मचारी उस बाढ़ के कार्य में लगे हुए हैं, इस समय चुनाव कराना हित में नहीं होगा ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या यह सही है कि कांग्रेस के आफिशियल उम्मीदवार चौधरी नौनिहाल सिंह का नामिनेशन पत्र खारिज हो गया था, क्योंकि वह डिफेक्टिव था, इसलिये आपने चुनाव को स्थगित किया है । बाढ़ का कोई कारण नहीं है, शहर में कोई बाढ़ ही नहीं थी, संसोपा का कैन्डीडेट निकल रहा था, इसलिये जानबूझ कर इसे रोका गया है । क्या सरकार बतायेगी कि उन दिनों बाढ़ नहीं थी, तो फिर ऐसा क्यों किया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह तो ऐसी बात है कि जिसकी जिलाधिकारियों को सूचना हो गई और माननीय सदस्य उनसे जानकारी कर सकते हैं कि उस समय नगर में बाढ़ का प्रकोप था या नहीं ? किसी के नामिनेशन पत्र खारिज होने का यहां प्रश्न नहीं आया और न हमारा कोई ऐसा मन्तव्य था । केवल, व्यवस्था नहीं हो सकती थी इसलिये यह किया गया ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चुनाव के 24 घंटे पहले जो यह चुनाव स्थगित किया गया, उस समय उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री और सत्ता कांग्रेस की प्रदेशीय अध्यक्ष श्रीमती राजेंद्रकुमारी बाजपेयी और भूतपूर्व महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी वहां मौजूद थे, और जब इन लोगों ने देखा कि उनका कैन्डीडेट हार रहा है और संसोपा का जीत रहा है, तो एकाएक आपको टेलीफोन करके चुनाव स्थगित कराया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह माननीय सदस्य का कहना उचित नहीं है । जो राजेंद्र कुमारी जी वहां थीं, उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि आज चुनाव होगा और उसको स्थगित किये जाने की भी उनको जानकारी नहीं थी । जब वह वहां से लौटीं तो मुझ से पूछा कि आपने चुनाव स्थगित करा दिया और हमको सूचना भी नहीं दी । तो केवल ऐसी परिस्थिति थी कि उसे स्थगित करना पड़ा । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो पिछले नगरप्रमुख थे उनका त्याग-पत्र इसीलिये स्वीकार किया । यदि उसमें दूसरी कोई बात होती, सोचने का मौका होता,

तो उस समय हम उसे स्वीकार करते जब चुनाव की स्थिति न पैदा होती । नगरप्रमुख का कार्यकाल एक साल का होता है, किन्तु इस्तीफा देने पर यदि 2 महीने की अवधि शेष रह जाती है तो उप चुनाव नहीं होता है, समय पर चुनाव ही होता है । यदि सरकार के दिल में खोट होती तो उसे कुछ दिन बाद 15 दिन बाद स्वीकार करती तो उपचुनाव की स्थिति ही उस समय न आती । जब शासन ने समय पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो कोई सन्देह करने की बात नहीं रहनी चाहिये।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मेयर के एलेक्शन को पोस्टपोन कराने के लिये इलाहाबाद के सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने आपसे निवेदन किया था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

समय-समय पर तमाम पार्टियों ने कहा कि यह चुनाव नहीं होना चाहिये क्योंकि दो महीने का समय रह गया है, थोड़ा समय रह गया है, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नियम के अन्तर्गत कराया जाना चाहिये था । लेकिन जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो करना ही पड़ा । तो हमने मजबूर हो कर उसको स्थगित किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि स्क्रूटिनी में कांग्रेस के उम्मीदवार का परचा खारिज हुआ या नहीं और क्या उसके खारिज होने के बाद आपने चुनाव स्थगित नहीं किया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मुझे इसकी सूचना नहीं है कि किसका परचा खारिज हुआ या नहीं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरा निश्चित प्रश्न है, किस तिथि में जिला अधिकारियों ने आपको लिखा, किस तारीख में रोकने का आदेश दिया और अब किस स्थिति में उस चुनाव को करवाने के आदेश दिये हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

चुनाव कराने का आदेश दे दिया गया है । 27–8–71 को नाम निर्देशन पत्रों का दाखिला, 28–8–71 को नाम निर्देशन पत्रों की जांच, उम्मेदवारी को वापस लेने की अंतिम तिथि 31–8–71, मतदान 4–9–71 को । इस प्रकार से प्रबन्ध कर दिया गया है । जहां तक इस बात का प्रबन्ध है, मैं इस संबंध में निवेदन कर दूं कि मुख्य नगर अधिकारी नगरमहापालिका इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 26 जुलाई, 1971 में कुछ कठिनाइयों का वर्णन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि नगर प्रमुख का प्रश्नगत चुनाव कराना जनहित में उचित नहीं है क्योंकि महापालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी सभासदगण आदि की सारी ताकत बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में लगी हुयी है । उन्होंने सूचित किया कि गंगा और यमुना का पानी खतरे के बिन्दु से ऊपर चढ़ रहा है । और यदि बाढ़ की स्थिति यही रहती तो संभव है कि यह स्थिति और भी गम्भीर हो जाय । पंपिंग स्टेशन पर भी पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया है । गंगा और यमुना नदी में बाढ़ अगर और अधिक आयी तो कोई वजह नहीं कि पंपिंग स्टेशन खराब हो जाने के कारण इलाहाबाद नगर जलमग्न हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने सुना होगा, सारी टिप्पणी कयास पर आधारित है । जब बाढ़ आ जायगी तो यह हो जायगा । क्या आप बतायेंगे कि परचों के दाखिले की कौन तारीख थी, परचों की वापसी की कौन तारीख थी और चुनाव किस तारीख में निश्चित था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नाम-निर्देशन पत्रों का दाखला 29–7–71, नाम-निर्देशन पत्रों की जांच 30–7–71, उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख 2–8–71 और मतदान की तारीख 7–8–71 ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

माननीय मंत्री जी तथ्य के खिलाफ उत्तर दे रहे हैं । भाग रहे हैं बराबर । सीधा सवाल जायसवाल जी ने किया कि क्या नामिनेशन पेपर पहले खारिज हो गया था, हमारे सवाल में भी था कि राजनीतिक कारणों से स्थगित किया गया । उस इनफार्मेशन को बताना चाहिये । निश्चित सवाल कर रहा हूं । क्या सरकार बतायेगी कि पहले वाले में चुनाव के लिये नामिनेशन-पत्रों का दाखिला किस तारीख को था और वापसी और स्क्रुटिनी कब थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्य ने कहा कि हमने प्रश्न में पूछा है कि राजनीतिक कारणों से, मैं प्रश्न जरा सा पढ़ देना चाहता हूं । "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरमहापालिका इलाहाबाद के नगर प्रमुख पद का चुनाव अचानक रोक दिया गया है ? यदि हां, तो वह चुनाव अब सरकार कब तक करा देगी ?" सिर्फ यह है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

एक निश्चित सवाल किया गया, जवाब नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि इसमें कहीं नहीं लिखा है राजनीतिक कारणों से।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैंने लिखा था बाद में माडिफाई किया गया होगा, ओरिजिनल उत्तर में लिखा है । मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, किस तारीख को नामांकन था और कब स्क्रुटिनी थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैंने अभी बताया, 29 तारीख को नामिनेशन पत्रों को दाखिल करने की तिथि निश्चित थी (व्यवधान) 29 जुलाई । 30 जुलाई को पत्रों की जांच, उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि 2–8–71, मतदान की तिथि 7–8–71 थी । 26 जुलाई को हमारे पास सूचना आई कि नगर की ऐसी स्थिति है जिसमें चुनाव कराना संभव नहीं है ।

श्री धर्मवीर—

26 जुलाई को जब मुख्यनगराधिकारी का पत्र आता है और मतदान 7 तारीख को था तो मतदान के कितने घंटे पूर्व चुनाव के स्थगित करने के आदेश दिये गये ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

उसी दिन हमने उनको सूचना दे दी कि अगर ऐसी स्थिति है तो चुनाव न कराये जायं ।

एक सदस्य---

एक सवाल पर कितने सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस होंगे ? बाकी के सवालों का फिर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है । यही बात मैं कह रहा हूं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है कि यह चुनाव स्थगित हुआ है नामिनेशन पेपर्स फाइल हो जाने के बाद । अब आप जब फिर से चुनाव करा रहे हैं तो दुबारा नामिनेशन पेपर्स फाइल कराने की क्या आवश्यकता है अगर यह कारण नहीं है कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार का नामिनेशन पेपर खारिज हो गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

यह न्याय विभाग से पूछने पर पता चलेगा कि जिनके नाम निर्देशन पत्र पहले स्वीकृत हो चुके हैं उनको फिर से नामिनेशन कराने की जरूरत है या नहीं । अगर नहीं है तो उस पर फिर से विचार किया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

26 तारीख को एक्जिक्यूटिव आफिसर का पत्र आया था और 26 तारीख को ही माननीय मंत्री ने सूचित कर दिया कि ऐसी स्थिति है तो चुनाव स्थगित कर दिये जायं । यह बात उन्हीं की बात से गलत साबित हो जाती है । 29 तारीख को नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुए और उनकी पार्टी के उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया गया तो चुनाव 24 घंटे पूर्व स्थगित कर दिया गया । इससे साफ जाहिर होता है कि एक्जिक्यूटिव आफिसर के तार वाले प्रश्न पर चुनाव स्थगित नहीं किये गये बल्कि पार्टी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन नहीं हुआ तो आपने चुनाव स्थगित कर दिये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मैं पुनः निवेदन कर दूं कि यह जानकारी मुझे नहीं है । यदि प्रश्न में इसका कोई उल्लेख होता तो उसकी भी मैं जानकारी करा लेता कि किस दल के कितने नामिनेशन पेपर्स खारिज हुए, लेकिन जब 26 तारीख को सूचना दी मुख्य नगराधिकारी ने तो उनसे कहा गया कि आप चुनाव के स्थगन के सिलसिले में कार्य प्रारम्भ कर दें, हम आदेश भेज रहे हैं कि चुनाव स्थगित कर दिये जायं ।

श्री चरण सिंह---

मैं यह समझता हूं कि इस केस में स्क्रूटनी होने के बाद विदड्राल की डेट बीत चुकी थी अगर ऐसा है तो दूसरा नामिनेशन कानूनन हो ही नहीं सकता । तो क्या माननीय मंत्री जी ने ला डिपार्टमेंट से यह जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा किया जाय तो वह जायज होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आप फिर से लीगल ओपीनियन लेकर कोई बात तय करें ।

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इलाहाबाद से संबंधित है इसलिये एक स्पष्टीकरण हाउस के सामने करना चाहती हूं और वह यह है कि·····

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त स्पष्टीकरण नहीं हो सकता ।

श्री धर्मवीर--

मान्यवर, माननीय जयराम वर्मा जी ने एक निश्चित प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि लीगल राय इस पर ले ली जायेगी । चुनाव 4 तारीख को होना है । तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी जब तक कि इस पर ला डिपार्टमेंट से राय न ले ली जाय तब तक इस चुनाव को स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि यदि ला डिपार्टमेंट ने कहा कि स्थगित करों तो कर लेंगे ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

8 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 20 क मूल उत्तर का शोधन

नैनीताल में प्लाटों का अनियमित पट्टा

(स्वायत्त शासन मंत्री का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा मूल प्रश्न पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

*20--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक ६ मई, 1970 की नत्थी (घ) में प्रश्न सं० 1 के उत्तर के क्रम पर क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन 16 प्लाटों का दिनांक 6 अगस्त, 1968 से 8 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में अनियमित तौर पर पट्टा स्वीकृत कराया गया और जिस अनियमितता के कारण 5 लाख की हानि का अनुमान सरकार ने बताया है इसका पता कब मालूम हुआ था तथा तब से दिनांक 20 मई, 1970 तक शासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 1968 में जब यह अनियमित कार्यवाही हो रही थी उस उक्त नोटीफाइड एरिया कमेटी के मंत्री, एकाउन्टेंट व लिपिक आदि कौन-कौन थे ? क्या उनके नामों की पूर्ण सूची सदन में रखने की कृपा करेंगे और उक्त यह कर्मचारी कहां पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इस अनियमितता के बारे में कलेक्टर, नैनीताल को जून, 1969 में जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना शासन को अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1969 द्वारा दी । शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1969 द्वारा कलेक्टर से विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया । कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1970 द्वारा भेजी गयी । इसमें सूचना अपूर्ण थी । अतः कलेक्टर को पुनः शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 1970 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसका उत्तर कलेक्टर नैनीताल ने अपने पत्र दिनांक 10 मार्च, 1970 द्वारा दिया चूंकि मामला गंभीर था और कलेक्टर द्वारा स्थिति संतोषजनक रूप में स्पष्ट नहीं की गई थी । अतः पूरे मामले की जांच आयुक्त कुमाऊं मंडल को शासनादेश दिनांक 4 मई, 1970 द्वारा सुपुर्द की गई । बाद में इस मामले की जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी गयी जो अब भी जारी है ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, रुद्रपुर में मंत्री तथा एकाउन्टेंट का पद नहीं है। उस समय नोटीफाइड एरिया कमेटी में निम्न कर्मचारी थे--

श्री जगदीश नारायण सक्सेना, सेक्रेटरी जो जून, 1970 की सूचना के अनुसार नगर-पालिका बिलसी, जिला बदायूं में कार्य कर रहे हैं। श्री के० पी० काम्बोज, सेनेटरी इन्सपेक्टर जो जून, 1970 की सूचना के अनुसार नगरपालिका, रुद्रपुर में कार्य कर रहे हैं श्री के० सी० अवस्थी ओवरसियर, जो जून, 1970 की सूचना के अनुसार नगरपालिका रुद्रपुर में कार्य कर रहे हैं, सर्व श्री बंशीलाल तथा हंसराज भाटिया, लिपिक, जो 1968 में सेवा से अवमुक्त कर दिये गये।

संशोधित उत्तर--

इस अनियमितता के बारे में कलेक्टर, नैनीताल को जून, 1969 में जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना शासन को अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1969 द्वारा दी। शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1969 द्वारा कलेक्टर से विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया। कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1970 द्वारा भेजी गयी। इसमें सूचना अपूर्ण थी। अतः कलेक्टर को पुनः शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 1970 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसका उत्तर कलेक्टर, नैनीताल ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च, 1970 द्वारा दिया। चूंकि मामला गंभीर था और कलेक्टर द्वारा स्थिति सन्तोषजनक रूप में स्पष्ट नहीं की गयी थी, अतः पूरे मामले को जांच आयुक्त कुमायूं मंडल को शासनादेश दिनांक 4 मई, 1970 द्वारा सुपुर्द की गई। बाद में इस मामले की जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी गयी। जो अब भी जारी है।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, रुद्रपुर में मंत्री तथा एकाउन्टेंन्ट का पद नहीं है। उस समय नोटीफाइड एरिया कमेटी में निम्न कर्मचारी थे:--

श्री जगदीश नारायण सक्सेना, सेक्रेटरी, जो जून 1970 की सूचना के अनुसार नगरपालिका बिलसी, जिला बदायूं में कार्य कर रहे हैं।

श्री के० बी० काम्बोज, सेनेटरी इन्सपेक्टर जो जून, 1970 की सूचना के अनुसार नगर पालिका रुद्रपुर में कार्य कर रहे हैं। श्री के० सी० अवस्थी ओवरसियर जो जून, 1970 की सूचना के अनुसार नगरपालिका रुद्रपुर में कार्य कर रहे हैं। सर्वश्री बंशीलाल तथा हंसराज भाटिया लिपिक जो 1968 में सेवा से अवमुक्त कर दिये गये।

श्री इन्द्रलाल--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब यह संशोधित उत्तर दिया गया था 6 मई, 1970 को और उसमें संशोधन की सूचना मिली थी तो 6 मई, 1970 से अब तक यानी 1 वर्ष दो माह तक जो विभाग की गलती थी उसके लिये मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, और कोई गलती नहीं थी। केवल तारीख की गलती थी और यह उसी का संशोधन है।

श्री इन्द्रलाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि संशोधित उत्तर म बताया है कि वहां की नोटिफाइड एरिया के सर्व श्री बंशीलाल तथा हंसराज भाटिया, लिपिक, जो 1968 में सेवा से अवमुक्त कर दिये गये, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब यह बात कलेक्टर महोदय के नोटिस में जून, 1969 में आई तो एक वर्ष पहले ही उन्हें सेवा से मुक्त करने का क्या कारण था?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

ये तो सन् 1968 में सेवा-मुक्त किये गये हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

क्षेत्र विकास अधिकारी, लक्ष्मणपुर, जिला प्रतापगढ़ पर पशु चिकित्सक द्वारा प्रहार

*1---श्री रामकिंकर, (जिला प्रतापगढ़,) श्री शम्भुनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि क्षेत्र विकास अधिकारी, लक्ष्मणपुर, जिला प्रतापगढ़ पर इसी विकास खण्ड के पशु-चिकित्सक द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1971 को अकस्मात प्रहार करने के सम्बन्ध में कई विधायकों ने दिनांक 30 जुलाई, 1971 को उन्हें शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त खण्ड विकास अधिकारी ने अप्रैल और जुलाई, 1971 में सम्बन्धित अधिकारी को और ब्लाक प्रमुख ने 13 जुलाई, 1971 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ एवं कमिश्नर फैजाबाद को पशु-चिकित्सक के विरुद्ध अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा था, यदि हां, तो वह क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)---

जी हां । प्रसंगगत मामले से संबंधित विधायकों का शिकायती पत्र, प्राप्त हुआ । सम्पूर्ण मामले की जांच आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से स्वयं करने तथा परिणाम से शासन को दिनांक 10 सितम्बर, 1971 तक अवगत कराने को कहा गया है ।

श्री राम किंकर---

मेरे मूल प्रश्न के एक हिस्से का केवल जवाब दिया गया है कि कमिश्नर फैजाबाद से रिपोर्ट मंगायेंगे 10 सितम्बर तक । लेकिन मैंने जो मूल प्रश्न किया था "क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त खण्ड विकास अधिकारी ने अप्रैल और जुलाई, 1971 में संबंधित अधिकारी को और ब्लाक प्रमुख ने 13 जुलाई, 1971 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ एवं कमिश्नर फैजाबाद को पशु चिकित्सक के विरुद्ध अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखा था, यदि हां, तो वह क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?" इसका जवाब नहीं आया । मूल प्रश्न का जवाब आना चाहिए ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जिन पत्रों का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं इसकी सूचना प्रश्न के साथ ही माननीय सदस्य के द्वारा ही प्राप्त हुई है ।

श्री रामकिंकर---

बी० डी० ओ० ने लिखित अप्रैल और जुलाई में डी० पी० ओ० को लिखा था और ब्लाक प्रमुख ने भी लिखित शिकायती पत्र इस असिस्टेंट पशु चिकित्सक के विरोध में दिया था कमिश्नर को, वह हरिजन बी० डी० ओ० मारा न जाता अगर समय पर कार्यवाही की गयी होती और उस पशु चिकित्सक ने सुल्तानपुर में बी० डी० ओ० और चपरासी को मारा है । तो उस प्रार्थनापत्र में क्या शिकायत थी उसका भी जवाब नहीं दिया, सरकार छिपाना चाहती है इस चीज को ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, घटना के किसी अंश को छिपाने का प्रश्न इसलिए नहीं है कि शासन ने घटना की गम्भीरता को अनुभव करके ही आयुक्त को स्वयं जांच करने के आदेश दिये हैं ।

श्री रामकिंकर---

उस हरिजन बी० डी० ओ० के ट्रांस्फर को 24 तारीख को सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा रोकने के लिए आदेश दिये गये, लेकिन उसका ट्रांस्फर इनके विभाग द्वारा हो चुका है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका विभाग बड़ा है या हमारे मंत्री बड़े हैं ? इनको इस्तीफा देना चाहिये, मंत्री जी को ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया है कि जो सूचना माननीय सदस्य के द्वारा प्राप्त हुई, उसकी तुरन्त जांच कराने के लिए आदेश दिये गये हैं कमिश्नर को और उसकी रिपोर्ट आने पर तुरन्त ही सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या कारण है कि जो पीटा गया है उसका तो ट्रांस्फर किया गया है और जिसने पीटा है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जो ट्रांस्फर किये गये थे वह प्रशासनिक दृष्टि से किये गये थे । शिकायतों से संबंधित जो जांच कार्यवाही होगी वह तो अभी होनी बाकी है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्रांस्फर की कार्यवाही जो प्रतापगढ़ से आगरा किया गया, यह घटना के बाद की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

ट्रांस्फर की तारीख की सूचना नहीं है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

क्या माननीय मंत्री जी अप्रैल और जुलाई में जो पत्र ब्लाक प्रमुख ने लिखा था उसकी कापी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, 13 जुलाई को संबंधित ब्लाक प्रमुख ने वह पत्र वहां के जिलाधीश को लिखा था । उसकी सूचना अभी प्राप्त हुई है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा था उसकी एक कापी माननीय सदस्य को भी भेजी है । उसकी प्रामाणिकता जानने के लिए जो आयुक्त जांच करेंगे उसके बाद उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी और उसके बाद पटल पर रखने का प्रश्न पैदा होगा ।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पौड़ी गढ़वाल में पेय जल योजनाएं

*2—श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् पौड़ी-गढ़वाल में कौन-कौन पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु शासन को संस्तुति भेजी है तथा कौन-कौन सी पेयजल योजनायें शासन ने कार्यान्वित की हैं और किन-किन योजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 367–369 पर ।)

सिविल अस्पताल के वार्ड ब्वाय द्वारा एक मरीज को पीटा जाना

*3—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ अगस्त, 1971 को सूचना केन्द्र में स्थित सिविल अस्पताल में एक वार्ड-ब्वाय ने एक मरीज को दिखाने आये हुए व्यक्ति को मारा, जिसमें उसकी बीमार स्त्री को भी चोट आयी जो मर भी गयी ? यदि हां, तो सरकार ने उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

दिनांक 6 अगस्त, 1971 को श्री सलीम नामक एक व्यक्ति, जो अपनी बीमार पत्नी को सिविल अस्पताल में दिखाने आये थे, को एक वार्ड-ब्वाय ने पीटा था, लेकिन उसकी स्त्री को इस घटना के फलस्वरूप कोई चोट नहीं आई और न ही उनकी मृत्यु हुई ।

उक्त वार्ड-ब्याय की सेवायें 7 अगस्त, 1971 से समाप्त कर दी गईं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगर पालिका सीतापुर में कर अधीक्षक के पद पर पदोन्नति

*1—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सीतापुर के कर-अधीक्षक के पद से 4 अगस्त, 1966 को श्री गिरजा शंकर वर्मा के सेवा निवृत्त होने के पश्चात् विभागीय कर-निरीक्षकों में से किसी की पदोन्नति की गई थी ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । पालिकाध्यक्ष ने कर-अधीक्षक के उक्त रिक्त पद पर पालिका के कर-निरीक्षकों में से श्री विजय कुमार कपूर की पदोन्नति शैक्षिक योग्यता के आधार पर की ।

बस्ती जिले के सैनेटरी इन्सपेक्टर

*2—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने सैनिटरी इन्सपेक्टर्स ऐसे हैं जो उसी जिले के निवासी हैं और उसी जिले में इस समय काम कर रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

बस्ती जिले में 14 सेनेटरी इन्सपेक्टर्स ऐसे हैं जो बस्ती जिले के निवासी हैं और उसी जिले में इस समय कार्य कर रहे हैं ।

अकबरपुर टाऊन एरिया में शाहजादपुर बाजार के टाऊन नाले पर स्थित दुकानों की भूमि

* 3—श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया), श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद), श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद), श्री तेजपाल सिंह, (जिला मथुरा), श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी), श्री धर्मवीर सिंह 'कृष्ण' (जिला-मुजफ्फरनगर), श्री सत्तार अहमद (बिजनौर) तथा श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद के अकबरपुर टाउन एरिया के शाहजादपुर बाजार में टाउन के नाले पर स्थित टाउन एरिया की भूमि पर जो दुकानें बनी हैं वे टाउन एरिया की सम्पत्ति हैं या किसी व्यक्ति विशेष की ? यदि व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति है तो किसके आदेश से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इन दुकानों के स्वामित्व के सम्बन्ध में अभी स्पष्ट सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है ।

जिला परिषद, बलिया में हरिजन अध्यापक, लिपिक एवम् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद

* 4—श्री मैनेजर सिंह—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बलिया में कितने अध्यापक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें हरिजन कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जिला परिषद् में कार्यरत अध्यापकों, लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 4561, 32 एवं 46 है और उनमें 501 अध्यापक एवं 10 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हरिजन हैं ।

* 5—श्री सन्तूराम—

[8वें बुधवार के लिए प्र० सं० 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रुद्रपुर में प्लाटों के नीलाम की सी० आई० डी० द्वारा जांच

* 6—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 ई० को नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया कलेक्टर नैनीताल की जांच रिपोर्ट दिनांक 18 फरवरी, 1970 ई० तथा दिनांक १० मार्च, 1970 ई० की प्रतियां सदन के पटल पर रखते हुये बतायेंगे कि इस मामले में सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो सी० आई० डी० की रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी सी० आई० डी० की अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर नैनीताल के संबंधित पत्रों की प्रति सी० आई० डी० को जांच के दौरान में सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा।

ग्रामीण शक्ति योजनान्तर्गत बलिया जिले की सड़कों का निर्माण

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में किन-किन सड़कों का निर्माण हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण हुआ है:—

1—सहतवार-हल्दी सड़क
2—सहतवार-कोल सड़क
3—सिकन्दरपुर-कथौड़ा सड़क
4—पन्द्रह एप्रोच सड़क
5—कोटवारी-नगपुर सड़क
6—डेहरी-प्रधानपुर सड़क
7—क्रिडिहापुर-इब्राहीम पट्टी सड़क
8—नगरा-सिकन्दरपुर सड़क
9—रसरा-नगरा-तुर्तीपार सड़क
10—रतनपुर-बिलौली सड़क
11—सिकन्दरपुरा-वेल्थरा सड़क

उपरोक्त सड़कों में से अन्तिम चार सड़कों पर निर्माण कार्य सुरक्षित स्तर तक पूर्ण हो चुका है। अवशेष सड़कों पर निर्माण कार्य चालू हैं।

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त निर्मित सड़कों में कौन-कौन सड़कें ऐसी हैं जिस पर मिट्टी के अलावा कंकड़ अथवा ईंट डाला गया है और इनका लागत खर्च अलग-अलग इस निर्माण पर क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 370 पर)

तारांकित प्रश्न

सीवेज ऐन्ड वाटरबोर्ड का गठन

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह सीवेज ऐन्ड वाटर बोर्ड प्रदेश में लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। उसके पारित हो जाने के बाद ही बोर्ड गठित किया जा सकेगा।

नैनी, फूलपुर तथा मेजा में जच्चा-बच्चा केन्द्र

*2—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वे इलाहाबाद जिले में नैनी, फूलपुर तथा मेजा में जच्चा-बच्चा केन्द्र चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इलाहाबाद जिले में फूलपुर तथा मेजा में जच्चा-बच्चा केन्द्र पूर्व से ही खुले हुये हैं। नैनी में जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है और कोई ऐसा केन्द्र खोलने का अभी प्रस्ताव भी नहीं है।

फैमिली प्लानिंग विभाग के निकाले गये कर्मचारी

*3—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैमिली प्लानिंग विभाग के अप्रैल-मई, 1971 में बहुत से कर्मचारी निकाल दिये गये ? क्या सरकार इन्हें दूसरा काम देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

जी हां।

निकाले गये कर्मचारियों को दूसरा काम देने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। वही कर्मचारी निकाले गये हैं जो हर प्रकार से अनुपयुक्त पाये गये।

जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गयी नियुक्तियां

*4—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में जनवरी, सन् 1968 से अगस्त, सन् 1970 तक किस-किस पद पर कितनी-कितनी नियुक्ति जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई हैं और जो नियुक्ति की गई उसमें से कितना नाम रोजगार कार्यालय से आया है और कितनी नियुक्ति सीधे कर ली गई हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जिला फैजाबाद में जनवरी, 1968 से अगस्त, 1970 तक लिपिक, अमीन, कामदार, ड्राइवर, अर्दली चपरासी, क्लीनर तथा चौकीदार के पदों पर 329 नियुक्तियां की गईं, जिन में से 102 रोजगार कार्यालय से नाम मंगाकर की गई। 114 नियुक्तियां सीधे भर्ती से की गईं। 41 नियुक्तियां विभागीय पदोन्नति से और 72 प्रभारी संग्रह अधिकारी के यहां के अनुभवी व्यक्तियों में से की गईं।

फैजाबाद के ब्लाकों में जिला कृषि अधिकारी द्वारा गबन संबन्धी आरोप-पत्र

*5—श्री सुखपाल पांडेय तथा रामकरन सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी जिला फैजाबाद के विरुद्ध श्री शम्भू नारायण व श्री राम अवध विधायक तथा ब्लाक प्रमुख बसखारी, जिला फैजाबाद ने दिनांक 14 मई, 1971, 17 मई, 1971 को इस आशय का पत्र मुख्य मंत्री तथा सामुदायिक विकास मन्त्री को दिया कि जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद अकबरपुर तथा पहितापुर, कृषि बीज भंडार, विकास क्षेत्र अकबरपुर तथा हंसवार कृषि बीज भंडार, विकास क्षेत्र बसरवारी एवं रामनगर तथा जहांगीरगंज, विकास क्षेत्र जहांगीरगंज में तथा

बफर गोदाम, मसौधा फैजाबाद में कई लाख रुपये का गबन है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

श्री शम्भूनारायण व श्री राम अवध विधायक तथा ब्लाक प्रमुख बसखारी, जिला फैजाबाद के पत्र दिनांक 14–5–71 व 17–5–71 कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुये। परन्तु श्री शम्भू नारायण विधायक के दो पत्र, एक पत्र बगैर तिथि का और दूसरा पत्र दिनांक 19/24 मई, 1971 का जिनमें बीज गोदामों के गबन संबंधी आरोप हैं, प्राप्त हुये और उनके संबंध में जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जांच कराई जा रही है।

वैसे इन बीज गोदामों में हुई लगभग 2,57,000 रु० की हानि आदि के संबंध में विभाग द्वारा पहले से ही कार्यवाही शुरू की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप बीज भंडारों से संबंधित कुल 8 मामले हैं जिनमें 6 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था। चार मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज थी एवं शेष चार में और अधिक छान बीन की जा रही है।

श्री सूर्यबली वर्मा, प्रमुख क्षेत्र समिति, बसखारी का एक शिकायती-पत्र दिनांक 2–5–71 कृषि विभाग में प्राप्त हुआ है जिसमें कृषि बीज भंडार, हंसवर में 65,000 रु० के गबन का जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा गुप्त जांच कराई जा रही है।

*6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

मुरादाबाद के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वसूल की गई भत्ते की धनराशियां

*7—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1969–70 एवं 1970–71 में जिला मुरादाबाद में किस-किस खण्ड विकास अधिकारी ने कितनी-कितनी धनराशि भत्ते के रूप में कहां-कहां की यात्रा से सम्बन्धित वसूल की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*8–9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[14 वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर द्वारा विधिवत मीटिंग न बुलाने का आरोप, उस पर तथा उसमें हुई कार्यवाही

*10—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् सीतापुर के भूतपूर्व अध्यक्ष ने दिनांक 15 मार्च, 1965 के विधिवत् एजेन्डा न जारी कर परिषद् की मीटिंग बुलायी थी ? जिसके सम्बन्ध में प्रश्न कर्त्ता ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद बेंच लखनऊ में रिट पिटीशन दायर किया था और न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3 नवम्बर, 1966 के द्वारा रिट का फैसला प्रश्नकर्त्ता

के पक्ष में कर मीटिंग को अवैधानिक घोषित कर दिया था ? यदि हां, तो अवैधानिक मीटिंग करने का उत्तरदायित्व किस पर है ? और मीटिंग में कुल कितना व्यय हुआ था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(क) जी हां ।

(ख) मीटिंग अध्यक्ष, जिला परिषद् ने बुलायी थी और उसका उत्तरदायित्व उन्हीं पर था ।

(ग) मीटिंग में भाग लेने वाले सदस्यों के यात्रा-भत्ता पर लगभग रु० 134.58 व्यय हुआ ।

*11—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 15 मार्च, 1965 को अवैधानिक मीटिंग में जो भी कार्यवाही की गई वह विधिवत् न होने के कारण रद्द कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और कौन कौन सी कार्यवाही रद्द की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उक्त मीटिंग में जिला परिषद का 1965–66 का रफ बजट स्वीकृत हुआ था । जिसको स्थगनादेश के कारण रद्द मान लिया गया ।

पशु औषधिकों तथा मानव औषधिकों के वेतन में अन्तर

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह बात सत्य है कि सन् 1965 के पूर्व पशु-औषधिकों और मानव औषधिकों का वेतन-मान समान ही था ? यदि हां, तो सन् 1965 के पश्चात् इन दोनों के वेतन-मान में कितना-कितना अन्तर कर दिया गया है और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । 1965 से पहले मानव एवं पशु औषधिकों के वेतन-मान समान और निम्न प्रकार थे::–

प्रशिक्षित, रु० 75–120

अप्रशिक्षित, रु० 45–65

दिनांक 1–4–65 से वेतन अभिनवीकरण समिति ने इन औषधिकों के लिये निम्नलिखित वेतन मानों का निर्धारण किया—

		प्रशिक्षित रु०	अप्रशिक्षित रु०
(1) पशु औषधिकों	..	100–180	75–115
(2) मानव औषधिकों	..	120–220	80–140

इन वेतन मानों की अनुसंशा उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा की गई थी ।

*13—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पशु औषधिकों का वेतन-मान मानव औषधिकों के बराबर करने का विचार हो रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

गोंडा जनपद के कस्तुआ फार्म में घाटा तथा फार्म अधीक्षक का स्थानान्तरण

*14—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ), तथा श्री दीपनारायण बन (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जनपद में कस्तुआ, फार्म में जब से मौजूदा फार्म अधीक्षक आये हैं तब से फार्म की आय वृद्धि हुई या घाटा हुआ ? क्या फार्म घाटे में चल रहा है ? तो कितने का घाटा उनके आने से 30 जून, 1971 तक के बीच हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—

कस्तुआ फार्म पर मौजूदा फार्म अधीक्षक 8 मई, 1971 से कार्य कर रहे हैं। फार्म के लाभ हानि का मूल्यांकन कृषि वर्ष (1 जून से 31 मई तक) के आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अतः वर्तमान फार्म अधीक्षक के कार्यकाल में लाभ-हानि की स्थिति का अभी प्रश्न नहीं उठता। फार्म घाटे पर चल रहा है। चूंकि वर्तमान फार्म अधीक्षक का कार्यकाल 8 मई, 1971 से प्रारम्भ हुआ है, अतः घाटे से उनका सम्बन्ध नहीं है।

*15—श्री डी० पी० बोरा—

फार्म अधीक्षक, कस्तुआ पर जो वर्तमान समय में फार्म अधीक्षक पद पर नियुक्त हैं क्या वे गोंडा जनपद के निवासी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इनका स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका, नवाबगंज जिला बाराबंकी, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में बढ़ाए गए मतदाताओं की सूची

*16—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि नगरपालिकाओं के विगत चुनाव में नवाबगंज, जिला बराबंकी, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ तथा खीरी लखीमपुर की नगरपालिकाओं के सदस्यों के नामांकन व नाम वापसी की तिथियों के बीत जाने के बाद प्रत्येक बार्ड की मतदाता सूची में बहुत से ऐसे नाम बढ़ाये गये जो दिनांक 12 मई, 1971 को या उसके पूर्व उपर्युक्त चुनाव के सिलसिले में उन जिलों के चुनाव कार्यालयों द्वारा बेची गयी सूचियों में अंकित नहीं थे ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत यह संशोधन किये गये और संशोधित सूची कब प्रदर्शित की गई और बेचने के लिये कब उपलब्ध हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नवाबगंज, जिला बराबंकी और मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ की नामावलियों की कोई भी प्रति 12-5-71 को या उसके पूर्व नहीं बिकी। केवल खीरी लखीमपुर की कक्ष नामावलियों की प्रतियां 12-5-71 को या उसके पूर्व बिकी। इनमें बढ़ाये गए नाम भी अंकित थे।

*17-18—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[10 वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के निकले हुए विद्यार्थियों की नौकरी की व्यवस्था।

*19—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के निकले हुए विद्यार्थियों के लिये नौकरी की क्या व्यवस्था है तथा उस व्यवस्था के अन्तर्गत क्या वेतन-मान निर्धारित किया गया है ? क्या अन्य चिकित्सा पद्धतियों को देखते हुये होम्योपैथिक चिकित्सकों का वेतन-मान उचित है ? यदि नहीं, तो सरकार उसे सुधारने के लिये क्या कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केवल नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के छात्रों के लिए ऐसी कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। अर्हता प्राप्त व्यक्ति, पद रिक्त होने पर, उक्त संस्था में प्रिंसिपल, लेक्चरार अथवा डिमांस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों में चिकित्साधिकारियों के पद भी हैं।
उक्त पदों के वेतनमान इस प्रकार हैं:—

(1)	प्रिंसिपल	500—50—1,000—द० रो०—50—1,200 रु० (अनन्तिम)
(2)	लेक्चरार	250—25—400—द० रो०—25—700 रु० (अनन्तिम)
(3)	डिमांस्ट्रेटर	200—15—260—द० रो०—15—335—द० रो०—15—380—20—400 रु० (अनन्तिम)
(4)	चिकित्साधिकारी	150—6—180—द० रो०—10—230—द० रो०—10—260 रु०

अन्य चिकित्सा पद्धतियों के परिपेक्ष्य में होम्योपैथिक चिकित्सकों के वेतनमान का तुलनात्मक अध्ययन करना न्यायसंगत न होगा क्योंकि अर्हताओं तथा भर्ती सम्बन्धी प्रणाली आदि में भिन्नता होती है।

वैसे राज्य कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी मामलों में सुधार के लिए वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया जा चुका है। प्रश्नगत मामला भी वेतन आयोग के सम्मुख आ सकेगा।

पौष्टिक आहार योजना, बरेली

*20—श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि पौष्टिक आहार योजना, बरेली जिले में किस ब्लाक में लागू हुई है तथा क्षेत्र समिति की बैठक बुलाकर ग्राम प्रधानों को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

बरेली जिले के विकास खण्ड भोजीपुरा में पौष्टिक आहार योजना वर्ष 1970—71 से लागू हुई है। क्षेत्र समिति भोजीपुरा की दिनांक 31—1—71 की बठक में ग्राम प्रधानों को इस योजना के संबंध में जानकारी दी गई थी।

मलेरिया विभाग के स्थायी व अस्थायी कर्मचारी

*21—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि मलेरिया विभाग के अन्तर्गत कितने अराजपत्रित कर्मचारी स्थाई तथा अस्थायी कार्यरत हैं तथा किस अवधि तक के कर्मचारी स्थायी हो चुके हैं और शेष अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये सरकार के विचाराधीन क्या योजना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

मलेरिया विभाग के अन्तर्गत कुल 19 स्थायी तथा 10368 अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत हैं। जो कर्मचारी स्थायी हैं वे वर्तमान परियोजना के आरम्भ से पूर्व ही स्थायी किये जा चुके थे। वर्तमान परियोजना के अधीन कोई कर्मचारी स्थायी नहीं हुआ है।

शासन की सामान्य नीति के अधीन जिन अस्थायी पदों को स्थायी किया जा सकता है उन पर शासन विचार कर रहा है।

सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर, मलेरिया इन्स्पेक्टर तथा सर्वलेन्स इन्स्पेक्टर के कार्य क्षेत्र तथा दौरे

*22—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री राम निहोर राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर, मलेरिया इन्सपेक्टर एवं सर्वलेन्स इन्सपेक्तर के कार्य क्षेत्र तथा दौरे के दिन क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर का कार्य क्षेत्र उसका सब-यूनिट (2,50,000 की जनसंख्या पर आधारित) है। उसको मास में 15 से 20 दिन दौरे करने के आदेश हैं।

सर्वलेन्स इन्सपेक्टर का कार्यक्षेत्र उसका सर्वलेन्स सेक्शन (40,000 की जनसंख्या पर आधारित) है। उसको मास में 24 दिन तक दौरे करने के आदेश हैं।

जिला परिषदों के कार्य अधिकारियों का चयन

*23—श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के कार्य अधिकारियों का प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (ट्रान्सफरेबिल सर्विस कैडर रूल्स) के अन्तर्गत पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कब हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

दिसम्बर, 1968 जनवरी, 1 1969 में हुई सम्मिलित प्रादेशिक सेवाओं के लिये प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

*24—श्री तेजनारायण त्रिवेदी—

क्या सरकार ने उपरोक्त रूल्स (नियमों) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया था कि प्रथम चयन के बाद जितने स्थान कार्यअधिकारियों के रिक्त होंगे उनमें से 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष व 50 प्रतिशत अप्रत्यक्ष अर्थात् पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ? यदि हां, तो कितने प्रत्यक्ष रूप से व कितने अप्रत्यक्ष रूप से कार्य अधिकारी बनाये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नियमों के अन्तर्गत संवर्ग में प्रथम नियुक्तियां उन कार्य अधिकारियों में से की जानी थीं जो 26 अप्रैल, 1966 को कार्य अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे। तदनुसार 35 कार्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया। शेष 17 पदों के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर। 1968 जनवरी, 1969 में ली गई सम्मिलित प्रादेशिक सेवाओं के लिये परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां करने का निश्चय किया गया। 114 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 2 नियुक्तियां विचाराधीन हैं। लोक सेवा आयोग से उपयुक्त अभ्यर्थी मांग रखे हैं। नियमों में प्राविधान यह है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या संवर्ग के कुल पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न होगी। अभी तक नियमित रिक्ति में पदोन्नति से कोई नियुक्त नहीं की गई है। पदोन्नति से या सीधी भर्ती द्वारा कितनी-कितनी रिक्तियां भरी जायेंगी, राज्य सरकार के विवेकाधीन हैं। अल्पकालिक रिक्तियों पदोन्नति से भरी गई हैं और भरी जाती हैं।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आगरा व कानपुर में जी०एच०एम० एस० डिग्री कोर्स में प्रवेश

*25—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में आगरा, कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सन् 1961 में जी० एच० एम० एस० डिग्री कोर्स में प्रवेश इतनी जल्दी क्यों बन्द कर दिया गया? उसे क्या पुनः चालू करने के लिये कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब तक कार्यरुप में परिगणत हो जायेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

प्रश्नगत डिग्री कोर्स में प्रवेश बन्द करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:—

1—यह कोर्स लोकप्रिय सिद्ध न हुआ।

2—भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या लगभग नगण्य थी।

3—छात्रों को होने वाले लाभ से खर्चा अधिक था क्योंकि छात्रों की संख्या चाहे कितनी कम हो, उनके लिए सभी विषय पढ़ाने वाले अध्यापक तथा अन्य खर्चे आवश्यक थे।

देश के समस्त प्रान्तों में होम्योपैथिक शिक्षा में एकरुपता लाने से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 6—वर्षीय डिग्री कोर्स की स्कीम को हमारी सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और उसे अन्ततः लागू करने के पहलुओं पर विचार हो रहा है। इस डिग्री कोर्स में छात्रों के प्रवेश की अनुमति, कानपुर विश्वविद्यालय के परामर्श से, देने पर विचार किया जा रहा है।

कृषि शोध कार्य में अधिकारियों की नियुक्ति

*26—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से कृषि शोध कार्य (एग्रीकल्चरल रिसर्च) डाइरेक्टर कृषि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकार से निकाल कर डाइरेक्टर इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, कानपुर के सुपुर्द हुआ है, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारियों की नियुक्ति हुई और इनमें से कितने विभागीय पदोन्नति द्वारा लिये गये?

डाक्टर सीताराम---

कृषि शोध कार्य कृषि निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण से निकाल कर 5 जनवरी, 1971 से निदेशक उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था, उस तिथि से अब तक संस्थान के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के 28 तथा द्वितीय श्रेणी के 10 पदों पर नियुक्तियां हुई। इनमें से प्रथम श्रेणी के 17 तथा द्वितीय श्रेणी के 2 पदों पर विभागीय प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई हैं।

*27---श्री धर्मवीर---

[10 वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

ग्राम सभा सेउता तथा खरौहां को टाउन एरिया बनाया जाना तथा सीतापुर नगरपालिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*28---श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के तहसील बिसवां की ग्राम सभा सेउता तथा खरौहा को मिला कर टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव दो वर्ष से शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक टाउन एरिया घोषित करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सीतापुर जिले के ग्राम सेउता और खरौहां को टाउन एरिया बनाया जाना उपयुक्त नहीं है।

*29---श्री कृष्णकान्त अवस्थी---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की सीतापुर नगरपालिका के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी हाल में प्राप्त हुए हैं जिसमें अविलम्ब हस्तक्षेप की शासन द्वारा मांग की गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां। शासन ने उस शिकायती-पत्र पर जिला मैजिस्ट्रेट, सीतापुर से जांच करके शीघ्र रिपोर्ट भेजने को कहा है।

*30---श्री छांगुर राम---

[10 वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

उत्तर प्रदेश एग्रोइन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा कर्मशालाएं स्थापित करना

*31---श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार का उत्तर प्रदेश एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा प्रदेश के अन्य भागों में अपनी कर्मशालाएं स्थापित करने का इरादा है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और कब तक ?

डाक्टर सीताराम---

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर कर्मशालायें स्थापित करने का इरादा है परन्तु स्थापना की तिथि निश्चित नहीं है :

(1) वाराणसी
(2) गोरखपुर

(3) उरई (जालौन)
(4) खटपुर (नैनीताल)
(5) मेरठ
(6) आगरा

लखनऊ नगर महापालिका में मनहोल ढक्कन की सप्लाई में गड़बड़ी

*32—श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरमहापालिका में मेन होल ढक्कन की सप्लाई में गड़बड़ी के विषय में शासन द्वारा जांच हेतु समिति नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी आख्या क्या है और कौन अधिकारी दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति दोषी पाये गये थे जिनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। वैभागिक कार्यवाही ही समाप्त हो जाने पर ही उनको दिये जाने वाले दण्ड का निर्णय लिया जायगा।

ग्राम सभा किच्छा व बाजपुर को टाउन एरिया बनाना

*33—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा किच्छा एवं ग्राम सभा, बाजपुर, जिला नैनीताल के टाउन एरिया के रूप में पदोन्नति करने पर सारी कार्यवाही हो चुकी है ? यदि हां, तो उसको टाउन एरिया कब तक घोषित किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इन ग्राम सभाओं को नोटीफाइड एरिया के रूप में परिवर्तित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और यथा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रतापगढ़ के परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक को सतत सेवाओं का लाभ

*34—श्री रामदेव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में कुछ ऐसे परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक हैं जो पहले सर्वेलेंस इन्सपेक्टर (मलेरिया) रहे हैं, जिनको सतत् सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, जनपद प्रतापगढ़ में केवल एक ऐसा परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक है जो पहले सर्वेलेंस इन्सपेक्टर (मलेरिया) रह चुका है और जिसे सतत सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका है ?

*35—श्री चेतराम गंगवार—

[10 वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मन्नूगंज वार्ड के चुनाव परिणाम

*36—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि नगरपालिका, देहरादून के चुनावों में मन्नूगंज वार्ड के चुनाव परिणाम, चुनाव निदेशक के कार्यालय को, सभी चुनाव परिणामों के साथ नहीं भेजे गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । एक हारे हुए उम्मीदवार द्वारा दायर किये गये वाद के संबंध में जिला जज, देहरादून से प्राप्त एक पत्र का स्पष्टीकरण हो जाने पर कक्ष संख्या 10 का परिणाम निर्वाचन निदेशालय को अलग से एक दिन बाद भेजा गया ।

पर्वतीय क्षेत्र के फलोत्पादकों को यातायात एवं मार्केटिंग की सुविधा

*37—श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के फलोत्पादकों को सरकार की ओर से यातायात, मार्केटिंग आदि की क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रांस के कोलैबोरेशन से 6 करोड़ रुपये की लागत से लगने वाली फैक्टरी के लिये भारत सरकार से इन हिस्सों में लगाने के लिये प्रयास किया है । यदि हां, तो इस प्रयास में क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

पर्वतीय क्षेत्रों में जहां मोटर सड़कें हैं वहां से फलों के यातायात की सुविधायें हैं । रानीखेत, भुवाली आदि मुख्य स्थानों पर रेलवे की आउट एजेंसियां भी हैं । लखनऊ तथा मथुरा में रेलवे ट्रांसिपमेंट की विशेष व्यवस्था है । उत्तरी तथा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धकों से अतिरिक्त वैगन देने का अनुरोध किया गया है । मार्केटिंग को सरल बनाने के लिये ग्रेडिंग की सुविधा दी जाती है । ग्रेडिंग तथा पैकिंग की ट्रेनिंग भी फलोत्पादकों को दी जाती है । पर्वतीय विकास निगम के माध्यम से देहली, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर कानपुर तथा आगरा में फलों के विक्रय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । कृषि उद्योग निगम के माध्यम से फलों के संरक्षण की व्यवस्था की गयी है ताकि फलों की अधिक खपत हो सके । सरकार द्वारा फल संरक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । फ्रांस के कोलैबोरेशन से किसी फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है ।

मेरठ, नगरपालिका कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल की नोटिस

*38—श्री मंजूर अहमद तथा श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के द्वारा उक्त नगरपालिका कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ ? नोटिस की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । नोटिस की प्रलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 371-372 पर)

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अस्थायी पदों को स्थायी करना

*39—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा उसके अधीन कार्यालय में ऐसे आयोजनेतर पद हैं जो पिछले दस वर्षों से अधिक समय से अस्थायी चले आ रहे हैं ? क्या सरकार उन सारे पदों को जो तीन वर्ष से अधिक समय से विद्यमान हैं स्थायी किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एक्जीक्यूटिव आफीसर, नवाबगंज द्वारा पेड़ काटने वालों का पकड़ा जाना

*40—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)—

दिनांक 13 जुलाई, 1971 के उपवेशन के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 26 न 27 नत्थी 'ग' के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या पेड़ काटने वाले रंगे हाथों एक्जीक्यूटिव आफीसर, नवाबगंज, नगरपालिका बाराबंकी द्वारा पकड़े गये थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां।

*41—श्री शिव कैलाश—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बतलायेंगे कि क्या जिलाधिकारी, बाराबंकी ने भी शासन को यह रिपोर्ट दी थी कि प्रश्नगत नगरपालिका के प्रस्ताव के विरुद्ध जंगल के पेड़ काटे गये। यदि हां, तो शासन द्वारा अध्यक्ष नवाबगंज नगरपालिका को निलम्बित करने के आदेश किन परिस्थितियों के कारण रद्द किये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। शासकीय आदेश संख्या 3067ए(1)/11-ए-27(3)-71, दिनांक 19-3-1971 द्वारा श्री अजीज अहमद खां, अध्यक्ष पद से निलम्बित किये गये थे। श्री खां के स्पष्टीकरण दिनांक 7-4-71 पर शासन ने पुनः विचार किया और यह पाया कि उनका कृत्य अधिकारों के दुरुपयोग की श्रेणी में नहीं आता। अतः शासन ने अपने आदेश संख्या 3277-ए/11-ए-27(3)/71, दिनांक 28-4-71 द्वारा निलम्बन के आदेश दिनांक 19-3-71 को रद्द कर दिया, परन्तु श्री खां को जो आरोप-पत्र दिया गया था उस पर कार्यवाही की जा रही है।

ई०एस०आई० डिस्पेंसरी के जूनियर क्लर्क का इन्क्रीमेंट

*42—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ जिलान्तर्गत ई० एस० आई० डिस्पेंसरी में कितने ऐसे जूनियर क्लर्क हैं जिनको इंक्रीमेंट 1965 से अब तक नहीं मिला है और न मिलने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ जिलान्तर्गत ई० एस० आई० डिस्पेंसरी में कोई जूनियर क्लर्क ऐसा नहीं है जिसको 1965 से इंक्रीमेंट अब तक न मिला हो। प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

सेठमुकन्दलाल राजकीय अस्पताल, गाजियाबाद में बालक छत्रपाल की मृत्यु

*43—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 जून, 1970 की सायंकाल 9 वर्ष का बालक छत्रपाल राजकीय अस्पताल सेठ मुकन्द लाल, गाजियाबाद, जिला मेरठ में दाखिल किया गया था और क्या यह सत्य है कि उस समय ड्यूटी पर कार्य कर रहे डाक्टर की लापरवाही के कारण उक्त बालक की मृत्यु हो गई ? क्या सिविल सर्जन, मेरठ ने बालक के पिता के आवेदन-पर इस मामले की जांच की? यदि हां, तो उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

श्री खचेड़ू सिंह के 9 वर्षीय बालक जो दिनांक 2 जून, 1970 सायंकाल राजकीय अस्पताल गाजियाबाद, जिला मेरठ में दाखिल किया गया था, की स्थिति इस प्रकार है:—

श्री खचेड़ू सिंह अपने बालक को दिनांक 2 जून, 1970 को पहले प्रातः काल अस्पताल में लाये । ड्यूटी पर डाक्टर ने बच्चे की जांच करने के बाद उसे दवाई दे दी और कह दिया कि यदि बाद में आवश्यकता हो तो उसे अस्पताल में फिर ले आयें । श्री खचेड़ सिंह सायंकाल इस बच्चे को फिर अस्पताल ले आये जब उसे दाखिल कर लिया गया । दूसरे दिन बच्चे की हालत अच्छी रही, पर उसी रात को बच्चे की हालत कुछ बिगड़ी । तब ड्यूटी पर नर्स ने उसे सोने की गोलियां दे दी । दूसरे दिन सुबह डाक्टर ने आकर बच्चे को देखा पर खचेड़ू सिंह बच्चे को लगभग 11 बजे अस्पताल से अपनी मरजी से दिल्ली ले गये जहां इसकी इरविन अस्पताल में उसी सायंकाल मृत्यु हो गई ।

सिविल सर्जन की जांच से यह निष्कर्ष निकला कि दिनांक 2 जून, 1970 की सुबह को जो डाक्टर ड्यूटी पर थे उन्हें बच्चे को, चूंकि उसने नीला थोथा खाया था, परीक्षण के लिये भरती कर लेना चाहिये था । डाक्टर को इस लापरवाही के लिये उन्हें एक चेतावनी दे दी गयी है ।

*44—श्री लालसा—

[10 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

[[र जेन्द्र नगर कालोनी, लखनऊ में दुकानों के निर्माण का स्थगन

*45—श्री महीलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ राजेंद्र नगर कालोनी में लड़कियों के विद्यालय-नवयुग गर्ल्स डिग्री कालेज तथा सोहन लाल मुराई कन्या स्कूल के समीप प्लाट नं० 247 पर नगरमहापालिका द्वारा बनाई जाने वाली चार दुकानों का निर्माण शासन द्वारा 24 दिसम्बर, 1970 को निषेध करने तथा पुनः 27 मई, 1971 को स्टे करने के क्या कारण थे और क्या वे कारण अब भी मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मोटर गैरेज के नाम से उन चार दुकानों के हुए निर्माण कार्य को जनहित में गिरवाने का कदम उठायेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

राजेंद्र नगर कालोनी में प्रश्नगत दुकानों का निर्माण राजाज्ञा दिनांक 24-12-1970 के द्वारा इस कारण रोक दिया गया था कि उनका निर्माण वहां के बालिकाओं के दो विद्यालयों नवयुग कन्या विद्यालय तथा सोहन लाल मुराई हायर सेकेंडरी स्कूल एवम् वहां के निवासियों के

हित में प्रतिकूल समझा गया था । तत्पश्चात् शासन की जानकारी में यह लाया गया कि महापालिका इन दुकानों का निर्माण गैरेज के नाम से करा रही है । शासन ने आदेश दिनांक 27-5-71 द्वारा इस निर्माण कार्य को स्थगित करा दिया है ।

पंचायत अधिकारी, बस्ती के कोषागार में गबन तथा उसका स्थानान्तरण

*46—श्री मुहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सन् 1970 ई० में पंचायत अधिकारी, जिला बस्ती के कोषागार से लगभग 12 हजार रुपये का गबन हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, 12,255.95 रु० का गबन पकड़ा गया है ।

*47—श्री मुहम्मद नबी खां—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने पंचायत अधिकारी बस्ती का स्थानान्तरण सरकार ने किया और पुनः सरकार ने स्थानान्तरण स्थगित कर दिया है ? इसका कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस वर्ष बस्ती जिले के केवल एक पंचायतराज अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया और बाद में प्रशासनिक दृष्टि से यह आदेश निरस्त कर दिया गया ।

दारुलशफा डिस्पेंसरी तथा बलरामपुर एवं सिविल अस्पताल में विधायकों के लिए दवाइयों हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसका प्रयोग

*48—मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष सन् 1968-69, 1969-70 में बलरामपुर चिकित्सालय, दारुलशफा डिस्पेंसरी एवं सिविल अस्पताल में विधायक गणों के लिये कितनी धनराशि दवाइयों के लिये स्वीकृत थी और कितनी प्रयोग में आयीं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 373 पर)

*49—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

[8 वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*50-51—श्रीमती मसाली देवी—

[10 वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के विरुद्ध शिकायत

*52—श्री महराम सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च अप्रैल, 1971 में फर्रुखाबाद जिले से सरकार को और जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को जिले के कई किसानों की ओर से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें कोल्ड स्टोरेजों में आलू रखने में तय किये गये धन से लगभग दूना धन लिये जाने आदि की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो सरकार और जिलाधीश ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां। इन शीत गृहों के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि शीतगृहों पर राज्य सरकार का अभी कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश के निजी तथा अन्य शीतगृहों पर नियंत्रण करने के लिये शासन द्वारा कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती भगवान देई कोढ़ी लेपर अस्पताल कानपुर का भवन निर्माण

*53---श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

क्या स्वास्थय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष सन् 1971-72 में कानपुर स्थित कोढ़ी अस्पताल के भवन निर्माण के लिये कोई धनराशि रक्खी गई है? यदि हां, तो अस्पताल कब तक बन सकेगा? क्या यह सही है कि इस अस्पताल में रोगियों के देखभाल के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है और न रोगियों के लिए दवाई आदि की ही व्यवस्था है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी नहीं। वर्ष 1971-72 में श्रीमती भगवान देई लेपर अस्पताल, कानपुर के निर्माण के लिये कोई धनराशि नहीं रखी गई है।

यह अस्पताल एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है और शासन को ज्ञात हुआ है कि इसमें रोगियों की देख भाल तथा दवा की व्यवस्था उचित नहीं है।

बिजनौर जिले के बफर गोडाउन में खाद का कथित गबन

*54---श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बिजनौर के बफर गोडाउन में 1967 से अब तक करीब 50 हजार से अधिक मूल्य की खाद का गबन है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम---

जिला बिजनौर के बफर गोदाम में 1-4-1967 से 21-8-1971 तक कोई गबन नहीं हुआ है लेकिन 79,670 रु० के मूल्य की हानि इस प्रकार पाई गई:---

	रु०
1---रेलवे मार्गगत हानियां	4,735.00
2---स्टेन्डर्डाइजेशन की हानियां	49,744.00
3---मिक्सचर बनाने के समय हानियां ..	1,395.00
4---फटे बोरे बदलते समय पाई गयी हानियां	3,910.00
5---संग्रह हानियां	19,886.00
योग ..	79,670.00

इन हानियों की सर्वे रिपोर्ट के निस्तारण की उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

जिला बिजनौर के कृषि अधिकारी का स्थानान्तरण

*55---श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के जिला कृषि अधिकारी का स्थानान्तरण पिछले दो वर्षों में कितनी बार किया गया तथा पुनः रोक दिया गया? यदि ऐसा हुआ तो, क्यों?

डाक्टर सीताराम--

वर्तमान जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर का उस जिले से तीन बार स्थानान्तरण हुआ है, जिसे लोक हित में रोक दिया गया है ।

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में अतिरिक्त शय्याएं तथा आर्थोपैडिक अस्पताल का निर्माण

*56--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के आर्थोपैडिक सेक्शन (हड्डी विभाग) में चारपाइयों की कमी को देखते हुये क्या उक्त विभाग में कम से कम पचास अतिरिक्त चारपाइयों के बढ़ाने और पृथक आपरेशन थियेटर बनाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई--

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के आर्थोपैडिक विभाग में अतिरिक्त शैयाओं की वृद्धि की योजना शासन के विचाराधीन है, किन्तु आर्थोपैडिक के आपरेशन थियेटर के बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*57--श्री भगवतीसिंह विशारद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मेडिकल कालेज में चौथी पंचवर्षीय योजना में निश्चित फिजिकल मेडिसिन विभाग सहित आर्थोपैडिक अस्पताल का निर्माण कराया जायगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेई--

जी नहीं ।

राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव झांसी, में विद्यार्थियों क प्रवेश

*58--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव, जिला झांसी में 29 जून से 5 जुलाई, 1971 तक दाखले के लिये हो रही परीक्षा एवं साक्षात्कार हुआ ? क्या कृपया उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण एवं साक्षात्कार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सूची तथा छांटे गये लड़कों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीता राम--

जी हां । राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव, जिला झांसी में दिनांक 29 जून से 5 जुलाई, 1971 तक की अवधि में दाखिले के लिए परीक्षाएं ली गई थीं तथा साक्षात्कार हुआ था । उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण एवं साक्षात्कार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सूची तालिका† 'क' में तथा प्रवेश के लिए छांटे गये अभ्यर्थियों की सूची तालिका 'ख' में संलग्न है ।

उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*59--श्री मोहनलाल कपूर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ का मांग-पत्र सरकार को हाल में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

---

† छापी नहीं गई ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

जी हां। उक्त संघ की मांगों का सम्बन्ध उनकी पिछली सेवाओं का सेवा-क्रम बनाये रखने, पदों के स्थायीकरण, पदोन्नति पथ के विस्तार, वेतन-क्रम का पुनर्निर्धारण, निश्चित यात्रा-भत्ते का पुनर्निर्धारण तथा वेतन निश्चयीकरण से है। उक्त मांगों का परीक्षण किया जा रहा है।

*60—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

[10 वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*61—श्री तिरमल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ के प्रबन्धक (प्राविधिक) की मुअत्तली

*62—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि एवं पशुपालन मन्त्री बतायेंगे कि आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ के प्रबन्धक (प्राविधिक) कब से मुअत्तल हैं, जांच की क्या प्रगति है तथा मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं? प्रबन्धक (प्राविधिक) पद का कार्य आज कल कौन देख रहे ह? यदि कोई नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

बख्शी का तालाब केन्द्र के प्रबन्धक (प्राविधिक) 7 नवम्बर, 1970 के अपराह्न से निलम्बित हैं। सम्बन्धित अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण 27 जुलाई, 1971 को दे दिया है जिसकी छानबीन जांच अधिकारी कर रहे हैं।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें आदि करने के आरोप हैं।

प्रबन्धक (प्राविधिक) अनुभाग-2 का कार्य प्रधानाचार्य ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक की सहायता से देख रहे हैं।

मुजफ्फर नगर के कर अधिकारी को नियुक्ति अवैध किये जाने की मांग

*63—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जिला परिषद्, मुजफरनगर के कर अधिकारी श्री मोहम्मद शफी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 मई, 1971 को अवैध घोषित कर दी गई है और जिला परिषद् तथा प्रदेश की सरकार को तदनुसार सूचना भी दे दी है? क्या यह सही है कि कर अधिकारी की हैसियत से जो भी उनके द्वारा कर लगाया गया था वह भी सब अवैध अनियमित घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से और इस प्रकार परिषद् को कितनी आर्थिक हानि होगी? और कौन उसका जिम्मेदार होगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समादेश याचिका संख्या 435/1968—प्रकाश चन्द महेश्वरी बनाम जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर का निर्णय दिनांक 7 मई, 1971 को दिया। इस निर्णय के अनुसार श्री मोहम्मद शफी कर अधिकारी, मुजफ्फरनगर की नियुक्ति

दिनांक 8 अगस्त, 1967 से अवैध पायी गयी है। उक्त निर्णय की सूचना मिलने पर श्री मोहम्मद शफी को उनके मूल पद लेखाकार पर दिनांक 16 अगस्त, 1971 से प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। उनके स्थान पर कार्य अधिकारी को ही कर अधिकारी नियुक्ति कर दिया गया है।

समादेश याचिका में मोहम्मद शफी, कर अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दिनांक 25 मार्च, 1968 जो 2000 रु० के बारे में था, को चुनौती दी गई थी। यह आदेश इसलिये अवैध घोषित किया गया है क्योंकि आदेश के दिनांक को श्री मोहम्मद शफी वैध रूप से नियुक्त कर अधिकारी नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विशेषरूप से केवल उल्लिखित आदेश पर ही लागू होता है यद्यपि उसका प्रभाव मंडल आयुक्त आदि के यहां अनिर्णीत अपीलों तथा बकाया धनराशियों की वसूली पर पड़ सकता है।

*64---श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री लक्ष्मण स्वरूप---

क्या यह भी सही है कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त फैसले के आधार पर जिला परिषद् अध्यक्ष (जिला-अधिकारी) ने 3 जून, 1971 को आदेश देकर अधिकारी को उनके पहिले पद लेखाकार पर परिवर्तित कर दिया जो जिला परिषद् के इन्डेक्स रजिस्टर में 55 नं० पर दर्ज है किन्तु 6-7 दिन पश्चात् उक्त आदेश को वापिस ले लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष, जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 3 जून, 1971 को श्री मोहम्मद शफी कर अधिकारी को लेखाकार के पद पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये थे। श्री मोहम्मद शफी के निवेदन पर आदेश वापिस नहीं लिये गये थे बल्कि कानूनी राय की प्रतीक्षा तक के लिये स्थगित कर दिये गये थे। शासन ने दिनांक 9 अगस्त, 1971 को राय दी और उसके अनुसार श्री मोहम्मद शफी को दिनांक 16 अगस्त, 1971 से उनके मूल पद लेखाकार पर प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।

*65-66---श्री कन्हैया लाल---

[7 वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*67---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

[8वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*68---श्री मनोहर लाल---

[6ठे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास खण्ड पन्द्रह, जिला बलिया के अनुदान

*69---श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

क्या यह सही है कि पिछले दो साल 1969-70, 1970-71 से विकास खन्ड पन्द्रह, जिला बलिया, में अल्प-सिंचाई विभाग का अनुदान ग्रान्ट नहीं दिया गया है ? यदि हां तोह क्यों तथा इस समय कितने व्यक्तियों को अनुदान देना उस विकास खण्ड में शेष है ?

डाक्टर सीताराम---

यह सही नहीं है कि पिछले दो वर्षों 1969-70 व 1970-71 में विकास खंड पन्द्रह जला बलिया में अल्प सिंचाई विभाग का कोई अनुदान नहीं दिया गया। वर्ष 1969-70 पि 22,997.50 रु० 66 व्यक्तियों को तथा 1970-71 में 9,269.75 रु० 46 व्यक्तियों को अनुदान विकास खंड, पन्द्रह में दिया गया अब केवल दो व्यक्तियों को अनुदान देना शेष है।

*70 श्री—निर्भय नारायण सिंह—

[9 वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दरियाबाद के तराई क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी

*71—श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दरियाबाद निर्वाचन क्षेत्र के तराई क्षेत्र में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर पानी पीने के साधन नहीं हैं ?

श्री बल्देल सिंह आर्य—

जिला बाराबंकी के दरियाबाद निर्वाचन क्षेत्र के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित ग्रामों में पानी पीने का साधन नहीं है:—

1—बिबियापुर,
2—बल्दी सिंह का पुरवा,
3—जगौसापुर,
4—पर्वतपुर,
5—बघौली का पुरवा,
6—परसावल,
7—नैपुरा,
8—मांझा रायपुर,
9—अतरौली,
10—कमरौली,
11—लोढ़ेमऊ मांझा,
12—यज्ञनगर,
13—नवपुरवा भड़वाला,
14—टिकरी,
15—ढेमा,
16—कमियार,
17—किठली।

एल०एस०जी०ई० डी० विभाग, पिथौरागढ़ में गबन

*72—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल० एस० जी० ई० डी० विभाग के अधिशासी अभियंता, पिथौरागढ़ में हिसाब की जांच एकाउन्ट आफिसर, पिठौरागढ़ द्वारा हाल में की गई है ? यदि हां तो क्या उस विभाग में 5 लाख रुपये की अनियमिततायें एवं पचास हजार का गबन पाया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। जिलाधीश, पिथौरागढ़ ने स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग की पिथौरागढ़ शाखा के लेखों की सहायक लेखा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा की गई विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट शासन को भेजी है, जिसमें 50,138.42 रुपया का गबन तथा 4,53,428.45 रुपया की अन्य वित्तीय अनियमिततायें दर्शायी गई हैं।

विधान सभा

फैजाबाद के श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, ग्राम सेवक द्वारा आत्मदाह [ ]

*73—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक 22 मार्च, 1971 को फैजाबाद जिले में तैनात श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, ग्राम सेवक ने आत्मदाह करके शरीर त्याग दिया और आत्मदाह करने का नोटिस सरकार को दिया था ? यदि हां तो विवरण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। फैजाबाद जनपद में श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी नाम का कोई ग्राम सेवक दिनांक 22-3-71 को कार्यरत नहीं था। अतः उसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

विभिन्न अस्पतालों का प्रांतीयकरण

1—श्री तेज बहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि वर्ष 1969-70 में कौन-कौन डिस्पेन्सरियों का किस-किस जिले में प्रान्तीयकरण किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वर्ष 1969-70 में निम्नलिखित अस्पतालों को प्रान्तीयकरण के लिये स्वीकार किया गया था:—

1—मऊनाथ भंजन चिकित्सालय, जिला आजमगढ़।
2—वी० पी० महिला अस्पताल, टांडा, जिला फैजाबाद।
3—पुरुष अस्पताल, टांडा, जिला फैजाबाद।
4—मैटर्निटी अस्पताल, नवल किशोर रोड, लखनऊ।
5—जिला परिषद् अस्पताल, मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर।
6—जिला परिषद् अस्पताल, कसिया, जिला देवरिया।
7—जिला परिषद् अस्पताल, जमनिया, जिला गाजीपुर।
8—जिला परिषद् अस्पताल, खैर, जिला अलीगढ़।
9—जिला परिषद् अस्पताल, बागपत, जिला मेरठ।

इनके सम्बन्ध में औपचारिक कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी

2—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य तथा श्री राजेंद्र कुमार शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं एवं सरकार कब तक इन केंद्रों पर डाक्टर भेज देगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदेश में इस समय 20 एलोपैथिक व 15 इंटिग्रेटेड ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें चिकित्सक नहीं है। इन रिक्त केंद्रों में चिकित्सक तैनात करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्ल रे लाल शर्मा अस्पताल मेरठ में एक्सरे मशीन

3—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्यारे लाल शर्मा अस्पताल मेरठ नगर के दंत चिकित्सा विभाग में एक्सरे की मशीन नहीं है ? यदि हां, तो इस मशीन का सरकार कब तक प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इस अस्पताल के डेंटल सेक्शन में एक्स-रे मशीन की व्यवस्था थी, लेकिन यह मशीन फरवरी, १९६९ से खराब हो गयी है। इसके स्थान पर नई मशीन सप्लाई करने पर विचार हो रहा है।

प्रतापगढ़ में ग्राम सेवकों की नियुक्ति

4—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में विकास खंड सदर जिला प्रतापगढ़ में शासन द्वारा निर्धारित ग्राम सेवकों की संख्या से अधिक ग्राम सेवक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कितने तथा क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

5—श्री मंजूर अहमद, श्री हुकुम सिंह परिहार—

[पुनरावृत्ति के कारण स्थगित।]

होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में विधान भवन के सामने किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज सदन दो सप्ताह के लिये उठने जा रहा है। श्रीमन्, एक दिन इस विधान सभा में कुछ पर्चे होम्योपैथी के विद्यार्थियों ने फेंके थे। हमने इसलिये इस प्रश्न को नहीं उठाया कि यह चीज उचित नहीं थी क्योंकि यहां पर निर्णय हो चुका था कि इस प्रकार के पर्चे नहीं फेंकने चाहिये थे। वह विद्यार्थी विधान भवन के सम्मुख इस ठंड और बरसात में एक हफ्ते से बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या उन्होंने अपना अनशन छोड़ा नहीं है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं। आज हजारों विद्यार्थी माननीया डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी के बंगले पर गये थे। हर प्रश्न पर जब माननीय मुख्य मंत्री नहीं रहते हैं तो उनको डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी रिप्रेजेंट करती हैं। हमें इसकी खुशी है और यदि वह मुख्य मंत्री बन जायं तो हम नाखुश नहीं होंगे। जो अपने नये पद की गरिमा को उन्होंने स्वीकार किया है, यह उनके विभाग का प्रश्न है और यह उनकी उचित मांग है। होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा परीक्षायें होती रहीं हैं, यह बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमेशा कठिनाइयां पैदा होती रही हैं, हमेशा असन्तोष रहा है और कानपुर विश्वविद्यालय में होम्योपैथिक फैकल्टी खुल

[श्री कृष्णानन्द राय]

गई है । मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो लड़के खेमे डाले ऐसी सर्दी और बरसात में पड़े हुये हैं, एक लड़का बेहोश हो गया था, इस खेमे को उठवा दिया जाय । आप उनसे अवश्य बात कर लें क्योंकि 14 दिन तक कोई सुनने वाला नहीं रहेगा । इस लिये आप से हमारी अपील है कि आप इसका समाधान करा दें ।

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है मेरी भी चिन्ता उनसे कहीं अधिक है । मैं स्वयं चाहती हूं कि इन बच्चों ने जो खेमा रखा है, जो हड़ताल कर रखी है, उससे मुझे काफी तकलीफ है, मैंने इन बच्चों से कई बार बातचीत भी की है और होम्योपैथिक बोर्ड के अधिकारियों से भी बात की थी और मैंने सदन में एक वक्तव्य भी दिया था । बात केवल इतनी है कि इन विद्यार्थियों का कहना है कि जो यह होम्योपैथिक बोर्ड है वह अनियमिततायें करता है और उसके प्रति उनका असंतोष है इसलिये इसको तोड़ देना चाहिये ।

श्रीमन्, 31 अक्टूबर तक इस बोर्ड का कार्यकाल है और फिर से रिकंस्टीट्यूट होने वाला है । इसमें सरकार की तरफ से लोग नामिनेट किये जाते हैं और कुछ चुने जाते हैं । मैंने उनको समझाया था कि हम इस बोर्ड को रिकंस्टीट्यूट कर रहे हैं । इसके साथ ही साथ वे एक सैपरेट डायरेक्टरेट की भी इसके लिये मांग करते हैं । होम्योपैथी के इतने कालेजेज नहीं हैं कि एक अलग से डायरेक्टरेट बनाया जाय । लेकिन फिर भी शासन ने निर्णय लिया है कि एक डिप्टी डायरेक्टर के पद का अधिकारी होगा जो होम्योपैथी की चिकित्सा प्रणाली के समस्त कार्य को देखेगा और इस तरह से इस पर खास तौर से ध्यान दिया जा सकेगा । उनकी मांग यह है कि जो 5 साल का डिग्री कोर्स बन्द कर दिया गया था उसको फिर चालू कर दिया जाय । अभी केवल दो विद्यार्थी हैं और नये लड़कों की भरती इसलिये नहीं की गई थी क्योंकि लड़कों की संख्या दिन प्रति दिन कम होती गई थी और अब केवल दो रह गये हैं । लेकिन इस वर्ष काफी साइंस के विद्यार्थियों ने इसमें दाखिला लिया है, केवल एक विद्यार्थी हाईस्कूल सेक्शन का है । इसलिये सरकार ने यह तय किया कि इसको चालू रखा जाय । उस दिन भी मैंने यह स्पष्ट किया था कि डिग्री कोर्स चलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । केंद्रीय सरकार ने इसके लिये एक 6 साल का कोर्स चलाया है । 4 साल का डिप्लोमा कोर्स और उसके बाद 2 साल का डिग्री कोर्स । अभी हमारे यहां जो डिग्री कोर्स है वह 5 साल का है । इन सब बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हम डिग्री कोर्स को चालू रखना चाहते हैं और फिलहाल जो चल रहा है वह भी चालू है । हम डिग्री कोर्स को बन्द करना कहां चाहते हैं । तो हमने उनकी सारी मांगों को तो स्वीकार कर लिया है । अतः माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगी कि वह इसमें हमारी मदद करें और उन बच्चों को समझायें कि वे अपनी भूख हड़ताल को समाप्त करें । सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि उनकी उचित मांगों को स्वीकार न किया जाय । स्वीकार कर लिया है और उनके लागू करने में तो समय लगेगा । वह सब आज नहीं हो सकता ।

शासक दल के 51 सदस्यों द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये आरोप-पत्र के सम्बंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकारी की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैंने आपको लिखकर दिया था कि इस सरकार की स्थिति बड़ी विचित्र हो गयी है । माननीय मुख्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं रहते हैं और हमारे प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं मिलता है । मंत्री लोगों में आपस में ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे की

मदद करने को तैयार नहीं हैं । मुझे यह सूचना मिली है कि शासक दल के 51 आदमियों ने माननीय मुख्य मंत्री को माल मंत्री के विरुद्ध लिखकर दे दिया है । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि माल मंत्री के विरुद्ध ऐसी कोई चीज मुख्य मंत्रीजी को दी गयी है। मैं तो स्वयं राज्य मंत्री माल विभाग के विरुद्ध कुछ कहने वाला था, माल मंत्री के विरुद्ध मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन उनके विरुद्ध यह चीज आ गयी । मैं इसके और तथ्यों में जाना नहीं चाहता लेकिन इन सब बातों को देखते हुए ऐसी अनिश्चितता और असंतोष का वातावरण दिखायी पड़ रहा है जिससे मालूम होता है कि सरकार के लोगों में आपस में मेल नहीं है और यह सरकार चलने वाली नहीं है, ऐसा आभास लगता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि 51 सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को माल मंत्री के विरुद्ध लिख कर दिया है । इसमें कोई तथ्य है या नहीं कृपा करके आप इस पर प्रकाश डलवा दें । जब फिर समय आयेगा तब मैं और बातें रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

पहले तो यह प्रश्न जो उठाया गया था उसका निबटारा हो जाना चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

उसके बारे में तो माननीया मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया कि डिग्री कालेज की मांग मानने को तैयार हैं । उस बारे में बात कर ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

माधव प्रसाद जी ने जो प्रश्न लिखकर मेरे पास भेजा था उसको मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है और उनसे पूछा है कि क्या उनको यह चीज लिख कर दी गयी है या नहीं । आप यह कृपया सदन में आकर बतायें ।

नगर प्रमुख, इलाहाबाद के निर्वाचन स्थगन से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न पर स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा कानूनी राय से सदन को अवगत कराने का आरोप

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, प्रश्नोत्तर के समय जब मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा और दूसरा अनुपूरक प्रश्न माननीय जयराम वर्मा जी ने पूछा तो माननीय स्वशासन मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि वे न्याय विभाग से मशविरा ले लेंगे । मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो उन्होंने दुबारा नामिनेशन्स के आर्डर्स दे दिये हैं और दूसरी तरफ हाउस को उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे न्याय विभाग का मशविरा ले लेंगे । दोनों बातें भिन्न हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दुबारा आर्डर्स करने के पेश्तर क्या माननीय मंत्री जी ने न्याय विभाग से मशविरा नहीं लिया और न्याय विभाग से मशविरा लेने तक अपने नामिनेशन के आर्डर्स को स्थगित रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

नामिनेशन की कौन डेट है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

नामिनेशन हो चुका । उन्होंने पढ़ कर सुनाया । पूरा कानून के खिलाफ काम हो रहा है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

यह प्रश्न तब उठा जब यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दल के नामिनेशन खारिज कर दिये गये इस कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा । मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई नामिनेशन पेपर्स खारिज हुये थे । अगर नामिनेशन खारिज हुये थे तो उसके बाद अवश्य इस बात पर विचार किया जायगा, उनसे परामर्श किया जायगा कि फिर से नामिनेशन होना वैधानिक है या नहीं, होना चाहिये या नहीं । यह प्रश्न तो बाद को उठा ।

श्री अध्यक्ष---

आप आज ही पूछ लें और शाम तक बतला दें ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

इनको मालूम है कि नौनिहाल सिंह का नामिनेशन पेपर खारिज हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अगर उनकी राय हुई कि वह खारिज हुआ है . . . .

(व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)---

मैं उस वक्त स्पष्टीकरण के लिये खड़ी हुई थी और फिर कहना चाहती हूं कि जो चुनाव स्थगित किया गया वह इसलिये कि इलाहाबाद के नगर प्रमुख ने इस्तीफा दिया था और बीच में डेढ़, दो महीने का वक्त था उसके लिय वह चुनाव होन वाला था । अब एक रेगुलर चुनाव हो रहा है । उस वक्त यह प्रश्न उठा था कि डढ महीन के लिये चुनाव किया जाय या नहीं । माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया कि खारिज हुआ या नहीं तो उसको और इस चुनाव को, दोनों को जोड़ने का सवाल नहीं उठता । यह अलग चुनाव हो जाता है । केवल इतना था कि खारिज हुआ या नहीं, इस पर मुझे यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडीडेट श्री शम्भूनाथ अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे । मैं चुनाव के लिये ही इलाहाबाद गयी थी । सवाल इसका नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडीडेट नहीं था । हमारे दो कैंडीडेट्स थे, एक डमी कैंडीडेट और एक दूसरा । एक का चुनाव-पत्र इसलिये खारिज हुआ था कि उन्होंने स्वयं उपस्थित हो कर दाखिल नहीं किया था । लेकिन जो दूसरे कैंडीडेट थे उनको हम चुनाव लड़ा रहे थे । तो चुनाव इसलिये स्थगित नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के कैंडीडेट का पर्चा खारिज हो गया था । हम तो चुनाव लड़ा ही रहे थे और इसके लिये मैं वहां गयी भी थी । लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विशेष परिस्थिति में चुनाव स्थगित किया गया, वह बात सही है । ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडीडेट नहीं था ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

सिर्फ नामिनेशन पेपर खारिज होने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि एक महीने के अन्दर जब एक बार नामिनेशन पेपर फाइल हो गया था तो दोबारा मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी । इसके लिये मंत्री जी ने कहा कि हम न्याय विभाग से पूछेंगे । एक सवाल खारिज होने का है और दूसरा यह कि दोबारा नामिनेशन पेपर क्यों मांगे गये अगर चार दिन के बाद चुनाव होने वाला है? अगर यह गैर कानूनी है तो मंत्री जी उसको स्थगित कराने का आदेश देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आज आप पूछ लेंगे और शाम को जवाब दे देंगे कि लीगल ओपीनियन क्या है ।

शासक दल के 51 सदस्यों द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये आरोप पत्र के सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो प्रश्न किया है उसके अन्दर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे सदन के अन्दर संगठन कांग्रेस के श्री विश्वनाथ कपूर ने कहा कि सदन के अन्दर सत्तारूढ़ कांग्रेस के 51 सदस्यों ने गम्भीर आरोप भ्रष्टाचार के माननीय उदित नारायण शर्मा के विरुद्ध लगाये हैं और बैठक के अन्दर लगाये हैं। अब उनकी संख्या 60 तक हो गयी होगी क्योंकि वह संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सदन के अन्दर जब वे कल बैठे रहे तो बिलकुल मौन रहे, क्या वह स्वीकृति का लक्षण है? साथ ही उनके विरुद्ध जो हस्ताक्षर अभियान किया गया है, वह माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंच गया या नहीं? श्रीमन, हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने ऐसा ही एक प्रस्ताव पास करके इनके विरुद्ध कार्यवाही करने को बात कही है। यदि ऐसा नहीं है या गलत है, तो कल वे यहां रहे और इतना सब कुछ हो रहा है उनके बारे में, तो वे मौन क्यों हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उसको चुपचाप सम्भाले बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है? इतना बड़ा चार्ज यहां लगाया गया, सदन के अन्दर लगाया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी आश्चर्य कर रहे हैं, सदन के अन्दर चार्ज लगा और अखबारों में भी छपा। तो मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी, एक पत्र जो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने इस प्रकार का लिखा और उसकी सूचना चाही है, उसको मैंने आपके पास भेज दिया है। उस सम्बन्ध में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

कल जो कहा गया कि 51 आदमियों ने कुछ लिख कर मेरे पास भेजा है, वह पत्र मुझे थोड़ी देर पहले ही मिला। जब इतने सारे पत्र आते हैं तो उनको देखना पड़ता है। मुझे इस बात का स्मरण नहीं है कि हमारे पास 51 आदमियों के दस्तखत से, हमारे किसी साथी के प्रति कोई चार्ज लगा कर भेजा गया है। लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से इस बात को देख न लूं तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता कि यह पत्र मुझे मिला या नहीं मिला। लेकिन एक बात मैं मान्यवर, जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी के कुछ भीतरी झगड़े होते हैं जो अखबारों में छप जाते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके भीतरी झगड़े न हों। हमारी पार्टी के भीतर आपकी पार्टी के भीतर। यदि कोई किसी से असन्तुष्ट है और उसकी कोई शिकायत हमारे किसी साथी के प्रति थी या है तो वह देखना हमारा काम है, हमें देखना चाहिये। और यदि कोई ऐसी शिकायत है जिसके कारण कोई कदम उठाने की जरूरत है तो उस कदम को उठाना हमारा काम है लेकिन किसी ऐसी बात को सुन कर और हाउस में उठा कर तत्काल उसके ऊपर जवाब तलब करने का काम किया जाता है तो मान्यवर, सरकार के सामने बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि जब चार्ज लगाया गया कि 51 आदमियों ने ऐसा लिख कर दिया है तो कल रोक देते तो बात सुधर सकती थी। समय ले लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जहां तक समय देने की बात है, मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि विरोधी दल की ओर से जो पत्र हमारे पास आवें, जैसे किसी काम के विषय में किसी की शिकायत हो तो उस पत्र की स्वीकृति करके, फिर उसकी थोड़ी बहुत छानबीन करके कोई न कोई उत्तर उनके पास भेज दूं। हमारे दल के जो पत्र आते हैं उनको देखना या तो हमारा काम होता है या यदि कोई अनुशासन सम्बन्धी काम हुआ तो उसको मैं अध्यक्ष, प्रान्तीय कांग्रेस समिति के पास भेज देता हूं कि इस पर वे कार्यवाही करें। जैसे किसी ने किसी को यह कह दिया कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में फलां आदमी ने फलां का विरोध किया और हमारे किसी आदमी के खिलाफ शिकायत आयी तो मुझे लामुहाला उसे प्रेसीडेंट के पास भेजना होता है कि वे इसकी जांच करें कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है और कायदे कानून के अनुसार काम करें। यदि कोई भ्रष्टाचार, दुराचार की बात हुई है तो उसे निश्चित रूप से मुझे देखना पड़ता है और मैं उसे देखता हूं। चिट्ठियां बहुत आती हैं। यह पत्र जिसके लिये कहा गया है कि 51 आदमियों के दस्तखत से मेरे पास भेजा गया है, इसकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत से पत्र पड़े हुये हैं जिनको मैंने अभी देखा नहीं है। इधर दो तीन दिन के अन्दर बहुत से पत्र आये हैं। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई पत्र हमारे पास आया है या नहीं आया है, जब तक कि मैं उन पत्रों को न देख लूं। (व्यवधान) श्री नित्यानन्द जी, इस तरह से किसी की नीयत पर आक्षेप करते चले जाना कि कि जान बूझ कर, इसमें कोई तिकड़म की बात है, बिलकुल गलत है। आप देखते हैं कि कितना काम होता है। आप लोग भी बैठे रहे मिनिस्टरी में। जिस आदमी के पास 400-400 पत्र रोज आते हैं, उन 400 पत्रों को चार घंटे के अन्दर देख कर उन सब का उत्तर दे देना क्या सम्भव होता है कभी? मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैंने अभी ऐसा कोई पत्र नहीं देखा, तो आप नीयत पर आक्षेप करके सिर हिलायें, यह अनुचित बात है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह आपके पास भेज दिया है, अगर ऐसा कोई पत्र आया होगा तो सदन को सूचना दे दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जब मैं खड़ा होता हूं आप इधर ध्यान नहीं देते.....आप किस को बुला रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री जायसवाल को कह रहा हूं।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के आपसी मतभेद को लेकर सदन का समय खर्च किया जा रहा है, यह उनका अपना विषय है और हमारे माननीय सदस्यों को इतनी ही दिलचस्पी उसमें लेना चाहिये कि लड़ाई एक्सेलरेट हो जाय, इससे ज्यादा नहीं?

आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि शायद उन्हें जानकारी होगी कि उन के मंत्रि परिषद् में 2 सदस्य ऐसे हैं कि जो जिले में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमों में वकील रहा करते थे और इत्तिफाक से दोनों यहां मंत्रि परिषद् के सदस्य हो गये। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वह दोनों सदस्य लड़ रहे हों और उसी सम्बन्ध में यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया हो और इस तरह से यहां सदन का समय नष्ट हो रहा हो। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों पर अंकुश रखें ताकि लोग उनके झगड़े में दिलचस्पी न लें और सदन का समय भी खराब न हो।

नगरपालिकाओं के चुनावों में मतदाता सूचियों में नाजायज तरीके से नाम बढ़ाने के सम्बंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

दूसरी बात यह है कि मैं एक व्यवस्था अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं। आप देखें कि नत्थी (ड) में हमारा एक प्रश्न संख्या 16 है जो यह है कि "क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि नगरपालिकाओं के विगत चुनाव में नवाबगंज, जिला बाराबंकी, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ तथा खीरी लखीमपुर की नगरपालिकाओं के सदस्यों के नामांकन व नाम वापिसी की तिथियों के बीत जाने के बाद प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची में बहुत से ऐसे नाम बढ़ाये गये जो दिनांक 12 मई, 1971 को या उसके पूर्व उपर्युक्त चुनाव के सिलसिले में उन जिलों के चुनाव कार्यालयों द्वारा बेची गयी सूचियों में अंकित नहीं थे? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत यह संशोधन किये गये और संशोधित सूची कब प्रदर्शित की गई और बेचने के लिये कब उपलब्ध हुई?"

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्नों के बारे में है आप मेरे कमरे में बात कर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अब आप इस प्रश्न का उत्तर देखें ....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, जिस प्रश्न का उत्तर अभी सदन में नहीं आया आप उसका उत्तर यहां पढ़ें और मुझसे पूछें यह ठीक नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, आपका नियम है कि चाहें सप्लीमेंटरी पूछे जा सकें या न पूछे जा सकें...

श्री अध्यक्ष--

वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं, आप मेरे कमरे में ही बात कर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह आप के कमरे की बात नहीं है....

(व्यवधान)

इस तरह के अनुत्तरदायी उत्तर आ जाते हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप हमारी बात सुन लें। आप जरा ध्यान दें....

श्री अध्यक्ष--

ध्यान देंगे, आप हमारे कमरे में आ जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप का श्रीमन् हमारे प्रति गैर जिम्मेदारी का व्यवहार होगा।

प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने के लिये केन्द्र द्वारा दबाव डाले जाने की आशंका का मुख्य मंत्री द्वारा खण्ड

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि आज दिल्ली के विशेष सम्वाददाता द्वारा दैनिक जागरण में एक सम्वाद छपा है कि जिसकी हेडिंग है उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव के लिये केन्द्रीय दबाव .....

श्री अध्यक्ष—

आप ने यह मेरे पास भेजा भी नहीं है...

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारे लिये मध्यावधि चुनाव का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है और कदाचित सभी माननीय सदस्यों के लिये यह बहुत ही महत्व का प्रश्न बना हुआ है क्योंकि आज यह सदन उठ जायगा और फिर 14 सितम्बर को बैठेगा और पता नहीं इसी बीच में क्या दबाव पड़ जाय। तो ऐसी हालत में अगर यह खबर सही न हो तो मुख्य मंत्री द्वारा इसका खंडन होना चाहिये ताकि सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बाढ़ या अतिवृष्टि से हुयी क्षति के सम्बन्ध में इतमिनान से कार्य कर सकें, फिर वापस हों, इस खबर से तो पता लगता है कि कोई निश्चित वातावरण रह ही नहीं गया है, इस प्रदेश में। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है और दूसरे कि इस सदन के सदस्य 74 तक चलेंगे, वह अधिकार खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है केन्द्रीय दबाव के कारण। श्रीमन्, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर 1972 में मध्यावधि विधान सभा चुनाव कराने के लिये केन्द्रीय चाप बढ़ते जाने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

बिहार के मुख्य मंत्री, श्री भोला पासवांन ने पिछले दिनों यहां केन्द्रीय नेताओं से जो बात-चीत की उसके बारे में केन्द्रीय नव कांग्रेस सूत्रों में बताया जा रहा है कि बिहार विधान सभा जिसका कार्यकाल तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के बाद समाप्त होगा, सारे देश के साथ मध्यावधि चुनाव के लिये राजी होने की संभावना बढ़ गयी है।

इसी प्रकार यदि बिहार और उड़ीसा सारे देश के साथ मध्यावधि चुनाव के लिये तैयार हो जाते हैं तो हरियाणा, भी इन्कार नहीं करेगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, आपके द्वारा मेरी बड़ी नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि सारे सदन के सदस्यों, चाहे इधर के या उधर के, का सवाल है, मेरा खुद भी है (हंसी)। केन्द्रीय सरकार हो या वर्किंग कमेटी हो उनकी अगर कोई मंशा है और यदि कोई सुझाव मुझे दिया गया है, यदि मुझे कोई राय दी गयी है तो यह राय दी गयी है कि उत्तर प्रदेश में सन 1974, जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता, इस सरकार को आपको अधिक सफलता से, अधिक सक्रियता से और जो कांग्रेस की नीतियां हैं, उनको कार्यान्वित करके चलाने में पूरी शक्ति लगानी चाहिये यदि कोई वायरलेस अखबार वालों को आ जाय और वह छप जाय तो आप उसका विश्वास न कीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जैसे कोई बड़ा घर गिर रहा हो और उसकी दीवार टूट रहीं तो मंत्री जी कहें कि गिरने दे। वैसे ही इस सरकार में कोई सामंजस्य नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी संभालने की कोशिश करते जायेंगे लेकिन वह तो गिर ही जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिस बात का कोई आधार नहीं, उसको लेकर यदि ऐसे ही शोर मचा तो खतरा पैदा हो सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इससे तो माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बात को स्वीकार करते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर मैं माननीय जायसवाल जी की बात का आदर करता हूं । उन्होंन सारे मसले को अपनी पार्टी बन्दी से एक पक्ष की ओर ध्यान दिलाया है । जब आप इन मसलों पर देखें तो नियंत्रण भी करें और यह भी देखें कि आपसी आदमियों में एक दूसरे की नाराजगी और रोज रोज के ऐसे सवाल जिनको आप कह सकते हैं अशोभनीय सवाल, जिनके सम्बन्ध में सदन का ध्यान नहीं जाना चाहिये सदन का समय लिया जाता है । हमारी पार्टी और हमारी या किसी पार्टी में क्या क्या होता है पार्टी के सम्बन्ध में, मियां बीबी के सम्बन्ध में और नेताओं के सम्बन्ध में आप कहां तक पड़ेंगें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, 99 प्रतिशत केसेज में मियां बीबी में नहीं पटती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या पार्टी सदस्यों में मियां बीबी का सम्बन्ध होता है ?

श्री अध्यक्ष—

उपमा दी जाती है ऐसा ही विचार है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मियां बीबी का सम्बन्ध माधव बाबू क्या समझेंगे ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का सवाल है श्रीमन्—

(व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

काजी जी का बार-बार खड़ा होना ऐसा मालूम होता है कि ये काजी जी की हैसियत से खड़े होते हों. . . .

श्री राजस्व राज्यमंत्री (काजी जलील अब्बासी) —

मेरे खिलाफ आरोप लगाये गये ये नियम के विरुद्ध है । आप इसका जबाव दिलाये ।

श्री अध्यक्ष—

यह मजाक है ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि काजी जलील अब्बासी की सुमधुर आवाज सुनने को मिलती । इसमें अध्यक्ष महोदय आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

नियम 51 की सूचनाओं पर वक्तव्य की मांग

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद में प्रधानमंत्री के बाबा के नाम से मोतीलाल इन्जीनियरिंग कालेज है। वहां पर मंहगाई और वेतन आदि के सवालों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। वहां पर संघ के उपाध्यक्ष 28 तारीख को गये तो शिक्षक अधिकारियों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा, काम ठप्प हो गया है और उनमें असन्तोष फैला हुआ है। दिल्ली से समाजवाद की हवा फैलाई जाती है और कर्मचारियों को पीटा जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद हैं। नियम 51 में मैंने इसकी सूचना दी हुई है। आज से हाउस पन्द्रह रोज के लिये उठ जायेगा। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस विषय पर तीन बजे तक वक्तव्य दिला दें नहीं तो बड़ा असन्तोष फैल जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

उपाध्यक्ष जी, उनको देख रहे हैं, वे इसका फैसला सुना देंगे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि दुद्धी डिग्री कालेज का एक छात्र मार डाला गया 21–22 अगस्त की रात्रि को।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में वक्तव्य के लिये वह स्वीकार हो गया है। इस पर 14 तारीख को वक्तव्य होगा।

गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि जब से यह सदन चल रहा है तब से विधान सभा के सामने 11 हजार ग्राम सेवकों की समस्या को लेकर उनके प्रतिनिधि पिछले आठ नौ दिनों से लगातार विधान भवन के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारा जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल इसी तरह से करते रहेंगे होम्योपैथिक छात्रों की समस्या का तो हल निकला लेकिन इनकी समस्या वैसी ही है इनकी जो मांगे हैं अध्यक्ष महोदय, यदि आप पढ़ेंगे तो आप उससे सहमत हो जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इन हड़तालियों के बारे में न तो सरकार ने कोई वक्तव्य दिया है और न इसकी कोई व्यवस्था की जाती है। 11 हजार जो कर्मचारी हैं इस प्रदेश के छोटे वेतन पाने वाले सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। माननीय मुख्य मंत्री जी को और गन्ना मंत्री को एक डैपुटेशन मिलने गया था परन्तु उन्होंने इनसे मिलने से इन्कार कर दिया अब श्रीमान् विधान सभा पन्द्रह रोज के लिये बन्द रहेगी। इनकी मांगे सही हैं। मैंने यहां बड़े-बड़े अधिकारियों से बातचीत की। मैं चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--

आप और कृष्णानन्द जी राय जाकर बातचीत कर लें ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, सरकार सुनना नहीं चाहती, माननीय मुख्य मंत्री ने इन्कार कर दिया, गन्ना मंत्री ने इन्कार कर दिया. . .

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, जो लोग सदन में शान्ति से बैठे रहते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । डेढ़ महीना हो गया विधान सभा को चलते हुए, मैंने 2 कामरोको प्रस्ताव, 2 नियम 51 में और 2 नियम 52 में दिये थे, सभी में उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें । मैंने 6 अल्पसूचित प्रश्न दिए लेकिन कोई नहीं आया । बार-बार मैंने प्रश्न दिए लेकिन वह 60वें और 70 वें नम्बर पर आते हैं । आज की कार्यसूची में पेज 11 पर 60 वे नम्बर पर आया है । इसको आठवें मंगलवार को रख दे । कल भी मैं दो बार खड़ा हुआ बाढ़ पर बोलने के लिये । श्रीमन्, सबसे ज्यादा बाढ़ देवरिया जिले में है । तो कम से कम ऐसा तो कीजिए कि हमारा सवाल दो-तीन दिन में कभी तो ऊपर आ जाय । दफा 51, 52 में भी मंजूर नहीं होता है ।, अल्पसूचित प्रश्न भी नहीं आता है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी चिल्लाना शुरू कर दें ?

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मैंने दफा 49 में अपने प्रश्न के बारे में आधे घंटे की चर्चा मांगी थी, वह बता दें कि कब आएगा ?

श्री अध्यक्ष--

यहां नहीं, कमरे में पूछ लीजिएगा ।

होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विधान भवन के सामने किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, कुछ भ्रम हो रहा है । माननीय सदस्य अभी आपसे गन्ना विभाग के जो ग्रामसेवक हैं उनके बारे में कह रहे थे । मैंने जो सुबह प्रश्न उठाया था वह होम्योपैथिक विद्यार्थियों के बारे में था । उसमें तो डा० बाजपेयी ने एक स्टेटमेन्ट दिया था । गन्ना विभाग का प्रश्न मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है । अब केवल दो कम्प हमारे विधान सभा के सामने लगे हैं बाकी तो सब मुख्य मंत्री जी के आश्वासन होने के बाद विदा हो गए हैं । इनमें से एक कम्प में भूख हड़ताल का दसवां या ग्यारहवां दिन चल रहा है । प्रदेश भर के सैकड़ों, हजारों गन्ना ग्राम सेवक आए हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि अपनी उदारता का प्रदर्शन करते हुए, श्रीमन्, उदारता उनके पास है, तो उस उदारता का प्रदर्शन करते हुये सदन में कोई घोषणा कर दें जिससे इस बरसात में जो वह रात भर भीगते हैं, वह भी अपने घर चले जांय ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मेरा भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उनकी मांगों पर उदारतापूर्वक विचार करें नहीं तो मैं भी अनशन पर बैठ जाऊंगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर बड़ी मुश्किल हो गयी है। आपकी अध्यक्षता में मेरी मुश्किल यह हो गई है कि कृष्णानन्द जी जब उठते हैं तब वे उदारता की अपील कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह बात सही है कि उदारता है आप में ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

लेकिन, मान्यवर, अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। होम्योपैथिक के स्टूडेन्टस स्वास्थ्य मन्त्री से मिल चुके हैं और आज मेरे पास भी आये थे।

श्री अध्यक्ष--

गन्ने वाली बात भी देख लें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

तो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लड़के मेरे पास आये थे। आये क्या बल्कि मैंने उनको बुलवाया था। मुझे सूचना मिली कि लड़कों ने हमारे भाई सालिगराम जायसवाल का घिराव कर दिया था। मुझे पता नहीं कि राजेन्द्र कुमारी जी को यह मालूम है कि नहीं कि उन्होंने सालिगराम जायसवाल का घिराव कर दिया था। वे अस्वस्थ थे और उनका घिराव कर दिया। मैंने उनको बुलवाया और कहा कि आप सालिगराम जायसवाल जी का घिराव क्यों करते हो, अगर करना ही है तो मेरा घिराव करो। मैंने उनकी सारी बातें सुन लीं और कहा कि आज आप अपना अनशन तोड़ दें, स्वास्थ्य मन्त्रीजी से बातचीत कर लें और मैं जानता हूं कि उन्हें आपसे बड़ी सहानुभूति है। अवश्य ही ऐसा कोई रास्ता निकल आयेगा जिससे कि आप सन्तुष्ट होंगे और यह अव्यवस्था दूर हो जायेगी ।

गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में मुख्य मंत्री के ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं (क्रमागत)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जहां तक गन्ना विकास की बात है उसको मैं अधिक नहीं जानता हूं लेकिन अगर मेरे में उदारता है तो मैं अवश्य उसको इस्तेमाल करूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

आज शाम को उनके डिपुटेशन से मिल लें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

आज शाम को मिल लें या कल सुबह मिल लें। उनकी बातें सुन ली जायेंगीं। इस बात की बहुत कोशिश हुयी कि बहुत से मामले उभड़े, लेकिन एक के बाद दूसरे-सब मामले, हल होते चले गये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

बगैर हमारे सहयोग के आप कुछ नहीं कर पाते ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आपके सहयोग से ही तो सरकार सन् 1974 तक चलेगी, नहीं तो कौन गर्ज पड़ी है मुझे चलाने की ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मुख्य मन्त्री जी को इस बात का अहसास है कि नहीं, परन्तु, मान्यवर, आपको तो अहसास होगा ही कि दल बदलुओं की कितनी अहमियत बढ़ा दी है। श्री कृष्णानन्द जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी बड़े माहिर हैं, बहुतों को टरकाया है और टरका देंगे।

श्री अध्यक्ष---

आखिरी है अब कोई नहीं बोलेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इसमें कोई अपमान नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

आज की कार्यसूची में 81 प्रश्न थे और उनमें से केवल थोड़े से ही हो पाये। 1 घन्टा आपने चना जोर गर्म के लिये रखा है। अच्छा हो इस "चना जोर गर्म" वाले 1 घन्टे को भी प्रश्नों के साथ मिला दें। बड़े गम्भीर प्रश्न थे। इस पर कार्य मन्त्रणा समिति ने निश्चय कर लिया है। क्या आपको यह ज्यादा पसन्द आता है और इसीलिये आप ऐसा काम कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

चना चोर गर्म है का यह भी एक नमूना है।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय,.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 51 में भी दिया था। राज्य मन्त्री शिक्षा श्री खलील अहमद को उजाड़ रहे हैं। मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी दिया था, परन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

पौड़ी से एक तार आया है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जब आप मुझे कोई अवसर नहीं देते हैं तब मैं कैसे बोलूंगा। क्या आप कोई इंतजाम करेंगे, मैं यह जानना चाहूंगा ?

(व्यवधान)

उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

हमने उत्तराखंड विश्वविद्यालय का सवाल उठाया था। 24 जुलाई से श्रीनगर में गढ़वाल बन्द की हड़ताल चल पड़ी। मुझे तार मिला है कि 25 महिलायें और 21 पुरुष गिरफ्तार हो गये हैं। पहाड़ पर महिलायें छोटी-मोटी बातों पर गिरफ्तार नहीं होती हैं। अब विधान सभा समाप्त होने जा रही है, हमको शिक्षा मंत्री जी इस सम्बन्ध में आश्वासन दें ताकि हमारा सहयोग उनको हड़ताल बन्द कराने में हो सके।

श्री अध्यक्ष--

काहे के बारे में आन्दोलन है ?

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी--

उत्तराखंड विश्वविद्यालय श्रीनगर में खोल दिया जाय, इसके सम्बन्ध मेंआन्दोलन करने के कारण महिलायें गिरफ्तार हुई हैं।

विविध विषय

श्री अनन्तराम जायसवाल--

एक आश्वासन के बारे में याद दिलाना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो व्यवस्था के प्रश्न उठाने हैं। एक तो दफा 51 में मैंने काफी दिन हुये प्रस्ताव भेजा था कि राज्य मंत्री, शिक्षा अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिये एक आदमी का घर उजाड़ रहे हैं। इस सिलसिले में कहा गया था कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दें। जब वह दिया तो अस्वीकृत हो गया, तो अब क्या करें ?

दूसरे मेरा नाम प्रश्न 2 में था। आपने तय किया है कि जिसका नाम हो वह पहले प्रश्न पूछेगा। आज मेरा नं० 2 पर नाम था लेकिन मुझे तो आपने पूछने नहीं दिया और दूसरे लोग सप्लीमेन्ट्री करते रहे। मैं किसी पर आजतक सप्लीमेंन्ट्री नहीं कर सका। आखिर मेरे में क्या कमी है ?

श्री अध्यक्ष--

नं० 2 पर आपका नाम था और आपने सप्लीमेन्ट्रीज किये हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मुझे नं० 3 पर सवाल का मौका नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष--

क्योंकि लोगों ने इसको स्थगित करने की कोशिश की।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

नं० 3 पर सवाल हुये लेकिन मुझे आपने बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

सभी ने तय किया तो उसे स्थगित कर दिया गया।

श्री मोहम्मत असरार अहमद--

यह पूछने का मौका दे दिया जाय कि आपने कितनों को इजाजत दी थी ?

श्री अध्यक्ष--

बहुत से लोगों को इजाजत दी थी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जब मेरे पूछने की बारी आई तो आपने पूछने की इजाजत नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष--

स्थगित करने की बात थी, इससे पहले आपने प्रश्न पूछे थे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

नं० 2 पर आपने मुझे मेरे सवाल पर प्रश्न नहीं करने दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात हो गई है, अब नहीं बोल सकते हैं ।

उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)--

नेगी जी ने जो सवाल उठाया है, तो आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं ।

श्री अध्यक्ष--

कहिये ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय को लेकर गढ़वाल में एक बड़ा भारी आन्दोलन उठा हुआ है । श्रीनगर में 10,000 स्त्री और पुरुष का जुलूस निकला, टेहरी में भी 5,000 का जुलूस निकला । अभी नेगी जी ने कहा कि पौड़ी में स्त्रियां और पुरुष गिरफ्तार हुये हैं तो मैं चाहता हूं कि इस बात पर मुख्य मंत्री जी विचार कर लें और शीघ्र कोई न कोई वक्तव्य दे दें और कोई ऐसी बात करें कि अशान्ति दूर हो सके । मैं समझता हूं कि आप इसको देख लेंगे । मेरे पास तार आया है उसको आपके पास भेज दूंगा ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना आपसे और आप आज्ञा दें तो शांति प्रपन्न जी से यह है कि वे हैं तो देहरादून के लेकिन मानते अपने को पहाड़ी इलाके का हैं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह पहाड़ में ही आता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस मामले में इनकी और नित्यानन्द जी की राय मिलती जुलती है । यह जो आन्दोलन पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों पर है । पहाड़ी क्षेत्र के विधायकों में हमारे बहुत से वरिष्ठ और अनुभवी विधायक हैं । उन्हीं को आपस में मिल जुल कर तय करना चाहिए । सरकार एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है । कोई कहता है कि श्रीनगरमें स्थापित करो, कोई कहता है देहरादून में करो, कोई कहता है कि नैनीताल में करो । यह स्थिति है जो कि शांति प्रपन्न जी को भी मालूम है । कोई कहता है कि पिथौरागढ़ में ले जाओ तो कोई कहता है कि अल्मोड़ा में खोला जाय । सरकार इसी चक्कर में फंस जाती है कि क्या करे । आज पौड़ी में आन्दोलन हो रहा है तो कल नैनीताल में शुरू हो जायगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

नैनीताल में एक विश्वविद्यालय है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आपकी राय मालुम हो गयी कि आप नैनीताल के विरुद्ध हैं । मान्यवर,इस प्रश्न को तय करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि इस पक्ष के और उस पक्ष के जितने आपके विधायक हैं वह मिलकर एक फैसला करें और उस फैसले के बाद सरकार को आदेश दे दें कि यह सर्वसम्मत राय है ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी--]

उस राय को मानने में सरकार को एक मिनट की देर भी नहीं लगेगी। अभी तो अगर सरकार तय करने बैठती तो आप आन्दोलन शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में शर्मा जी ने डाल रखा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यह ठीक बात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

है न ठीक बात। हमने,मान्यवर,तय किया है कि हम कांस्टीटुएन्ट डिग्री कालेज खोल देंगे और उनका एफीलिएशन इस यूनीवर्सिटी से होगा जो जहां कहीं भी बने,अभी निश्चित नहीं है। गुप्ता जी के जमाने में तय हुआ था कि नैनीताल में बनेगी। फिर झगड़ा हुआ तो यह हुआ कि यह झगड़ा की चीज हैं। उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। उसने कहा कि नैनीताल में बने। मान्यवर,नैनीताल में है ही,श्रीनगर में कालेज है, अल्मोड़ा के कालेज को अपग्रेड किया है, पिथौरागढ़ में खोलने जा रहे हैं। स्वामी नित्यानन्द जी को यह आश्वासन दे चुका हूं कि आपके यहां देहरादून में कुछ नहीं होता तो एक मेडिकल कालेज खोलने की कोशिश करेंगे। किसी को कहता हूं कि इंजीनियरिंग फैकेल्टी आयेगी तो आपके यहां बनवायेंगे। ये सब कांस्टीट्टुएन्सी कालेजेज होंगे जो कि उस यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड होंगे। यह जो स्थिति है इसमें हम क्या करें यह सलाह हमें शान्ति प्रपन्न जी दे दें और अगर सब के सामने सलाह न दे सकते हों तो मेरे कमरे में आकर दे दें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आप पहाड़ी क्षेत्रों में यूनीवर्सिटी और मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं और वहां झगड़ा है तो आप रुहेलखंड में खोल दें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि 10-12 तारीख को पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की एक मीटिंग बुलायी गयी थी। यह मीटिंग विधान सभा के सत्र होने के पहले रखी थी। हम लोगों को सुखदेव पंत का खत मिला था लेकिन वह 13 या 14 तारीख को मिला। इसलिये १० तारीख को आ ही नहीं सकते थे। हम चाहत थे कि हम आते और मुख्य मंत्री जी से बात करते और उन्हें परामर्श देते। लेकिन सूचना इतनी देर से मिली कि नहीं आ सकते थे। हम चाहते हैं कि आपस भी विधायकों को बुलावें और बात कर लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप कल मीटिंग कर लें, टालने की जरूरत नहीं है। माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी उसके संयोजक रहें और जहां भी सब लोग एकत्रित हो जायें, मुझे सूचना दे दें,जहां कहेंगे, मैं चला आऊंगा।

(व्यवधान)

भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर अलीगढ़ में कथित गोली चलाये जाने से संबंधित विषय पर श्री अन्तराम जायसवाल द्वारा नियम 301 के अनन्तर्गत उठाया गया विषय

श्री अनन्तराम जयसवाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न नियम 301 के तहत उठाया था और आपने यह आश्वासन दिया था कि 30 तारीख को व सूचना आप के पास भेज दें। कल 30 तारीख भी बीत गयी।

मेरी सूचना इस बारे में थी कि 4 जुलाई को वजीरआला पर गोली चलायी गयी थी, उनके साथ चन्द्रभानु गुप्त भी थे, जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उसका नाम चमन था, मगर उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। हमारी जानकारी के मुताबिक उसके लिये एक हजार का इनाम भी रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद वह अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब कि वह यहां, मुझे इत्तिला मिली है, लखनऊ आया, रायल होटल वाले नये विधेयक निवास। एक पुलिस वाले ने उनको घेरे में ले लिया, लेकिन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनको छुड़वा दिया, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। हमारे हरिनाथ तिवारी जी मेरी जानकारी की ताईद कर रहे हैं कि वह सही है। अब उस आदमी के खिलाफ मुकदमा वापस कराने के लिये दबाव डाला जा रहा है। मान्यवर, आज अगर एक मुख्य मंत्री पर गोली चल सकती है तो कल दूसरे पर चल सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आज आप (माननीय मुख्य मंत्री से) उसे देख लें, मेरे सामने यह आया था और मैंने उसे आपके पास भेजा था। मैं भी उसे अपने दफ्तर में देख लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसी के साथ-साथ एक माननीय मोतीलाल देहलवी.....

श्री अध्यक्ष--

वह सब मैंने भेज दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

वे झूठे फ़साये गये.....

श्री अध्यक्ष--

अभी आप मेरिट पर न जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आपने कहा था कि आप छानबीन करेंगे। यह मुसीबत जो आ रही है, मान्यवर विरोध पक्ष की अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सदन में जो कार्यवाही होती है उससे कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, कत्ल जैसे संगीन जुर्म में लोगों को फंसा दिया जाता है, उसके बाद भी सदन या आपके माध्यम से सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी.....

श्री अध्यक्ष--

आपने जो श्री मोतीलाल देहलवी के बारे में कहा, मैंने कहा था आप मेरे पास लिखित दिलवा दीजिए, लेकिन और लोगों ने जल्दी दे दिया, और उन्होंने देर में दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मुझको याद आता है उसके दूसरे दिन दे दिया था।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे दिन नहीं दिया था। सब लोगों का आने के बाद दूसरे दिन दिया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उन्होंने एक खत के कुछ फोटोग्राफ भी भेजे थे, कुछ दिन पहले, जिनमें उनको धमकी दी गई थी कि पुलिस के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे भी इंक्वायरी के लिये मुख्य मंत्री के पास भेज दिया था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

वह तो मौजूद हैं, कोई मेम्बर किधर भी बैठे उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर जो आपने अपने कक्ष में बुलाकर दिया था वे दो-तीन थे, मुझे उस समय तक स्मरण आता है आपने कहा था कि मोतीलाल जी का आया नहीं है, ये दो आ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उसके बाद मैंने शाम को दूसरा भेजा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कल परसों में गया होगा, क्योंकि मामले के दो-तीन हो गये हैं । यदि आपने भेजा है तो अवश्य ही कार्यवाही हो रही होगी । नहीं तो कार्यवाही करके आपके पास भेज दूंगा । वह कह रहे थे, उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं । यदि आप अपने यहां से कागज देख लेंगे, आपके यहां पत्र आया है उसे भेज देंगे आप मेरे पास तो आप की बड़ी कृपा होगी । यह जो अलीगढ़ के बारे में कहा है यह तो मुझे बिलकुल नया केस मालूम होता है । यह मेरे कान में अब तक पड़ा नहीं है । यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आज शाम को ही पेश कर दूंगा, यदि उपलब्ध होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, आप हमारी धृष्टता माफ करेंगे, उस सम्बन्ध में आपके ऊपर जबरदस्त पैरवी चल रही है....

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अलीगढ़ में किसके ऊपर गोली चली, कौन सा मुकदमा है नाम बताइये?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिनके ऊपर गोली चली उनका नाम त्रिभुवन नारायण सिंह था, बनारस के रहने वाले हैं,सन् 70 में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, और उनके साथ में इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभान गुप्त थे, जिनके साथ आप काम कर चुके हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं इसे देखूंगा, यदि इस प्रकार का पत्र है, चाहे जिसके माध्यम से आया हो आपके अथवा अध्यक्ष जी के, कि इसे कौन रोक रहा है । मेरे ऊपर तो कोई ऐसा दबाव दिया नहीं किसी ने कि इस तरह का केस उठा लिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

ऐसा कोई जरूरी पत्र भेजा जाए और वह उनके सामने आये नहीं, तो यह बड़ी गम्भीर बात है । जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन्हें तुरन्त मुख्य मंत्री की सूचना में लाया जाना चाहिये । इस मामले में कौन सी शक्ति इन्ट्रेस्ट ले रही है, इस पर भी विचार कर लिया जाए । यदि हमारा कोई प्रार्थना-पत्र या शिकायत जाए, और महीनों तक उस पर विचार न हो, नीचे के स्टाफ के लोग अपने पास रोके रहें तो इससे गम्भीर बात क्या होगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माधव बाबू जानते हैं कि पत्र मेरे पास आता है तो मैं उसका उत्तर जरूर दे देता हूं । यह नहीं होता है कि पत्र आया हो और महीनों तक उसका उत्तर न दिया गया हो । यदि ऐसा कोई हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होकर रहेगी । उसकी रिपोर्ट आएगी तो आज आपको सुना दूंगा, नहीं तो जिस दिन आप मिलेंगे आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय जायसवाल जी ने दो सवाल उठाये थे, एक त्रिभुवन नारायण सिंह के बारे में और एक अलीगढ़ के मामले में, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह जी के मामले में मुझे इल्म नहीं है। एक बात अलीगढ़ के एक व्यक्ति की बाबत जायसवाल जी ने कही, चमन उसका नाम है, ठीक लगभग उसी प्रकार की सूचना मुझको मिली थी । सब को मालूम है कि कई दिन यहां पर लोग डेपुटेशन के साथ आये । एक कांग्रेस के विधायक दिलचस्पी रखते हैं । डेपुटेशन इस मंशा से आया कि माननीय मुख्य मंत्री से वह डेपुटेशन मिले और जो मुकदमा अलीगढ़ राइट्स के सिलसिले में चल रहा है उसको वापस लेने की सिफारिश की जाय । अब मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से क्या कोई डेपुटेशन उनसे इस सिलसिले में मिला था, क्या कोई विधायक मिला है, और क्या इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त दी गयी है । इसके अतिरिक्त एक बात और भी है । माननीय जायसवाल जी ने जैसा कहा मैं भी असर्ट करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री यहां के अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? मेरी इत्तला यह है कि अधिकारियों को मालूम था लेकिन उनको इल्म था कि इस कांग्रेस के एक विधायक और बड़े-बड़े आदमी उसकी पुश्त पर हैं इसलिये उनकी हिम्मत उसको गिरफ्तार करने की नहीं हुई, इसमें कहां तक सच्चाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझसे कोई डेपुटेशन अलीगढ़ के केस को वापस करने के लिये मिला ऐसा कोई स्मरण नहीं है, न मिला । मुझे याद नहीं है, महीने, पंद्रह दिन के भीतर कोई केस वापस करने के लिये अलीगढ़ के किसी विधायक के साथ कोई डेपुटेशन मुझसे मिला । ऐसा स्मरण नहीं है मेरे ऊपर कहीं से दबाव डाला गया, और न दबाव डाला गया । यह स्पष्ट ही है कि दबाव नहीं डाला गया । अगर वह आदमी यहां मौजूद था, जैसा कि चौधरी साहब भी कह रहे हैं और जायसवाल जी ने भी कहा, आज ही जांच करूंगा कि यहां मौजूद था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किस कारण से रोका गया, आज ही मालूम करूंगा ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अक्सर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई माननीय सदस्य किसी बात की चर्चा या शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से या किसी अन्य मंत्री से करते हैं तो वह गोपनीयता दफ्तर से लीक हो जाती है, उस अधिकारी को जानकारी हो जाती है, कि फलां विधायक ने उसकी शिकायत की है, अगर उस पर कार्यवाही नहीं होती तो वह अधिकारी उस विधायक से बदला लेने की और उसको तंग करने की भावना से कार्य करता रहा है । अगर कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी के खिलाफ सरकार के मंत्रियों या आपको जानकारी देता है तो उसको इतना गोपनीय रखना चाहिये कि उस अधिकारी को सूचना न मिलने पाये । मैं इसका आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आश्वासन की बात बिलकुल ठीक है। मैं आश्वासन देता हूं। मैं इस बात की चेष्टा करता हूं कि किसी की शिकायत हो उसको न बता दी जाय कि तुम्हारी शिकायत आयी है। लेकिन एक निवेदन करूंगा, माननीय सदस्यों से, स्वयं शिकायत करते हैं, और शिकायत की गयी इसकी खबर फैलाने में, बड़ी नम्रता के साथ क्षमा मांगते हुए यह निवेदन करूंगा, सबसे अधिक जिम्मेदार हमारे विधायक स्वयं हैं। दो चार छः आयेंगे शिकायत लेकर और दो चार छः आयेंगे यह कहने के लिये कि शिकायत झूठी है। अब मैं चाहता हूं कि इसका प्रयास हमारे साथी लोग करें कि यदि शिकायत ले कर आते हैं या तो सब लोगों की सलाह से शिकायत हो या इतना हो जाय कि हमको मालूम है कि यह शिकायत के लायक है, लिहाजा हम शिकायत ले कर जा रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथियों की गतिविधियों की ओर दिलाया था।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर 14 तारीख या 15 तारीख को चर्चा होने वाली है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मैं अपनी ओर से बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह विधायक लोग, चार छः आदमी पैरवी करते हैं और चार छः खिलाफ कराने के लिये आते हैं। जिनके हाथ में प्रबन्ध है जो जिम्मेदारी ले कर बैठे हैं, प्रशासन को चलने की अगर उनमें दृढ़ता हो तो जो वाजिब चीज होगी उसको करेंगे। एक दफा दृढता दिखा देने से हो सकता है कि वह अपने अनपापुलर हो जायं लेकिन प्रशासन में जो रोज-रोज इंटरफियरेंस होता है वह रुक जायगा। एक नीति की चीज होती है जिसे कैबिनेट तय करती है और उस नीति के अनुसार ट्रांसफर्स होने चाहिये। अब अगर उस नीति को तोड़कर ट्रांसफर किये जायं तो उस अधिकारी को सजा दी जा सकती है लेकिन नीति बनाने का काम अगर डाइरेक्टरेट अथवा सचिवालय के सुपुर्द कर दिया जाय तो फिर उनकी पसन्द के मुताबिक ट्रांसफर्स होने शुरू हो जायेंगे। इससे शिकायतें रोज पैदा होंगी।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में अब आप ज्यादा न कहें। आपका इशारा ही काफी है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1971

सचिव, विधान सभा—

मैं, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1971, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1971 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 30 अगस्त, 1971 को वापस प्राप्त हो गया है।

आश्वासन समिति का 34 वां तथा 35वां प्रतिवेदन†

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 34 वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों के संबंध में है, जो विधान सभा में वर्ष 1969 में दिये गये थे । वर्ष 1970–71 के लिए मनोनीत आश्वासन समिति ने इन आश्वासनों पर विचार किया और प्रतिवेदन को 18 मार्च, 1971 की बैठक में स्वीकार किया था । पूर्व इसके प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया । वर्तमान समिति ने इस प्रतिवेदन पर अपनी दिनांक 25 अगस्त, 1971 की बैठक में विचार किया और पूर्णरूप से स्वीकार किया ।

समिति भूतपूर्व सभापति तथा समिति के अन्य सदस्यों का प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हार्दिक आभार प्रकट करती है । समिति शासन से आशा करती है कि वह अपूर्ण आश्वासनों की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति करने का प्रयास करेगा ।

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 35 वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

समिति का यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों के सम्बन्ध में है जो वर्ग 1966, 1967, 1969 तथा 1970 में शासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर सदन में दिये गये थे । एसे आश्वासनों की संख्या 779 है । इन आश्वासनों पर आश्वासन समिति ने 13 मई, 1971 से 26 जून, 1971 के बीच हुई बैठकों में विचार किया था । इन आश्वासनों की पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपरोक्त 779 आश्वासनों में से 364 आश्वासन अब भी अपूर्ण हैं । समिति को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि इन अपूर्ण आश्वासनों में 114 आश्वासन ऐसे भी हैं जिनके बारे में संबंधित विभागों ने उनकी पूर्ति की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की, यद्यपि इन आश्वासनों को सदन में दिये गये 8 मास से लेकर 5 वर्ष तक का समय हो चुका है । समिति इन विभागों की उदासीनता पर अपना तीव्र असंतोष प्रकट करती है । इस प्रतिवेदन के माध्यम से समिति शासन से अपेक्षा करती है कि वह ऐसे आदेश प्रसारित करें जिसमें आश्वासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट कर दिया जाये कि आश्वासनों की पूर्ति में कोई ढिलाई न बरती जाय और समिति को इनके बारे में समय-समय पर सूचनायें प्राप्त होती रहें । आश्वासन की पूर्ति में विलम्ब और उपेक्षा से प्रायः उसका उद्देश्य तथा महत्व समाप्त हो जाता है । यह भी संभव है कि उसकी पूर्ति न होने से लाखों व्यक्ति प्रभावित हो रहे हों उदाहरण स्वरूप 15 फरवरी, 19 66 के सदन में यक्ष्मा के रोगियों को राजकीय यातायात के किराये में छूट देने के बारेमें दिये गये आश्वासन का उल्लेख सुगमता से किया जा सकता है । आश्वासन की पूर्ति के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा 1966 से अब तक सूचनायें ही दी गई हैं जिनमें या तो विषय विचाराधीन होना कहा गया है अथवा यह बतलाया गया है कि कुछ सूचना चिकित्सा विभाग से मांगी गई हैं । समिति को इस बात का अत्यधिक खेद है कि 5 वर्ष बीत जाने पर भी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका ।

आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने यह भी देखा कि शासन अपने विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ अधिकारियों से वांछित सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है ।

---

†छापे नहीं गये ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

आश्चर्य का विषय तो यह है कि जो कार्यालय लखनऊ में ही स्थित है, जैसे परिवहन आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, निबन्धक, सहकारी समितियां आदि उनसे भी शासन को सूचना नहीं मिल सकी है । इसके फलस्वरूप समिति को जो भी पत्रादि प्राप्त हुये हैं, उनमें यही कहा गया है कि वांछित सूचना अमुक अधिकारी से मांगी गई है, उसके प्राप्त होने पर अवगत कराया जायेगा । शासन द्वारा विभागाध्यक्षों से बार-बार सूचना मांगने पर भी उसे न भेजना चिन्ता का विषय है । ऐसा प्रतीत होता है कि शासन का अपने विभागाध्यक्षों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

समिति की जानकारी में यह तथ्य भी आया कि जो आश्वासन व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं, उनकी पूर्ति में भी अत्यधिक विलम्ब हुआ है । समिति का यह भी निश्चित मत है कि इस प्रकार के आश्वासनों की पूर्ति समिति द्वारा निर्धारित 3 मास की अवधि में अवश्य हो जानी चाहिये । ऐसा न होने से प्रभावित व्यक्तियों को जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, उनका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है।

समिति ने यह भी नोट किया कि जो आश्वासन आय-व्ययक पर अनुदानों पर हुए वाद विवाद के अवसर पर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिये गये और जिनकी पूर्ति उसी वित्तीय वर्ष में हो जानी चाहिये थी, की भी पूर्ति नहीं की गई । इस प्रकार के आश्वासनों से संबंधित विभागों के ऐसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर समिति को घोर आपत्ति है । समिति अपनी यह धारणा बनाने को बाध्य है कि आय-व्ययक पर सदन की स्वीकृति लेने के उद्देश्य से ही केवल इस प्रकार के आश्वासन दे दिये जाते हैं जिनसे अधिक से अधिक जनहित प्रकट हो ।

संक्षेप में समिति यह निष्कर्ष को निकालने को बाध्य है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सदन में जिस भावना से आश्वासन दिये जाते हैं, संबंधित विभागों ने आवश्यकता से अधिक समय लेने के उपरान्त भी जनहित के उन कार्यों के प्रति उदासीनता का परिचय दिया है ।

अन्त में प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं इस समिति से संबंधित विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहायता तथा सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, अभी आश्वासन समिति के चेयरमैन ने उसका प्रतिवेदन पढ़ा । एक विषय 1969–70 का है जिसको एक-डेढ़ वर्ष का समय हो चुका है । गोरखपुर जिले के सात गांवों के जुरिस्डिक्शन का तबादला होना था । इस बीच में वहां पर 4 मरडर हो चुके हैं । ये गांव देवरिया पुलिस थाने के नजदीक हैं । इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो जायेगी । पुलिस अधीक्षक देवरिया ने अपनी कांग्रेस सरकार को भेज दी है और वे राजी हो गये हैं कि गोरखपुर के ये सात गांव देवरिया जिले में कर दिये जायं । सरकार द्वारा इस आश्वासन को देने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । अतः मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा काम है जिस पर तत्काल कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने होम सेक्रेटरी के पास भेज दिया है और उस पर कार्यवाही करना लाजिमी है, क्योंकि विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वे रिपोर्ट सदन की समझी जाती हैं । इसके ऊपर डिसकशन नहीं होता है । इस संबंध में विचार हो रहा है कि अब इन समितियों के प्रतिवेदनों पर भी सदन में विचार हो । जब हमारे नियम ऐसे हों जायेंगे तो हम इन प्रतिवेदनों पर भी सदन में डिसकशन करेंगे ।

जिला परिषद् सीतापुर के शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध श्री रामलाल राही द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय रामलाल राही जी ने दिया है कि जिला परिषद् के प्रशिक्षित अध्यापक अपनी समस्याओं को लेकर अनशन कर रहे हैं। कल दिनांक 29–8–71 को माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी सीतापुर आंख के अस्पताल में रात में पधारे थे। मैं श्रीमती माया चौधरी भूतपूर्व एम० एल० सी० तथा कुछ अन्य कार्यकर्ताओं सहित प्रशिक्षित अध्यापकों को लेकर उनसे मिलने गया। मंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक गम्भीरता से सारी बातें सुनी व समस्याओं के समाधान के लिये आश्वासन दिया। जब वह चले गये तो परिषद् के शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नेता लोग चार सौ बीस करके इन सबको भड़काते हैं नेतागिरी करने आये थे। यह चीज गोल सी है और वह "नेता" के बारे में कही गयी है। यहां कहीं जिक्र इस बात का नहीं है कि सदस्यों के बारे में कही गयी है।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय शिक्षा अधिकारी ने तो सदस्यों के बारे में ही कहा था चूंकि मैं स्वयं था और मेरे साथ में कई कार्यकर्ता एम० एल० सी० श्रीमती माया चौधरी और जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं ये सब गये हुए थे। तो मेरे अलावा किसी दूसरे को कैसे कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह निश्चित नहीं है। आपने अगर यह लिखा होता कि सदस्यों के बारे में उन्होंने कहा तो वह बात दूसरी थी। "नेताओं" के बारे में कहा "सदस्य" शब्द कहीं नहीं है।

श्री रामलाल राही—

मैंने सही बात लिखी है। लेकिन मान्यवर, देखिये कि जब हम ही वहां हैं और हमारे ही साथ में प्रशिक्षित अध्यापक गये उनसे मिलने माननीय मंत्री जी से तो वह कहेंगे किसको ? वह तो सीधा अपमान विधायक का ही हुआ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

जबकि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया तो अलावा इनके और तो कोई था नहीं, या वह मंत्री थे। तो क्षमा करेंगे, आज यह आम चीज हो गयी है और ऐसी चीजों को बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिये और यह राही साहब का कहना ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

जब तक निश्चित नहीं होता तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा यह होगी कि हम कार्यवाही के लिये मुख्यमंत्री जी के पास भेज दें, फिर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जब वह स्वयं थे तो अपने आप को संबोधित करके ठीक से इसको दोबारा दें और ठीक करा लीजिये इसको।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं इसलिये कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा या कार्य के द्वारा इस माननीय सदन की कार्य-क्षमता में कमी लाने का प्रयास करे या किसी के कुछ कहने से इस माननीय सदन की कार्यक्षमता में कमी आये तो वह प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि यहां के कार्य-क्रम के संबंध में तो कोई बात नहीं थी ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

यदि यहां पर कोई भूख हड़ताल होती है यदि कोई मांगें आती हैं तो सदन के सदस्यों का कर्त्तव्य है कि उनके संबंध में विचार करें यहां सवाल पैदा करें यहां माननीय मंत्री जी से मिलें, यह उनके कार्य-क्षेत्र का अंग है और यदि उस कार्यक्षेत्र के अंग में किसी व्यक्ति के कुछ कहने से कोई कमी आवे तो विशेषाधिकार का प्रश्न है । तो कृपा कर उसको गम्भीरता से ले लें और इनमें से एक दो प्रश्नों को प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रिविलेज कमेटी को इंक्वायरी के लिये भिजवा सकता हूं । मैं यह नहीं मानता हूं कि यह प्राइमा-फैसाई केस है, लेकिन इंक्वायरी के लिये भेजता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ठीक है, आप भेज दें इंक्वायरी के लिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा कहना है कि जो भी माननीय राही जी ने मसला उस सिलसिले में उठाया तो कम से कम हर माननीय सदस्य को यह हक तो मिल ही जाता है कि जो मसला उत्तर प्रदेश की विधान सभा में किसी तरह का उठता है तो मंत्री जी से मिल कर उन चीजों को हाई-लाइट करें अगर मंत्री जी से मिलने की जरूरत पड़े । राही जी खुद कहते हैं कि मैं खुद मौजूद था और मेरे सामने ही उन अधिकारी महोदय ने यह कह दिया कि नेता लोग मिलने के लिए आ जाते हैं और गड़बड़ घोटाला करते हैं, तो वह माननीय राही जी से ही मुताल्लिक हो गया, क्योंकि वह ही उस ईश्यू को लेकर के गये मंत्री जी से मिलने । वहीं उनसे कह दिया कि "नेता लोग ऐसा करते हैं" तो यह निश्चित बात हो गयी । तो मेरा आप से अनुरोध है कि इंक्वायरी नहीं, बल्कि पूरे मामले को भेज दें कमेटी को तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि जो-जो प्रश्न उठता है उसमें अवमान सदन का हुआ यह बताने के लिये अगर वह यह कहते हैं कि आपके सदस्य हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसा होता तो कोई बात नहीं थी, मैं भेज देता । एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और जब आपने लिखा तो इंक्वायरी के लिये विशेषाधिकार समिति में भेजना ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रामलाल राही—

मान्यवर, मेरे जिले सीतापुर में जिला परिषद् के 1970 के प्रशिक्षित अध्यापकों की एक लिस्ट मैरिट के आधार पर बनाई गई थी । उनमें से कुछ अध्यापकों की नियुक्ति हो गई, लेकिन अभी लगभग 165 अध्यापक बाकी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है । 1970–71 में और ट्रेनिंग के लिये अध्यापक चुन लिये गये हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, (माननीय रियासत हुसैन के लिये) यह साहब दूसरे सदस्य के बोलने पर भी खड़े रहते हैं जिससे बोलने के लिये उनका हक रहे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के विषय में श्री अध्यक्ष से निर्णय की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं अपने इश्यू के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में काफी दिन हो गये मैंने एक प्रिविलेज का सवाल माननीय जायसवाल जी के विरुद्ध दिया था और उन्होंने मंजूर अहमद साहब के विरुद्ध दिया था । आज हम लोग उठ रहे हैं और आपने स्वयं कहा था कि माननीय उपाध्यक्ष जी से आप बातचीत करके अपना निर्णय देंगे । लेकिन अभी तक निर्णय नहीं दिया । 14 दिन के लिये यह सदन उठेगा और माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में चले जायेंगे और जो घटना घटी है जिसमें माननीय जायसवाल जी ने मंजूर अहमद साहब के विरुद्ध सब कुछ कह डाला और मंजूर अहमद साहब जायसवाल जी के विरुद्ध सब कुछ कह डाला । जो यह घटना यहां घटी उसका असर सारे प्रदेश पर पड़ रहा है । हम लोगों से सवाल होंगे कि इस तरह की बात सदन में हुई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न कोई निर्णय ही हुआ । मैं चाहता था कि आप इस मामले पर सदन के उठने से पहले निर्णय ले लेते जिससे सारे प्रदेश में एक वातावरण पैदा हो जाय कि सदन में एक बात उठी थी उसका निर्णय ले लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

उस रोज तय हुआ था कि 14 तारीख को इसका फैसला सुनाया जायेगा ।

जिला परिषद् सीतापुर के शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध श्री रामलाल राही द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री रामलाल राही---

मान्यवर, मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाया था । जिस दिन राज्य शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों सीतापुर पधारे थे । शिक्षा राज्य मंत्री जी नीमसार गये थे और शाम को आंख के अस्पताल में उन्हें आना था । मुझे ज्ञात हुआ कि जिला परिषद् के अध्यापक अनशन पर बैठे हैं । मैंने वहां जाकर उनसे जानकारी हासिल की । उन्होंने बताया कि 69-70 और 70-71 के जो शेष ट्रेंड अध्यापक हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर नियुक्तियां की जायेंगी । मैंने इसको अनियमित समझा क्योंकि 69-70 के प्रशिक्षित अध्यापकों को पहले मौका मिलना चाहिये था । इसलिये इस प्वाइंट को लेकर मैं राज्य शिक्षा मंत्री जी के पास गया । मेरे साथ 21-22 अध्यापक थे और माया चौधरी भूतपूर्व एम० एल० सी० थीं और जब मैं वहां पहुंचा मंत्री जी से सारी स्थित को बतलाया उन्होंने सहानुभूति पूर्वक सुना और समस्या के समाधान के लिये आश्वासन दिया फिर अध्यापकों से मिल कर चले गये उनके जाने के बाद शिक्षा अधिकारी ने कहा नेतागीरी नेता लोग करने आये हैं । ये चार सौ बीसी होते हैं और नेता लोगों का यही काम है तो सभी बात मेरे ऊपर ही तो कही गयी क्योंकि मैंने ही उस समस्या को उनके सामने रखा था । इस लिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसको कृपा करके विशेषाधिकार समिति को भेज दें ।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार के अवमान के प्रश्न को समिति को निर्दिष्ट करने की अध्यक्ष की शक्ति--"इन नियमों में किसी बात के रहते हुये भी अध्यक्ष विशेषाधिकार के किसी प्रश्न की परीक्षा,

[श्री अध्यक्ष]

जांच या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे और उससे सदन को अवगत करायेंगे।" यह चीज है। मैं इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजे देता हूं। मुझे वैसे भी अधिकार है, मैं प्राइमाफेसी केस न समझूं तो भी जांच करने के लिये कह सकता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के विषय में श्री अध्यक्ष से निर्णय की मांग (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मेरा यह स्वभाव नहीं है कि आपसे कोई शिकायत की जाय लेकिन कभी-कभी ऐसा मौका आ ही जाता है जब कि स्वभाव न होते हुए भी कुछ करना पड़ जाता है। मैंने खुद आपसे निवेदन किया था और आग्रह किया भी था, धृष्टता यह की कि आग्रह किया और कहा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को आप कृपया भेज दें। लेकिन मुझे दुःख के साथ शिकायत करनी पड़ती है कि वह मामला अभी तक विशेषाधिकार समिति को नहीं गया। उस रोज मैंने यह भी कहा था कि मुझे यह भी ऐतराज नहीं है अगर इस विषय पर इस सदन में ही विचार कर लिया जाय। सदन में इस पर विचार होने पर उसको वही फन्कशन्स करने पड़ेंगे जो विशेषाधिकार समिति को करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कोई तथ्य ऐसा कहा जाय जिसके साबित करने की जरुरत हो तो उसके लिये सबूत की अपेक्षा होगी। इसलिये समिति में ही सारा काम आसानी से हो जायेगा। उसमें सदन का मूल्यवान समय भी नष्ट न होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुये मैंने यह निवेदन किया था कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया। मुझे इसमें भी कोई ऐतराज नहीं कि सदन आज या किसी दिन बैठ कर इस प्रश्न पर विचार कर ले।

मैं समझता हूं, इस तरह के आरोप, किसी माननीय सदस्य के ऊपर और खास तौर से ऐसे सदस्य के ऊपर जो सार्वजनिक जीवन में काम करता हो, लगाये जायं तो उसको कितनी तकलीफ होगी, यह तो आप समझ ही सकते हैं। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे आरोपों की जांच हो, और विचार के बाद उस सदस्य के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिसने किसी के खिलाफ अनफाउन्डेड ऐलीगेशन्स लगाये गये हों। अगर मेरा कसूर हो तो मैं सहर्ष उस सजा को भुगतने के लिये तैयार हूं। मैंने इस बारे में कितनी ही बार जोर देकर आपसे कहा लेकिन आपका उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी कारण माननीय रियासत साहब को मौका मिल जाता है, इस तरह से बोलने का। यह मौका भी जो उनको मिल जाता है, उसकी भी शिकायत हमें आपसे है। इस मामले में अब आप चाहे आज ही निर्णय कर दें अथवा किसी वक्त भी कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर भी और इस माननीय सदन के ऊपर भी।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अभी जो माननीय साथी जायसवाल जी और माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा उसके बारे में मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि उस दिन की प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। जिसने जो कुछ कहा है, सब उसमें दर्ज है। माननीय जायसवाल जी बहुत मीठी जबान में बोलते हैं और बड़े संसदीय आदमी हैं। मैं समझता भी नहीं था कि वे ऐसा कहेंगे। मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वह ऐसा कहा था कि जो कुछ मैंने सुना वह कह दिया कि आप तस्कर का व्यापार करते हैं, जनता ऐसा कहती है। मैंने गाली नहीं दी। जो वास्तव में यह करते हैं वहीं मैंने कहा।

श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के विषय में श्री अध्यक्ष से निर्णय की मांग (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या अध्यक्ष महोदय, मुझको दुबारा वही कहना पड़ेगा जो मैं पहले कह चुका हूं। क्या उनके खिलाफ मुझे वही जबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो मैंने उस दिन की थी।

श्री मंजूर अहमद---

मैंने जो बात कहीं है वह प्रोसीडिंग में मौजूद है। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैं चाहूंगा कि यह सदन और उसके पूरे माननीय सदस्य इसको देख लें। उनकी गालियों की मुझे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इस बात की कि हाउस में वे कितनी अच्छी जबान बोलते, उन्होंने ऐसी गालियां दीं। उससे मुझे ही नहीं सदन के सभी माननीय सदस्यों को तकलीफ होगी। मैं चाहूंगा कि आप उस दिन की प्रोसीडिंग्स को देख लें और कोई फैसला करें।

श्री अध्यक्ष---

एक रोज जब मैं बीच में आया था तो यह हुआ था कि जितने विशेषाधिकार के मामले रह गये हैं, उनको जब सदन उठ जायगा तो देख लेंगे और उसके संबंध में 14 तारीख को फैसला सुना देंगे। जब फैसला होगा तो सदन के सामने होगा। चाहे यह विशेषाधिकार समिति में जाय अथवा सदन ही स्वयं उसको ले ले, उसके ऊपर डिस्कशन तो होगा ही। उस दिन उपाध्यक्ष जी भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लूंगा। कार्य मंत्रणा समिति में हम लोगों ने एजेण्डा पर रख दिया था। वह समय माननीय सदस्यों ने नहीं दिया। सदन के सम्मुख यह मामला किस दिन आये यह कार्य मंत्रणा समिति क समक्ष है और एजेण्डा आप देखें, उसमें यह लिखा था कि जहां और सब अनुदानों का निर्णय करेंगे वहां इन दोनों विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के लिये भी समय सदन में दिया जायगा लेकिन कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों ने समय दिया नहीं। तो अब 14 तारीख को देखा जायगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

माननीय मंजूर अहमद साहब ने अभी माननीय अनन्तराम जायसवाल के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कह दी कि ये तस्कर का व्यापार करते हैं। सदन में माननीय मंत्रियों के बारे में जो आरोप लगाये जाते हैं तो उनका तो बयान हो जाता है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। माननीय मंजूर अहमद साहब ने एक बड़ा गंभीर आरोप माननीय जायसवाल जी पर लगाया है। इस आरोप का खंडन या मंडन हो जाना चाहिये। माननीय जायसवाल जी ने जो व्यवहार किया था शायद वह किसी माननीय सदस्य के लिये शोभनीय नहीं था लेकिन अगर इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं किसी माननीय सदस्य के खिलाफ तो मैं मांग करता हूं कि वह इस चीज को स्पष्ट करें और विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को स्वीकार किया जाय और एक मौका दिया जाय माननीय मंजूर अहमद साहब को कि जो इतना गंभीर आरोप उन्होंने माननीय जायसवाल जी पर लगाया है वह कहां तक सत्य है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके।

श्री अध्यक्ष---

यह इस वक्त नहीं हो सकता।

श्री अनन्तराम जायसवाल ---

आज एक नयी चीज जोड़ी जा रही है। उस दिन कहीं नहीं था कि मैंने सुना है उसके आधार पर कह रहा हूं। यह किसी वकील की सलाह पर हो रहा है। आप उस दिन की प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें। मैंने उस प्रोसीडिंग्स को दोबारा भी पढ़ा है। उसमें ऐसी कहीं कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष —

अब यह 14 तारीख को होगा । अब माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

इसी संबंध में दो मिनट हमको देदें ।

श्री अध्यक्ष —

अब नहीं । अब मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

नैनीताल जिले के विभिन्न अंचलों में अराजकता फैलाने एवं थाना किच्छा के अन्तर्गत बस रोक कर गुन्डों द्वारा सरदार सेवा सिंह की हत्या किये जाने तथा थाना कैन्टूनमेंट, जिला बरेली के अन्तर्गत ग्राम वरकलीगंज के निवासी श्री घनश्याम की हत्या किये जाने के सम्बध में वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्री डूंगर सिंह विष्ट, विधायक, की सूचना में जिन चार घटनाओं का उल्लेख किया गया है प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(1) दिनांक 17–8–1971 को श्री राम किशन कंडक्टर, सरकारी रोडवेज की बस को लेकर हल्द्वानी से टनकपुर को जा रहा था। जब बस ग्राम चाचर के निकट पहुंची तीन सरदारों ने, जो उसी बस से यात्रा कर रहे थे, ड्राइवर को बंदूक दिखाकर बस रुकवा दी। मृतक सेवा सिंह को जो उसी बस से यात्रा कर रहा था, पर उपर्युक्त तीन सरदारों ने छत से उतर कर बन्दूक तथा पिस्तौल से फायर किये। घायल अवस्था में सेवा सिंह को तीनों सरदार खींचकर बाहर लाये और करीब से उसके माथे पर बंदूक से फायर करके उसकी हत्या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट थाना सितारगंज पर लगभग 7 बजे सायं काल बस कन्डक्टर ने लिखाई। पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर गयी। इस सम्बन्ध में थाना किच्छा पर उसी दिन एक मुकदमा धारा 302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम हुआ और विवेचना आरम्भ की गयी। विवेचना से अभियुक्तों का पता चल गया है और धारा 87 / 88 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है। मृतक सेवा सिंह पुराना हिस्ट्रीशीटर और चोरी के अपराध का सजायाफ्ता था। घटना के समय भी उसके विरुद्ध एक फौजदारी का मुकदमा जिला बरेली के न्यायालय में चल रहा था। मौके का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कर चुके हैं।

(2) दिनांक 11–8–1971 को नहीं बल्कि 8–8–1971 को मृतक रमेश, ग्राम मदनपुर में स्थित अपने खेत में हल लगा रहा था और उसका भाई गोपालदत्त तथा उसकी पत्नी जीवन्ती देवी वहीं पर झाड़ियां काट रहे थे। 7 अभियुक्त भालों तथा कृपाणों से मुसल्लह होकर रमेश पर टूट पड़े और उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई गोपाल दत्त की सूचना पर धारा 148/302, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा थाना रामनगर में कायम हुआ और उसकी विवेचना की जा रही है। इस सम्बन्ध में छः अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

(3) सितारगंज के पुलिस इन्चार्ज, श्री एम० एल० गौतम द्वारा अगस्त, 1971 के प्रथम सप्ताह में एक व्यक्ति को उसके दुश्मनों के बहकाने पर उसे गिरफ्तार करने और मारने और फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाने के कथित आरोपों के सम्बन्ध में क्षेत्र अधिकारी रुद्रपुर ने जांच की। उनकी अब तक की जांच के अनुसार एस० आई०, श्री गौतम ने किसी व्यक्ति को नहीं मारा जिसके फलस्वरुप वह मर गया हो। पता यह चला है कि दिनांक 27–6–71 को तीन बजे दिन सब इन्सपेक्टर, श्री बालम सिंह चन्द्र ने बैगुल डैम के रास्ते पर गुरुदत्त सिंह व ठाकुर सिंह को मय चोरी के मवेशियों के गिरफ्तार किया था। गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तारी के दौरान कुछ चोटें आई थीं और उसकी मृत्यु दिनांक 16–7–71 को बरेली के अस्पताल में टिटनेस से हो गई। इस घटना को लेकर दिनांक 3–8–1971 को उसके भाई श्री लाभ सिंह ने सब इन्सपेक्टर, श्री एम० एल० गौतम तथा अन्य कान्सटेबिलों के विरुद्ध एक इस्तगासा अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, हलद्वानी के न्यायालय में दायर कर दिया। इस इस्तगासे में यह आरोप लगाया गया है कि थानाध्यक्ष, श्री एम० एल० गौतम तथा अन्य दो कान्सटेबिलों ने दिनांक 27–6–71 को गुरुदत्त सिंह को लाठियों से मारा तथा दूसरे दिन उसके विरुद्ध एक चोरी का झूठा मुकदमा बना कर उसका चालान कर दिया। इस इस्तगासे के आरोपों तथा थाना सितारगंज में गुरुदत्त सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमें के तथ्यों में भिन्नता है। इस्तगासे के निर्णय एवम् क्षेत्राधिकारी की जांच के उपरान्त ही सही तथ्यों का पता चल सकेगा।

(4) दिनांक 17–8–1971 को श्रीमती निर्मतों अपनी सास के साथ अपने गांव से ग्राम नगला जा रही थीं। शाम को लगभग 4 बजे ग्राम झनकट और नगला के बीच रास्ते में तीन सरदारों ने श्रीमती निर्मतों की सास को पकड़कर मारपीट की और चोटें पहुंचाई और श्रीमती निर्मतों को मक्का के खेत में ले जाकर तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। श्रीमती निर्मतों के चिल्लाने पर कुछ व्यक्ति मौके पर आ गये और उन्होंने दो अभियुक्तों को वहीं पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त भाग गया। जो दो अभियुक्त पकड़े गये उनको गिरफ्तार करके 18–8–1971 को जेल भेजा गया। तीसरे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 87/88, जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही हो चुकी है। श्रीमती निर्मतों नाबालिक नहीं प्रतीत होतीं। वह तीन बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। श्रीमती निर्मतों की सूचना पर दिनांक 17–8–71 को थाना सितारगंज पर एक मुकदमा धारा 376/323/341, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम हुआ और उसकी विवेचना की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप-अधीक्षक ने कर लिया है।

यह कहना असत्य है कि तराई भाबर क्षेत्र की जनता में भय आदि पैदा हो गया है। इस क्षेत्र में कानूनी तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए समुचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री इन्द्रमणि तथा अन्य विधायकगण और श्री महातम प्रसाद तिवारी तथा अन्य विधायकगण द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में निम्नांकित दो घटनाओं का उल्लेख है:—

(1) थाना कैन्ट, जिला बरेली के अन्तर्गत ग्राम बरकलीगंज निवासी श्री घनश्याम की हत्या।

(2) नैनीताल जिले के थाना किछा के क्षेत्र में सरदार सेवा सिंह की हत्या।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

जहां तक पहली घटना का सम्बन्ध है जिले से प्राप्त सूचना इस प्रकार है:—

थाना कैन्ट, जिला बरेली पर दिनांक 29–7–71 को लगभग 11 बजे दिन को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बयारा में एक ट्यूबवेल की हौदिया में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। थानाध्यक्ष कैन्ट तुरन्त लाश का पंचायत नामा तैयार करने के लिये मौके पर गये। मौके पर एक पुरुष की लाश मिली। पंचायत नामा के समय गांव वालों की शिनाख्त पर लाश घनश्याम, निवासी बरकलीगंज, थाना कैन्ट, जिला बरेली की होना पाई गई घनश्याम के घरवालों ने बताया कि हत्या होने से पहले घनश्याम के पास एक चांदी की तगड़ी व एक हाथ की घड़ी भी थी, जो लाश पर नहीं पाई गई। मृतक की गर्दन व उसके निकट गोली की चोटों के निशान पाये गये। घटनास्थल व बरामदगी लाश के स्थानों पर खून आलूदा मिट्टी और एक खाली कारतूस भी मिला। थानाध्यक्ष ने मौके पर बरामद सामान व लिखित सूचना थाने पर भेजी जिस पर धारा 302/201/394, भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया और विवेचना शुरू हुई। इस हत्या के सम्बन्ध में कोई अभियुक्त नामजद नहीं था। विवेचना से प्रकाश में आये दो अभियुक्त 31–7–71 को और एक अभियुक्त 3–8–71 को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त 4–8–71 को हाजिर अदालत हुआ। सभी अभियुक्त जेल में हैं। अभियुक्तों की निशान देही पर एक देसी 12 बोर बन्दूक व 3 भरे कारतूस और मृतक की तगड़ी व उसकी एक घड़ी बरामद हुई। मृतक की घड़ी भी एक गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बरामद हुई। मामले की विवेचना जारी है।

बाबू पुत्र जोरावर के घर में नाजायज बन्दूक होने की सूचना मिलने पर उसके घर की तलाशी 31–7–71 को ली गयी थी। तलाशी से एक बन्दूक एकनली और दो कारतूस भरे हुए बरामद हुये थे। कोई खाली कारतूस नहीं बरामद हुआ। बाबू को आर्म्स ऐक्ट की धारा 25 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। घनश्याम की हत्या की घटना की अब तक की विवेचना से बाबू का उस हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं पाया गया है। बाबू के पिता जोरावर का न तो बाबू के घर स बरामद बन्दूक स, न हीं घनश्याम की हत्या के मामले से कोई सम्बन्ध पाया गया है।

इस हत्या के मामले की तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गयी है।

जिला नैनीताल से सम्बन्धित दूसरी घटना के सम्बन्ध में सूचना अलग से दी जा चुकी है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब अभियुक्तों का पता चल गया है तो जाब्ता फौजदारी की धारा 87–88 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता पड़ी और मुल्जिमों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मर्डर के सम्बन्ध में जो तीन अभियुक्त है उनमें एक हमारे प्रदेश का है जो बरेली जिले का रहने वाला है। उसके विरुद्ध धारा 87–88 की कार्यवाही की जा चुकी है। वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है इसलिये धारा 87–88 की कार्यवाही की गयी है। दो अभियुक्त हमारे प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वे पंजाब के रहने वाले हैं। हमारा इन्सपेक्टर उनकी गिरफ्तारी के लिये गया हुआ है।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है या हमारे प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जानकारी करेंगे कि तराई भाबर में आये दिन हत्यायें हो रही हैं और अभियुक्तों को और कुछ ऐसे लोगों को वहां पर असलहा के लाइसेंस दिये गये हैं ? अगर दिये गये हैं तो किनके द्वारा ऐसे लाइसेंस उनको प्रदान किये गये हैं ? साथ ही सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करा कर ऐसे असलहों को शीघ्र जब्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जैसा कि माननीय इन्द्र लाल जी ने कहा---इस प्रकार की शिकायतें अवश्य आयी हैं और सरकार की ओर से इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि बाहर के लोग जो आये हैं इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी पायें जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

जिस मुलजिम के पास से बन्दूक बरामद की गयी है उसको दफा 25 में बन्द करके, इस कत्ल में नहीं रखा गया है। क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मृतक का सामान भी उसी मुल्जिम के पास से बरामद हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध बरेली की घटना से है। यह सही है कि पुलिस ने मुखबरी के आधार पर बाबू नाम के एक मुल्जिम के यहां से बन्दूक बरामद की और आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत उसका चालान हुआ है। इस कत्ल वाली घटना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया है। मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं कि इन सब की जांच सी० आई० डी० को दे दी गयी है और इसमें किसी को कोई रियायत नहीं दी जायगी। जो भी दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य होगी।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, वक्तव्य के आइटम नं० 3 के जवाब में है कि गुरुदत्त सिंह की मृत्यु बरेली अस्पताल में हुई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह आदमी बरेली अस्पताल में कब भर्ती हुआ तथा इसकी मृत्यु टिटनेस से हुई है, ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो केवल वक्तव्य के लिए था और आप इनसे डिटेल में उत्तर देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अगर माननीय मंत्री जी के पास कोई जानकारी हो तो दे दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मेरा निवेदन है मान्यवर, कि इसमें इस्तगासा दायर हो चुका है। कोर्ट में है मैटर सब-जुडिस है, इसलिए कृपा करके इस पर ज्यादा सवाल न करें।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे—जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि तराई भाबर क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए समुचित कानूनी व्यवस्था की जा रही है, तो कानून व व्यवस्था कायम रखने के लिए तुरन्त कौन से उपाय लागू किय जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियम व व्यवस्था कायम रखने के लिए जो जरूरी है वह कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रलाल--

समुचित कार्यवाही क्या है, उसकी सूचना माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

यह सही है कि तराई भाबर क्षेत्र के सम्बन्ध में शिकायत आई है कि वहां अपराध बढ़ रहे हैं । एक एडिशनल एस० पी० की नियुक्ति कर दी गयी है रुद्रपुर में और उनको काफी अधिकार दिया गया है कि वे तराई भाबर क्षेत्र के सम्बन्ध में छानबीन करें ।.....और इस रोक थाम के लिए ही एक डिप्टी एस० पी० की नियुक्ति खटीमा में की गई है, इस तरह के अपराधों और चोरियों को रोकने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वेड कायम किया गया है और इस सम्बन्ध में सरकार हर तरह से जागरूक है, हमारी कोशिश है कि इस प्रकार की हत्यायें और अन्य अपराध न हों ।

श्री रामलाल राही--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी जानकारी के अनुसार बरेली वाले इस कांड में मुखबरी के आधार पर चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनमें से 3 का चालान कत्ल में और 1 का चालान धारा 25 में किया गया और जिस के पास बंदूक बरामद हुई, तो क्या वहां के जो एस० ओ० और सी० ओ० हैं जिन के कारण से यह हो रहा है उनका स्थानान्तरण किसी दूसरे डिवीजन को करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

(मंत्री जी को उत्तर देने के लिये नहीं पुकारा)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन), विधेयक–1971

राजस्व राज्य मंत्री (काजी जलील अब्बासी)--

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, मुस्लिम वक्फ ऐक्ट 1960 में कुछ जरूरी तरमीमात की जरूरत थी और सन् 70 में काफी संशोधन किये गये थे और वह संशोधन कौंसिल से पास होकर यहां पेश भी हो गये थे लेकिन उन पर यहां कुछ कारणों से विचार नहीं हो सका । इस वास्ते उनको यहां फिर दोबारा लाना पड़ा है और यह कौंसिल से पास हो चुके हैं और इस बिल के जरिये से दो एक ऐसे बहुत जरूरी संशोधन किये जा रहे हैं जिन की सख्त जरूरत थी । अव्वल तो जो आराजियात या जमीन मुतवल्ली रखते थे उसमें वह काफी खुर्दबुर्द किया करते थे, किसी को बेंच दिया या रेहन कर दिया, या उस पर किसी का कब्जा करा दिया और वक्फ के ही पैसे से आठ-आठ और दस-दस साल मुकदमा चलता रहता था और इस तरह से वक्फ की प्रापर्टी का काफी नुक्सान होता था । इसलिये यह धारा 49, ए० बी० और 57 ए० के जरिये से एसी गुंजायश की गई है कि अब कोई भी जमीन अगर बेंचता है तो उसे उसके लिए पहले इजाजत लेना पड़ेगी बोर्ड से और बिना बोर्ड की इजाजत के मुतवल्ली न तो वक्फ की प्रापर्टी बेच सकेंगे और न उस को रेहन रख सकेंगे और न उस को एक साल से ज्यादा के लिए खेती या किसी काम के लिये ही दे सकेंगे । अगर देना है तो वह पहले इजाजत वक्फ जायदाद हमेशा खुदा की जायदाद होती है और उसके जो उसके मुतलल्वी होते हैं वह सिर्फ एक मैनजर की ही हैसियत रखते हैं । इसलिये खुदा या ईश्वर के काम के लिये हर एक को चाहिये कि जहां तक हो सके उसका पैसा बरबाद न हो । जहां इस तरह की बरबादी हो रही है उसको रोकने के लिये बोर्ड के अधिकार बढ़ाये गये हैं और मुतवल्लियों पर एक अंकुश लगाया गया है ।

---

*26 अगस्त, 1971 की कार्यवाही में छपा है ।

इसके अलावा जो और इसकी धारायें हैं वे ऐसी हैं जैसे 49 (ए) है उसमें बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं और 49 (बी) में है कि जब कोई मुतवल्ली किसी चीज को खिलाफ कानून बेचे तो बजाय इसके कि मुकदमें में जाय तो बोर्ड एक सार्टिफिकेट ईशू कर दे और उस पर या तो वह 30 दिन के अन्दर उसको मानकर खाली करदे या 30 दिन के अन्दर अगर चाहे तो जज के यहां उसकी अपील कर दे और उसके फैसले के मुताबिक फिर कार्यवाही होगी। अब इसमें आसानी हो जायगी। कागजात वगैरा लेने में भी काफी दिक्कत होती थी और मुकदमें लम्बे चला करते थे। उसके लिये कागजात लेने में अब आसानी कर दी गई है। जब किसी मुतवल्ली को निकालना पड़ता था तो उसमें बड़ी परेशानी होती थी और उसमें जो शिकायत होती थी उनको भी दूर किया गया है। बोर्ड आसानी से कागजात को लेने के लिये सर्टिफिकेट ईशू कर देगा ताकि बिला वजह लम्बे अर्से तक मुकदमात न चलें इस प्रकार से इसमें जो छोटी-छोटी धारायें हैं जिनमें संशोधन किया गया है जहां तक सम्बन्ध वक्फ अल्ल–औलाद का उसमें 70–75 फीसदी हमारे खानदान के हैं, उनको मिलेगा। अगर वे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो दिक्कत यह है कि पीढ़ी खत्म हो गयी तो सब की सब आमदनी बोर्ड को हो जाती थी। तो जब वे रजिस्टर्ड ही नहीं हैं तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। तो यह कर दिया गया है कि वक्फ अल्ल–औलाद को रजिस्टर्ड कराना होगा और जितनी हमारी सीमा है 20 या 25 फीसदी की वह पैसा आडिट करके अल्लाह के नाम पर ले लेंगे और फिर जब कोई शिकायतें नहीं रहेंगीं तो यह पैसा अच्छे काम में लगेगा।

ऐसे ही यह था कि कहीं पर लिखा है मुतवल्ली और कहीं पर मुजाबिर लिखा गया है और कहीं पर और कोई शब्द रख दिये गये हैं। तो चाहे जो लिखा जाय सबका मतलब मुतवल्ली से होगा ताकि लोग नाम बदल कर उसका फायदा न उठायें।

इसके बाद जो जरूरी चीजें हैं, ऐक्ट जो लागू होते हैं वे हैं, रेलिजस एन्डाउमेंट्स ऐक्ट, 1863, चैरिटेबिल एन्डाउमेंटस ऐक्ट, 1890 और चैरिटेबिल ऐंड रेलिजस ट्रस्ट्स, ऐक्ट, 1920 इन चीजों का फायदा उठाकर इनसे मामले लटक जातें हैं। तो इससे यह होगा कि वक्फ के मुकदमें जिनमें ये धारायें लागू हैं वे लागू नहीं होंगी। तो अब इससे इतना हो जायगा कि कोई फायदा नहीं उठा पायेंगे। 57 ए और 49 बी में जो अधिकार दिया है इस पर कोई न्यायिक मुकदमा किसी अदालत में चल नहीं सकेगा। जो जज के यहां जाकर अगर कोई फैसला हो जायगा अपील का तो वह फाइल होगा। फिर अधिकार नहीं है कि उसमें मुकदमा चल सके।

और छोटी-छोटी तरमीमें हैं, मसलन एक आदमी मुतवल्लियों में से चला आता है बोर्ड में और 100–200 रुपया जेब में रखकर वोट बढ़ाने के लिए ले आता है तो उसके लिए यह किया गया है कि 10,000 हजार की जिसकी हैसियत होगी मालियत, 10 हजार करने से 10–20–25 की संख्या हो गयी तो उसकी सीमा कम हो गयी तो इसे 3 हजार कर दी है। अब इसमें मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है।

वक्फ के मामले ऐसे मामले हैं इसमे जो कुछ भी किया जा रहा है वह सम्पत्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है जो कि जाने वाले लोगों ने अल्लाह के नाम पर अपनी जायदाद को वक्फ को दिया है। जाने वाली की इस जायदाद की हिफाजत करना इस सरकार का काम है। जाने वाले लोग अपनी-अपनी जायदाद छोड़ गये हैं, ताकि उससे गरीब बच्चों को फायदा हो, कुछ मक्तब चलाये जांय। कोई उस सम्पत्ति को अपने काम में न लगा सके उसकी निगरानी हो सके इसके लिये ये संशोधन लाये गये हैं। यह संशोधन लाया गया है। हर संशोधन इसमें महत्वपूर्ण हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सदस्य इसे मंजूर करेंगे।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, माननीय मंत्री ने पेश किया है उसमें यह तरमीम पेश करता हूं-- "उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधयक, 1971 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर दे और समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो"।

मान्यवर, पहले तो आप मुझे इतना बता दें कि कितना समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अगर चाहें तो पांच-दस मिनट में अच्छी बातें कर सकते हैं, आप कहिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

15-20 मिनट जरूर दे दीजियेगा। मैं मंत्री जी को इस बात पर तो बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के अन्दर एक तरमीम पेश की है और वह यह कि पहले जो दूसरे वक्फ हैं, बोर्ड से अलग इतने औकात होत थे और जिनकी हैसियत दस हजार होती थी उनका भी प्रतिनिधि लिया करते थे और वही बोर्ड के कन्ट्रोल में आया करते थे। अब तीन हजार की कर दी है। इससे काफी वक्फ इनके कन्ट्रोल में आयेंगे और ज्यादा लोगों को इससे फायदा उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन मान्यवर, हमारे मंत्री महोदय तो ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जहां पर मुस्लिम पापुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर बड़े-बड़े औकात हैं जैसे पिरा नकलियर शरीफ मौजूद है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप इस इलाके से यहां पर एम० एल० ए० चुनकर आये हैं और उसी की बदौलत आपने यह औकात का संशोधन पेश किया है। तो ऐसी कौन सी चीजें आपने पेश की हैं। पिछली मर्तबे सन् 1936 और सन् 1960 का अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया था उनको दखत हुए आज इसमें कोई तरक्की कर सकेंगे। ऐसी कौन सी बातें आपने इसमें पेश की हैं जिससे हम यह अन्दाजा लगा लें कि आज के औकात क अन्दर इतना बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी धांधली जितनी इसमें है शायद इस वक्त इस उत्तर प्रदेश में किसी मुकदमें, किसी संस्था, किसी इन्स्टीट्यूशन में न हो, उस पर क्या आप रोक लगा सकेंगे? मुझे कम से कम यह जानने का हक है कि आपको मालूम करना चाहिये था कि ये तरमीम किस लिये ला रहें हैं। मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस औकात के बोर्ड को 6 प्रतिशत सारे बोर्ड की आमदनी का हिस्सा मिलता है लेकिन क्या मान्यवर, आप या आपका कोई कर्मचारी या आपके बोर्ड का अधिकारी यह बता सका है कि यू० पी० भर में से कितनी आमदनी आती है जो कि आपके रजिस्टर में मौजूद है और जिसको देखकर यह अन्दाज लगा लें कि एक साल में कितना पैसा मिला है। ये औकात बड़ी पवित्र चीज है। इनके अन्दर सबको अकीदत है। यह केवल मुसलमानों का मसला नहीं है इसमें सिक्ख और हिन्दू सब अकीदत रखते हैं। सब फन्ड देते हैं। अजमेर का उर्स जो हो रहा है ख्वाजा चिश्ती साहब का उनके लिये कह सकता हूं कि कितने मुसलमान मानते हैं। शायद मुसलमानों के अलावा चौगुने हिन्दू इसमें अकीदत रखते हैं। राजस्थान में इतनी बड़ी-बड़ी जायदादें उनके लिये अलाट की हैं जो आज तक कायम हैं लेकिन मान्यवर, छः फीसदी जो मिलना चाहिये था यह उम्मीद की जाती थी कि आप उसको अकीदत के काम में लायेंगे, उससे स्कूल चलायेंगे, बेवाओं को इमदाद देंगे, यतीम बच्चों को पढ़ने के लिये इमदाद देंग। आपकी आमदनी वसूल कहीं हो रही है। आपका इन्सपैक्टर और मुतवल्ली की शरारत है इसमें। आपका कोई इन्सपैक्टर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर औकात में चैकिंग के लिये जाता है तो वह मुतवल्ली उसके घर ठहरता है। वहां मुर्ग मुसल्लम खाता और वहीं भेंट पूजा होती है। 420 के अखराजात और आमदनी होती है। मुतवल्ली सब वहीं बैठकर दस्तखत कर देता है। वह चार मकानों की तामीर का खर्च पास करा लेता है। लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं कि वहां चार मकान बनने के बजाय चार मकान

ढह गये हैं और जनकी मरम्मत भी नहीं करायी गयी है। तो जब तक अवकाफ के अधिकारियों पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है वह दूर नहीं होगा और आपको कोई आमदनी नहीं होगी। जिस काम के लिए यह अवकाफ है अगर वह काम इनसे हल नहीं होगा तो सिवाय भ्रष्टाचार के इनमें और कुछ नहीं होगा। इसकी जो जायदाद है वह मुतवल्लियों के पल्ले पड़ी हुयी है। उनके साथ आप के वक्फ बोर्ड के लोगों का साज है। वह लोग अधिकारियों से मिलकर लाखों रुपए की जायदाद बेच देते हैं और केवल हजारों की आमदनी बताते हैं। अगर आपने अवकाफ की जायदाद को बेचने से रोकने के लिए कोई पाबन्दी नहीं लगायी तो आपके ये सब संशोधन बेकार हो जाएगे। इसलिये मजबूती के साथ इसको चलाइये। क्या पिछले बीस साल में आप बता सकते हैं क्या आप की आमदनी है, क्या खर्चा है, कहां से क्या मिला? कोई रजिस्टर मेन्टेन होता है? जब आप इसको नहीं देख सकते तो वह आप को बहका सकते हैं। अधिकारी लोगों और मुतवल्लियों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है।

मान्यवर, एक सुझाव देने चाहता हूं। आप के इस उत्तर प्रदेश में 50–60 हजार रु० सालाना अवकाफ को मुकदमा बाजी में खर्च करना पड़ता है। इस तरमीम में क्या आपने कोई ऐसी चीज रखी जिससे आप अवकाफ को मुकदमेबाजी के खर्चे से बचा सकें? आपका जुडीशल मजिस्ट्रेट लेविल या जज लेविल का आमदनी हर जिले में मुकर्रर होता है। कोई भी आदमी डेढ़ रुपये की दस्तावेज देकर अवकाफ के मामले में मुकदमा दाखिल कर सकता है। आपने कभी देखा कि बोर्ड को इस सम्बन्ध में कितना रुपया खर्च करना पड़ता है और किस तरह से भत्ते में लुटाई होती है? अगर आप यहां पर ही लखनऊ में कोई अदालत मुकर्रर कर दें तो बेहतर होगा। आपका दफ्तर भी यहां पर है। कम खर्च में काम हो सकता है। इस तरह से बोर्ड की दौलत लुट रही है। मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि आप के मुकदमे सिविल केसेज की तरह से दायर होते हैं। हाईकोर्ट का, मुंसिफी का और जजी का एक तरीका है। वहां इस बात पर जवाब तलब किया जाता है कि इतने दिन में मुकदमा तय हो जाना चाहिए। लेकिन आप के मुकदमे कितने दिन तक चलते हैं? आप ने कोई टाइम लिमिट रखा है? इसके बहाने पैरोकार लोग तमाम जायदाद को खा रहे हैं। अगर इस पर पाबन्दी नहीं लगेगी तो मुश्किल हल नहीं होगी और आप का संशोधन बेकार हो जाएगा। यह आप का जो वक्फ बोर्ड है इस पर कंट्रोल कीजिए।

आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं, वह मौके पर जाते हैं, उनको मालूम है कि कितनी जायदाद इस वक्त है लेकिन वह आन दि स्पाट कभी चेकिंग नहीं करते हैं। आपके अधिकारियों के कहने के मुताबिक ही वहां से वापस चले आते हैं। तमाम जायदाद लुट रही है, कोई एकाउन्ट नहीं है। इसलिए आप इंस्पेक्टर्स को इस बात के लिए बाध्य कीजिए कि पूरे प्रान्त में जितने भी अवकाफ हैं उनकी जायदाद का चेकिंग करें और जो उनमें कमियां हैं उनको दुरुस्त करें। मैं आप के द्वारा मंत्री जी को एक बात यह बता देना चाहता हूं कि लखनऊ के अन्दर लाटूश रोड पर हबीबुल्ला बेग नाम का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। उसे इसलिए बनाया गया था ताकि उसके द्वारा बेवाओं को मदद मिले और खैरात के काम कराये जायें। इसका इंतजाम डायरेक्टली वक्फ बोर्ड के पास है। इसके अन्दर यह भी नहीं कहा गया है कि इसका मुतवल्ली कोई दूसरा है। यह इतना बड़ा वक्फ है और इसकी हालत इतनी खराब है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे 5 मिनट और दें। उस बिल्डिंग के अन्दर कुछ पुराने किरायेदार थे। आप के बोर्ड के अधिकारियों ने किरायेदारों से पगड़ी लेकर उनका किराया तो माफ कर दिया, मगर उनको यह कह दिया कि तुम किराया ले कर चले जाओ और मकान खाली कर दो। जो मकान और दुकान खाली हुए उनको दूसरे लोगों को दे दिया गया और उन लोगों से काफी रुपया ले लिया है। उन लोगों के लिए किराया नामिनल सा फिक्स किया गया। वह इतनी बड़ी जायदाद है जिसकी कि आमदनी 2 लाख रुपये हो सकती है। उसके अहाते के अन्दर क्या हो रहा है, उस को भी आप देख लें। लकड़ी-

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

वालों को, कोयले वालों को दो-चार रुपये पर जमीन दे दी है और उनसे भी बड़ा पैसा वसूल लिया है। अगर वक्फ का इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा तो सारी जायदाद इन दलालों के जरिये चौपट हो जायेगी।

लखनऊ में लाटूश रोड पर माडर्न हाउस, नया गांव नामक एक वक्फ है जिसके मुतवल्ली श्री इश्तियाक अहमद और श्री अब्बासी, बार-एट-ला हैं। कोठी में वे खुद रहते हैं। वक्फ बोर्ड इतने सालों के दौरान उनसे किराया वसूल नहीं कर पाया है। इस संबंध में मैं एक बात और बता देना आवश्यक समझता हूं। वह जगह एरोड्रोम के लिए एक्वायर की गयी थी और सरकार ने 32 लाख या 42 लाख रुपये मुआवजे के दिये थे। वह रकम श्री इश्तियाक अहमद, बार-एट-ला के पास है। न तो उस रुपये को ही देते हैं और न उसका सूद ही देते हैं। ये तो आंख बन्द कर जायेंगे और यह रुपया उनकी औलाद के काम आयेगा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि इस वक्त बोर्ड में क्या हो रहा है। अगर आपने इस ओर तवज्जह दी तो मैं आपका आभारी हूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर शिया वक्फ है जिसकी कीमत 8–10 लाख रुपये है। सुना यह जाता है कि कलकत्ते की एक फर्म से काफी रुपया ले लिया है और उस रुपय को वे वापसी नहीं कर पा रहे हैं। यह सौदेबाजी कर रहे हैं कि 10 लाख रुपये की प्रापर्टी लाख डेढ़ लाख रुपये में दे दी जाय और जो कर्जा है उस को माफ कर दें। इसके बारे में दो ग्रुपों में लड़ाई हो रही है और इसकी रोकथाम की जा रही है। मैं आप को खास तौर से कहूंगा कि यह 10 लाख रुपये की बिल्डिंग खुर्द बुर्द हो जायगी अगर आपने इसका कोई काग्निजेन्स नहीं लिया और इसका कोई नोटिस न लिया। मैं आप को ऐन मौके पर बता रहा हूं। इन शब्दों के साथ यह एम्फेसाइज करते हुए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने इस मसले को, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को कन्ट्रोल करते हुए, मुतवल्लियों की नाक में नकेल डालते हुए और यहां की जायदाद का हिसाब लगाते हुए टेक आफ किया तो आप की कामयाबी होगी वर्ना आपकी तमाम जायदाद बेकार चली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप संशोधन पर बोलना चाहें तो संशोधन पर बोल लें। अभी सरकारी पक्ष के रियासत हुसेन बोलेंगे और 4 जनसंघ के माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

चार में से एक बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक के बारे में जो बोलना चाहते हैं उसके लिए समय दिया है ताकि उस पर जल्दी में विचार न हो, लेकिन यह भी याद रखें कि कल यह तय हुआ था कि दो घन्टे बाढ़ पर बहस के लिये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

जिन्होंने प्रवर समिति के लिये रक्खा है उनको बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकारी पक्ष से कहना है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके करें।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

पहले उधर वाले ही बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बतला दिया है कि सरकारी दृष्टिकोण भी रहना चाहिये। आज दो घन्टे बहस बाढ़ पर होनी है, तो उसको 4–30 पर करें तो इसको 2–30 पर खत्म हो जाना चाहिये। विधेयक के बारे में मैं जल्दी नहीं करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

जल्दी करना भी नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार स्वयं समझे कि कैसे आपको राजी करे।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

जो बातें कही जा चुकी हैं वह रिपीट न हों तो ठीक रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप लोगों पर है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

दोहराया नहीं जावेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया है इसके संशोधन में कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन विधेयक, 1971 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 महीने के अन्दर दे और समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा दुखी हूं और दुःख इस विषय का है कि जो सम्बन्धित मंत्री थे और जिनको इसको मूव करना चाहिये था, उन्होंने इसको मूव नहीं किया है असंबंधित मंत्री ने इसे उठाया है। आज अगर संबंधित मंत्री होते तो यह बतलाते कि जो यह बोर्ड है उस पर कौन कौन सदस्य हैं, कैसे चेयरमैन हैं, कितना लाभ उठाया है, तो हमको कुछ प्रकाश मिलता, परन्तु आज बड़ी दिक्कत है कि असंबंधित मंत्री जिनको विषय का ज्ञान नहीं है उन्होंने इसको मूव किया है। हमको कोई भी प्रकाश नहीं आया है कि बोर्ड क्या करता है, कितना लाभ उठाता है, कौन कौन सदस्य हैं और वह कैसे हैं, इस विषय पर प्रकाश नहीं डाला है। अब यह प्रवर समिति को क्यों भेजा जाय इस पर अपने विचार रखता हूं। पहले यह परसनल प्रापरटी होती है कि अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। हमको अधिकार है जायदाद की व्यवस्था करने का कि जो हम दे रहे हैं उसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाय लेकिन अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी ने विधेयक रक्खा है उनकी मंशा यह है कि बोर्ड बिलकुल तानाशाह की तरह काम करेगा। एकाधिकार लाना चाहते हैं यह क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि यह हमारी जायदाद है। हम जिस भावना से उसको देना चाहते हैं उसका आदर क्यों नहीं करते हैं, बल्कि उसका निरादर कर रहे हैं। यह एकाधिकार की बात है। अब प्रश्न यह है कि क्या जितने वक्फ हैं उनमें जायदाद का दुरुपयोग नहीं हुआ है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस बोर्ड में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से कांस्टीट्युशन में दो एमेंडमेंट हुए हैं उसी प्रकार आप यहां फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार था विवेचना करने का कि कौनसा राइट किस को है। जब ये रिट में जायेंगे तो आपको अधिकार नहीं कि आप छीन सकें। वह राइट ऐसे हैं जो कि हमने लिपिबद्ध कर दिये हैं कि हमारी वक्फ इस तरह से चलेगी। आपने यह विधेयक एक विशेष वर्ग के लिये रखा है। विशेष

[श्री हरिनाथ तिवारी—]

वर्ग को क्या ऐसी सूचना दी है कि हम आपके राइट्स काट रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि इस विधेयक के आने के बाद कोई भी मुसलमान वक्फ करने के लिये तैयार नहीं होगा क्योंकि जिस भावना से वह करता है बोर्ड में जाने के बाद वह भावना नहीं रहेगी। वहां भावना दूसरी होगी। हम आप सभी देखते ह कि आज मंत्रियों को जो पद दिये जाते हैं उनका कितना दुरुपयोग होता है। हमारे शर्मा जी के बारे में ही यहां सदन में दो बार चर्चा हो चुकी है। यहां तो चर्चा भी हो सकती है लेकिन बोर्ड के सदस्य किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे ह जिसकी चर्चा कहां हो सकती है। यह वैसे ही ह जिस प्रकार कि प्रिवी पर्स को समाप्त कर रहे ह। कोई एग्रीमेंट राजाओं के मध्य हुये थे जिन्हें डिस्ओन कर रहे हैं। हम अपनी जायदाद वक्फ करते हैं तो बोर्ड से उसका क्या सम्बन्ध है लेकिन इस विधेयक को लाकर उस भावना को जिस भावना से वक्फ करते ह आप छीनना चाहते हैं। इसमें जो २ का खंड ३ था उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। उसमें था कि वाकिफ या उनके वंशजों या उनके परिवार के किसी सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति का भरण पोषण तथा निर्वाह। आप इसको काट देना चाहते हैं। इसी के साथ इसमें, सन् 1960 के एक्ट में, यह भी था कि वाकिफ, उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके किसी पूर्वज के सालाना उससे सम्बद्ध धार्मिक कृत्यों का किया जाना, कन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रयोजन के लिए वार्षिक व्यय 2,500 रु० से अधिक न हो। आप इस सेक्शन को भी उड़ा दे रहे हैं। निजी मकबरों और कब्रिस्तान का अनुरक्षण था, उसे भी काट रहे हैं। इसमें कौन सा पर्सनल यूज है।

एक सदस्य—

मंत्री जी ने इसको देखा नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

सम्बन्धित मंत्री जी ने तो इसको पायलट ही नहीं किया। इसी प्रकार से 75 परसेन्ट का था। आप उसको काटने वाले कौन होते हैं। आप कौन सा उपयोग करेंगे। आप भी तो वक्फ के लिये ही उपयोग करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार है। अब आप अलल औलाद के लिये भी कह रहे हैं कि "इस सीमा तक जहां तक सम्पत्ति उपर्युक्त किसी ऐसे प्रयोजन के लिये समर्पित या अनुदत्त हो"। इस तरह से आप एकाधिकार चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी प्रापर्टी बोर्ड में निहित हो जाय। बोर्ड का किस तरह इंतजाम होगा, क्या इंतजाम होगा, इसके लिए इसमें कुछ नहीं कहा है। हम कहते हैं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। अधिकारी लोग जिस तरह से चाहते हैं काम करते हैं। उनको यह भी पता नहीं होता कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। अभी तक मुतवल्ली हुआ करते थे, लेकिन अब उसको भी समाप्त किया जा रहा है। अब उसकी जगह कहते हैं समिति काम करेगी। समिति में क्या होता है, जो प्रामीनेंट मेम्बर होते हैं वही हावी रहते हैं, उन्हीं की चला करती है। इससे जो वक्फ का उद्देश्य है वही समाप्त हो जाता है। आप उसको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते, अधिकार लेने की बात क्यों सोचते हैं। आप यह भी कर रहे ह कि वे पट्टा भी नहीं कर सकते। अब अगर कोई मसजिद गिर जाय तो क्या वह आपके पास दौड़ा हुआ आये और कहे कि मसजिद गिर गयी है, उसे बनवाइये ? उस अधिकार को भी क्यों सरकार अपने हाथ में ले रही है। हां, यह हो सकता है कि कहीं गलत पट्टा हो जाय। तो उसके लिये सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि गलत पट्टा न होने पाये, उस पर सरकार अपना नियन्त्रण रखे तो ठीक है। ऐसा नियन्त्रण नहीं होना चाहिये कि वह अपनी जरूरतों को जो आवश्यक हैं वे भी वह पूरा न कर सकें। सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में भी उनको अधिकार होना चाहिये। उसके लिये उनके लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वे सर्टिफिकेट लेने आपके पास आयें। हां जो रजिस्ट्रेशन वाली बात आप करने जा रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। रजिस्ट्रेशन से यह पता चल सकेगा कि कितने वक्फ हैं। उससे किसी की हानि नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा

कि यह जो तानाशाही का विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसको आप किसी समिति को भेज दें इसकी खामियों को दूर करके फिर से एक नया विधेयक लाया जाय क्योंकि अभी आप इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाये थे आज फिर लाना पड़ा।

श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं वक्फ मंत्री, उनके सचिवालय के अधिकारियों एवं सचिव महोदय को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को लाकर उन जरूरतों को पूरा किया जिनकी मांग अरसे से की जा रही थी। विपक्ष की ओर से श्री चन्द्रभान शर्मा जी ने कहा 10 हजार की वक्फ की आमदनियों के बजाए 3 हजार की वक्फ इसमें शामिल कर ली गई है। वह माननीय सदस्य इसको समझ नहीं सके हैं। जहां तक वक्फ "बोर्ड" के कानून का सवाल है, उन औकाफ के मुतवल्ली जिनकी आमदनी तमाम खर्च मुजरा करने के बाद दस हजार थी, उनको नुमाइन्दगी करने का मौका दिया जाता था, लेकिन अब इसके मुताबिक जिनकी 3 हजार रुपये सालाना है उनको भी नुमाइन्दगी का हक हासिल हो जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने फरमाई, बेचने की कोई पाबन्दी नहीं है खास करके। लेकिन अब इसमें हर्ज ही क्या है, अब तो इसके द्वारा बेचने ही नहीं, मार्गेज करने, रहन रखने, सब की पाबन्दी लगाई गई है। तिवारी जी ने फर्माया कि वक्फ बोर्ड क्या करता है। मंत्री जी ने इस पर प्रकाश नहीं डाला है। बेहतर था, मंत्री जी इस पर प्रकाश डाल देते। फिर भी यह जरूरी नहीं था, क्योंकि यह नया कानून नहीं है, यह तो पुराना है, सिर्फ अब उसमें कुछ जरूरी तरमीमें करने की कोशिश की जा रही है। यह भी बात कही गई कि आप औकाफ पर पाबन्दी लगाएंगे तो मुसलमान वक्फ करना बन्द कर देंगे, वे यह सोचेंगे कि चूंकि हमारी मंशा के खिलाफ इंतजाम किया जा रहा है, इसलिए वक्फ करने की जरूरत नहीं है। मैं तिवारी जी से अर्ज करूंगा कि यह वजह वक्फ न करने की नहीं हो सकती है। यह हो सकता है कि बेचारे मुसलमानों के पास वक्फ करने के लिए जायदादें ही न रह जाएं। उनको संरक्षण देने के लिये कि वे बर्बाद न हों ये कुछ तरमीमें इस "हाउस" में पेश की गई हैं। दूसरा एतराज यह किया गया कि "टोम्ब" के बारे में जो "प्राविजन" थे, उनको खत्म कर दिया है। उन्होंने मेरे ख्याल से ऐक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है। जिस "सेक्शन" को खत्म किया गया है, उस में दर्ज जायदादों के लिये वक्फ ऐक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका "स्कोप" बढ़ा दिया गया है। इसलिये इसको "ओमिट" करना लाजिमी था, उसके तहत में यह किया गया है।

इसके साथ मैं वक्फ मंत्री जी को वक्फ जायदाद के बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इस बात के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जैसा पहले भी कहा है कि उन्होंने वक्फ जायदादों को मुन्तकिल होने पर चाहे वह तोहफे के तौर पर हो या बेचने का प्रयास हो, या रेहन का या तबादले के जरिये से हो, पाबन्दी लगाई है कि ऐसा करने के वास्ते पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत ली जाए। पहले भी जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज की इजाजात की आवश्यकता होती थी, जिला जज इजाजत देता था अब वक्फ बोर्ड देने लगेगा। सार्वजनिक जीवन में यह बात देखी गई है कि वक्फ जायदादों को की आमदनी अब बहुत कम हो गई है। इसके पहले उनकी आमदनी काफी थी, लेकिन जब से करेंसी का मूल्य कम हो गया है, वक्फ जायदादों की आमदनी दिन पर दिन कम होती जा रही है और उनका किराया कम होता है कि उनकी सालाना मरम्मत भी नहीं हो सकती है। मैं आप के जरिये से वक्फ मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जो दूसरे इसके अलावा "कोलेटरल ऐक्ट" हैं, उनमें भी सरकार के जरिये से ऐसी तरमी में कराये कि वक्फ जायदादों की आमदनी बढ़ने से महरूम न रहे और वक्फ की जायदादों की आमदनी बढ़ जायगी।

[श्री शमीम आलम---]

मिसाल के तौर पर "रेंट कंट्रोल ऐक्ट" के मातहत किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। दर्मियान में एक तरमीम हुयी थी जिसके मातहत किराया ड्योढ़ा हो गया था। मैं आप के जरिये से सुझाव दूंगा कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट को इस तरीके से तरमीम करवाएं कि वक्फ जायदाद पर वह लागू न हो और वह वक्फ आमदनी बढ़ाने में हायल न हो। दूसरी चीज यह है कि यह वक्फ अलल औलाद पर लागू होगा। पहले उन जयदादों पर, जिनकी खरात पर खर्च होने वाली आमदनी 75 फीसदी से ज्यादा नहीं थी उन पर यह "ऐक्ट" लागू नहीं होता था। वक्फ बोर्ड को उनकी देखरेख में अपना हिस्सा बंटाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरमीम के जरिये से वक्फ बोर्ड को उनकी जायदादों की भी देखरेख करने का अख्तियार हासिल हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड पर इंतजाम की जिम्मेदारी पड़ जाती है। कुछ मामलात में वक्फ अलल औलाद को "प्योरली चैरिटेबिल" वक्फ की तरह से माना है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे "ऐक्ट" में "प्योरली चरिटेबिल" वक्फ और वक्फ अलल औलाद में अन्तर किया जाता है। अब वक्फों को इतनी सख्ती से ले रहे हैं तो दूसरे ऐक्टों में, सीलिंग ऐक्ट, रेंट कंट्रोल ऐक्ट और गांव सभा के मनुअल में भी तरमीम करवानी होगी जो इन वक्फ जायदादों पर लागू नहीं होने चाहिए।

एक चीज और है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मबजूल कराऊंगा। वह यह है कि "कांस्टीट्यूशन आफ वक्फ बोर्ड" जो है, उसमें मुतवल्लियों को नुमाइंदगी देते हैं। लेकिन वक्फ के जो "बेनिफिशियरीड" है उनकी नुमाइंदगी का कोई इंतजाम उसमें नहीं है। जो लोग उसके मुनाफे से फैजयाब होते हैं उन को वक्फ बोर्ड के बनाने में दखल नहीं होगा तो उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी। मुतवल्लियों का "वेस्टेड इंटरेस्ट" होता है। मुतवल्ली इंतजाम में ठीक से कारगुजारी नहीं दिखलाते मुकदमों में सही तौर से पैरवी नहीं करते क्योंकि जायदाद उन की नहीं होगी। वक्फ जायदादें जाया हो जाती हैं। लाखों रुपये की जायदाद जाया हो चुकी हैं। बेनिफिशियरी को भी दखल होना चाहिए।

एक इलाज है जिसके मातहत उलमा की नुमाइंदगी दी जाती है। लेकिन उसमें सिर्फ जमायतुल उलमा के उलमा को नुमाइंदगी दी जाती है। उसके जवाब में यह "आर्गूमेंट" दिया जाता है कि जंगे आजादी में जमायतुल उलमा के मौलवियों ने कांग्रेस का साथ दिया था। जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था या तो अल्ला ताला के प्यारे हो गये या जो बचे हैं तो बहुत कम बचे हैं। जमायतुल उलमा के कई टुकड़े हो चुके हैं। उसकी वह "सेक्योरिटी" बाकी नहीं रही है जिसके मातहत मूल अधिनियम में उनको "रिप्रेजेंटेशन" दिया गया था। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सिर्फ जमायतुल उलमा तक नुमाइंदगी महदूद न रख कर किसी जमात के उलमा हों, कोई "क्वालिफिकेशन" का प्रतिबन्ध लगा सकते हैं, उन सब को नुमाइंदगी का मौका दिया जाय। मैं आखिर में एक बार फिर विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अगर आप सब लोग बोलना चाहते हैं, अब इधर विरोध तैयार है, पास करने के लिए और भी काम हैं जो आज का अजेंडा है, जिसमें बाढ़ का भी है।

श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुस्लिम वक्फ का संशोधन आया है उस पर हमारे शर्मा जी ने और तिवारी ने उसमें एक सुझाव दिया है कि इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और प्रवर समिति में विचार करके और जो उसके अन्दर दोष हों उसके ऊपर विचार करके एक महीने के अन्दर फिर से यह विधेयक लाया जाय और उसे सदन के सामने रखा जाय। आज अपने प्रदेश के अन्दर करोड़ों की सम्पत्ति ऐसी है जो वक्फ की गयी है और वक्फ करने वाले लोग धार्मिक विचारों के होते हैं। वह यह चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी सम्पत्ति मजहब के लिये, खुदा की राह पर, ईश्वर के नाम पर यतीमों को पालने के लिये, स्कूलों के लिये या मकतब के लिये खर्च की जाय। मस्जिदों को बनाने

के काम किये जायं। इस दृष्टिकोण से वे अपनी सम्पत्ति को वक्फ करते हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि उस सम्पत्ति का 3/4 भाग, आधा या आधे से कम भाग अपने परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिये छोड़ देते हैं। शेष धार्मिक कृत्यों के लिये होता है। लेकिन देखना यह चाहिये कि उसके मुतवल्ली उस धन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसका उपयोग मजहबी कामों में नहीं करते। इस तरह से उस धन का उपयोग जिस रूप में अथवा जिस मकसद के लिये होना चाहिये था उस मकसद में नहीं होता। मुतवल्ली को उस धन को धार्मिक कामों से उपयोग में लाना चाहिये लेकिन वह उसको अपने व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल करता है, अपने परिवार पर खर्च करता है। लिहाजा जो सुझाव आया है कि अब तक 10 हजार लोग उसके सदस्य हो सकते थे, अब उसकी संख्या 3 हजार कर दी गयी है, वह उसके सदस्य हो सकेंगे और इससे बड़ा लाभ होगा। काफी लोग सदस्य के रूप में उस बोर्ड में आ सकेंगे और उस सम्पत्ति को देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो बोर्ड बना हुआ है वह मनमानी ढंग से काम करता है। ऐसे लोग उसमें आते हैं जो धार्मिक कार्यों में धन को खर्च न करके धन का दुरुपयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बोर्ड के अन्दर जो सदस्य बाहर से आता है वह अगर उस धन का दुरुपयोग करता है तो उसे तबदील कर दिया जाय। मेरा सुझाव है कि अगर मुतवल्ली के परिवार में कोई ऐसा लायक आदमी हो तो वह उस धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी लेगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि पूर्वजों की जो मंशा थी उसे पूरा किया जाय, उनकी मंशा के अनुसार काम किया जाय और इस प्रकार वह धन का सही उपयोग करने का प्रयास करेगा। लिहाजा बोर्ड के लोग जो व्यक्ति मुतवल्ली के परिवार का हो, पहले उसे अवसर दें।

इसके अलावा जो सम्पत्ति अथवा धन है उसके लिये बोर्ड को चाहिये कि ठीक हिसाब-किताब रखा जाय यानी कितनी आय है और कितना खर्च है? म समझता हूं कि हर सदस्य को अधिकार है कि वह मुतवल्ली से उस व्यक्ति का प्रापर्टी का हिसाब-किताब पूछ सकता है और अगर वह सही हिसाब-किताब नहीं दे पाता है तो कानून के अन्तगत मुतवल्ली को दंड देने का अधिकार है। इस तरह से इस संशोधन विधेयक में कुछ खास-खास चीजें छूट गयी है। मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आये। उसके लिये समय निर्धारित कर दिया जाय। जिस समय वह रिपोर्ट आ जाय वह सदन के सामने रखी जाय और उस रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक पारित किया जाय जिससे समाज का और उस प्रदेश का कल्याण हो सके।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष---

एक दो सदस्यों को तो समय दिया जा सकता है लेकिन इतने लोगों को कैसे समय दिया जा सकता है लिहाजा अब मैं संशोधन लिये लेता हूं।

(इस समय बांई ओर की दर्शक दीर्घा से सदन में कुछ पर्चे फेंके गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 महीने के अन्दर दे और समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 19 तक

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (जिसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है) को धारा 2 में उपधारा (3) निकाल दी जाय।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में:--

(क) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

"(5) 'मुतवल्ली' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो या तो अलिखित रूप से, अथवा किसी ऐसे विलेख या करण के अन्तर्गत जिससे कोई वक्फ सृजित किया गया हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया हो और इनके अन्तर्गत कोई नायब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर, सज्जादानशील, अमीन या मुतवल्ली के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है और, इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के सिवाय, कोई ऐसा व्यक्ति या समिति भी है, जो तत्समय इस रूप में किसी वक्फ सम्पत्ति का प्रबन्ध या प्रशासन कर रही हों," और

(ख) खंड (11) में, शब्द "वक्फ अलल-औलद" और शब्द "तथा उपयोगवश वक्फ" के बीच में कोष्ठक और शब्द "(उस सीमा तक जहां तक सम्पत्ति उपर्युक्त किसी ऐसे प्रयोजन के लिये समर्पित या अनुदत्त हो)" रख दिये जायें।

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, खंड (च) निकाल दिया जाय।

धारा 11 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में, खंड (5) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायं।

धारा 12 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में, खंड (4) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायं।

धारा 13 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 13 में, "ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, सदस्यों को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तित न करे" के स्थान पर शब्द "जो विद्यमान न हो अथवा ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय सदस्यों को अपेक्षित संख्या में चुनकर भेजने में असमर्थ हो या असफल रहे" रख दिये जायं।

धारा 19 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (2) में,

(क) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(चच)--(1) वक्फ के उद्देश्यों के अनुकूल किसी वक्फ की अतिरिक्त आय का उपयोग किये जाने का निदेश देना;

(2) यह निदेश देना कि ऐसे वक्फ, जिसके उद्देश्य किसी कारण से स्पष्ट न हो, की आय का किसी रीति से उपयोग किया जायगा;

(3) किसी ऐसे मामले में जहां किसी वक्फ का कोई उद्देश्य समाप्त हो जाय अथवा उस उद्देश्य की प्राप्ति संभव न रह जाय, यह निदेश देना कि वक्फ की उतनी आय जो पहले उस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही थी किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो निर्दिष्ट

किया जाय और जो मूल उद्देश्य के सदृश या यथासंभव उसके सदृश हो, प्रयोग में लायी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रभावी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस खंड के अधीन कोई निदेश न दिया जायगा;

(ख) खंड (ञ) में, शब्द "बैंक" के बाद शब्द "या किसी डाकघर" रख दिये जायें, तथा शब्द "और उसका उपयोग वक्फ के उद्देश्यों के लिए करना" निकाल दिये जायें।

धारा 26 का संशोधन

9--(1) मूल अधिनियम की धारा 26 को उक्त धारा की उपधारा (1) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द "बोर्ड के सचिव" के पश्चात् शब्द "या बोर्ड के ऐसे अधिकारी, जिसे सचिव सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें," बढ़ा दिये जायें और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:--

"और कार्यवाही या अभिलेख के प्रथम दृष्ट या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें और जहां तक मूल कार्यवाही या अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषय या व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता"

(2) उक्त उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(2) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें बोर्ड एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी आज्ञा देना आवश्यक न समझे"।

धारा 27 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (2) में, शब्द "नियत किये जायें" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर अवधारित किये जायें" रख दिये जायें।

धारा 48 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 48 में खंड (ख) में शब्द "तीन वर्ष से अनधिक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायें।

नई धारा 49-क और 49-ख का बढ़ाया जाना

12--मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें अर्थात्:--

"49-क--ऐसे विलेख या वर्णन में, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ सृजित किया गया हो, दी गई किसी बात के होते हुए भी, वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति का--

वक्फों की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण

(1) विक्रय, दान, बन्धक या विनिमय, या

(2) कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये, या अकृष्य भूमि या भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये, पट्टे के रूप में;

अन्तरण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वैध न होगा।

धारा 49-क का उल्लंघन करके अंतरित वक्फ-सम्पत्ति की पुन-प्राप्ति

49—ख—(1) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि धारा 30 के अधीन रखे गये वक्फ रजिस्टर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति धारा 49-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अन्तरित कर दी गई है, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे दिये जाने का अधियाचन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधियाचन प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी आज्ञा देगा जिसमें सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति को आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्पत्ति बोर्ड को दे देने का निदेश होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा—

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिये वह अभिप्रेत हो, देकर, या प्रस्तुत करके, या उसे डाक द्वारा भेज कर; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान अथवा कारोबार के स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर, या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य अथवा सेवक को देकर, या प्रस्तुत करके, अथवा उस सम्पत्ति के, जिसके संबंध में वह हो, किसी प्रमुख भाग पर चिपकवा कर;

तामील की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह व्यक्ति, जिस पर आज्ञा तामील की जानी हो, अवयस्क हो, तो उसके अभिभावक पर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष-सदस्य या सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जायगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर उसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, अपील कर सकता है।

(5) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है और किसी ऐसी अपील को वापस लेकर या तो उसका निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है, और प्रत्येक दशा में न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञा का पालन न किया गया हो और ऐसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा नियत समय के भीतर प्रस्तुत अपील, यदि कोई हो, खारिज कर दी गई हो, तो कलेक्टर उस सम्पत्ति का, जिसके संबंध में आज्ञा दी गई हो, कब्जा लेगा जिसके लिये वह ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो, और फिर कब्जा बोर्ड को देगा।

(7) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये जायें।"

13—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

धारा 55 का संशोधन

"(1-क) उसने, उचित कारण के बिना, लगातार दो वर्ष तक, धारा 34 के अधीन देय अंशदान न दिया हो; या"

14—मूल अधिनियम धारा 57 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

नयी धारा 57-क का बढ़ाया जाना

अप्राधिकृत अध्यासियों से वक्फ सम्पत्ति का फिर से कब्जा लेना

"57-क—(1) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात यह समाधान हो जाय कि धारा 30 के अधीन रखे गये वक्फ के रजिस्टर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पति किसी व्यक्ति के अप्राधिकृत अध्यासन में है तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे बोर्ड को दिये जाने का अधियाचन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अधियाचन के सम्बन्ध में धारा 49-ख की उपधारा (2), (3), (4), (5), (6) तथा (7) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनो सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी अधियाचन के सम्बन्ध में लागू होते हों।"

धारा 58 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 58 में, शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

धारा 63 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 63 में, उपधारा (5) में, शब्द "तो बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली," से आरम्भ हो कर "जिनके कब्जे में वह सम्पत्ति, स्वत्व-विलेख या अन्य लेख्य हो," से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"तो बोर्ड आज्ञा द्वारा मुतवल्ली को, वक्फ सम्पत्ति और उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों या लेख्यों का कब्जा बोर्ड या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी अथवा वक्फ सम्पति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या समिति को देने का निदेश दे सकता है, और बोर्ड की आज्ञा उस मुन्सिफ के न्यायालय, या यदि कोई मुन्सिफ न हो तो उस सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को, जिसके प्रादेशिक क्षत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति स्थित हो या उक्त मुतवल्ली निवास करता हो, भेजी जायगी, और तदुपरान्त न्यायालय आज्ञा को उसी प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उसके द्वारा किसी वाद में दी गयी डिक्री हो।"

नई धारा 69-क का बढ़ाया जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

कतिपय अनुतोष के लिए वाद आदि पर रोक

"69-क—बोर्ड द्वारा किसी सिविल न्यायालय में किसी ऐसे अनुतोष के लिए, जो धारा 49-ख या धारा 57-क के अधीन कार्यवाहियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी।"

धारा 86 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 85 में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"किसी ऐसे वक्फ पर अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, निम्नलिखित अधिनियमितियां भी एतद्द्वारा निरस्त की जाती है :--

(1) बंगाल चेरिटेबिल एन्डाउमेन्ट्स पब्लिक बिल्डिंग्स ऐण्ड एसचीट्स रेगुलेशन, 1810

(2) रिलिजस एन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1863

(3) चेरिटेबिल एन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1890

(4) चेरिटेबिल ऐण्ड रिलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1920

संक्रामण कालीन उपबन्ध

19--इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी गई धारा 49-ख, धारा 57-क या धारा 69-क की किसी बात से--

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित किसी अनुतोष के लिए किसी सिविल न्यायालय में बोर्ड द्वारा संस्थित किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाहियां जारी रखी जा सकती हैं मानों यह अधिनियम प्रवर्तित न हुआ हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा दिय गये किसी निर्णय या डिक्री की वैधता या निष्पादेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें संशोधन नहीं दिये गये हैं इसलिये मैं सवाल उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 19 तक विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना शीर्षक तथा खण्ड 1

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काजी जलील अब्बासी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(श्री रियासत हुसेन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक-एक, दो-दो मिनट बोल सकते हैं.....

(व्यवधान)

माननीय शर्मा जी ने संशोधन रखा है, चूंकि समय नहीं है इसलिये मैंने बोलने का समय उन्हें नहीं दिया है। यदि आप चाहते हैं कि बगैर आपके बोले हुये विधेयक गड़बड़ हो जायेगा....

श्री रियासत हुसेन--

जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971†

(श्री खाद्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, खाद्य मंत्री तो हैं ही नहीं...

राजस्व राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)--

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

जरा आप इस पर भाषण दे दें तो मैं समझूं ..... 5 लाइन ही आप कह दें 5 लाइन रेंट कंट्रोल इविक्शन पर बोलें तो हम इसे बिना संशोधन के पास कर देंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। यह बड़े हैरत की बात है कि हाउस के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर कोई भी नहीं है। कुछ तो कहना चाहिए मिनिस्टर महोदय को।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

आप घबराइये नहीं, मंत्री जी आ गये हैं, पेशाब करने गये थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

अब वह बोल नहीं सकते, इंटरविन भले ही कर सकते हैं। आप इनको डाट दीजिये, इनको दिलचस्पी नहीं है।

---

† 27 अगस्त, 1971 की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी डांट क्या कम है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

उपाध्यक्ष जी, आप चाहते हैं या हाउस चाहता है तभी तो मैं गया। मैं बैठा रहा, बैठा रहा, जब जरा सा हट गया तो यह सब हो गया, पेश कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

विरोधी पक्ष समय पाकर आपको निरस्त कर सकता है।

श्री बेनी सिंह—

बचपन में एक कहानी सुनी थी कि 12 वर्ष तक सूई निकालती रही और आखरी सूई निकाली तो रानी गायब। तो जब मैं बहुत देर तक बैठा रहा और मुझे यकीन था कि दो एक आदमी और बोलेंगे तो मैं जरा सा हट गया, उसके लिए मुझे अफसोस है।

श्रीमन्, यह बिल में जो अमेंडमेंट है वह बहुत सीधा सादा है। उसमें कोई बहस की गुंजायश नहीं है। करने के लिए चाहे जो कुछ करें। न इसमें बड़ा वाद-विवाद होने को है। मामला इस प्रकार है कि 6 तारीख से जो हमारी प्रवर समिति बैठी है वह पूरे बिल पर विचार करके अगले ही सत्र में रिपोर्ट 14-15 को पेश कर देगी शायद और अगर न पेश कर सकी तो फिर आगे समय बढ़ जायगा, लेकिन इसको हम खत्म कर देंगे यही पूरी कोशिश होगी ताकि उसी समय आ जाय। इस वक्त जो जरूरत पड़ी वह कुछ मुसीबतजिदा लोगों को इमदाद देने के लिए इसको पेश किया वरना कोई जरूरत भी नहीं थी कि इसको आपके सामने रखा जाय। इस वक्त जरूरत यों पड़ी कि अलीगढ़ में जो पिछली मर्तबा माब वायलेंस हुआ उसमें कुछ मकानात गिर गये, कुछ जला दिये गये और इस काबिल हो गये कि जो दूकानदार थे वह उनको काम में नहीं ला सके। हमसे जो पहले गवर्नमेंट थी, उनका एक वादा था। उन्होंने किरायेदारों से यह कहा था कि तुम अपने मकान को वैसे ही बनवा लो, काम चलाओ और इसमें वह धारा लागू नहीं होगी जिसमें सब्सटैंश्यल तरमीम होने से वह बेदखल करा सके। वह बेदखल नहीं करा सकेगा। यह बात उन्होंने कही थी लेकिन दैवयोग या संयोग जो कुछ भी हो, वह उस वक्त पूरी नहीं हो सकी और उसका कोई कानून नहीं बनाया जा सका। जब मैं आया तो अलीगढ़ के लोग मेरे पास आये। मैंने कोशिश की कि क्या हो सकता है तो ला डिपार्टमेंट ने कहा कि कहीं भी कोई हमको चाराजोई नजर नहीं आती जो उनको बेदखल करने में रोक सके और, यहां नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको रोकोगे तो हम सिविल कोर्ट में जायेंगे, ऐसा इशारा मकान मालिकों से इशारा मिला, तो बिलकुल लाचारी से हमको यह लाना पड़ा। इसको देख लें कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाय जैसे कि तूफान आ जाय, आग लग जाय या मांब वायलेंस हो जाय या कोई ऐसी चीज हो जाय जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, उनका मकान गिर जाय तो किरायेदार को यह सहूलियत देना चाहते हैं कि वह अपने खर्च से रहने लायक मकान बना ले और मकान मालिक उनको बेदखल न कर सकें। यह इस बिल की मंशा है। यह बिल बड़ा इन्नोसेंट है। लेकिन इसके लिये कहा गया है कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाय। अगर इसको परमानेंटली लाना है तब तो हमको ही देना होगा। इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है। यह समिति 6,7,8,9 को बैठ रही है। हमें उम्मीद है कि वह इसको पूरा कर लेगी और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही सदन में पेश कर देगी। इसके अलावा इसमें छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आये हैं। जिस तरह से मुझे अभी आप लोगों ने दौड़ाया है उसी तरह से मुझे फिर से दौड़ा दें और एक दो मिनट में इसको पास कर दें तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर बहस हो। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और इसको जल्दी पास हो जाने दें। हमारी चाय ठंडी हो रही है उसको पी लें।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एन्ट इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 को जनमत जानने के लिये दो मास तक घुमाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लिया गया कि इसमें सभी संशोधन रख दिये गये हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

जी हां। यह ऐक्ट 1947 में बना था। कारण यह था एक महायुद्ध हुआ था, इसके बाद नगरों में नाना प्रकार के आफिसेज खुले और तीसरे पाकिस्तान से लाखों की संख्या में पुरुषार्थी आये थे और देहात से सारे के सारे लोग शहरों की ओर भागने लगे थे। यह देखते हुये कि मकानों के किराये बढ़ रहे हैं, एक ऐक्ट बना था और समझते थे कि कुछ दिनों में यह समस्या हल हो जायेगी। लेकिन हल नहीं हुई। 1951 से मैं देख रहा हूं कि जो भी मंत्री आता है वही आश्वासन देता है कि यह विधेयक जल्दी ही पास हो जायेगा। मैंने देखा है कि समिति न जाने कहां चली जाती है और जो विधेयक बनता है वह हाउस में नहीं आता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि यह विधेयक, जैसा कि उन्होंने कहा, इन्नोसेंट नहीं है। इसके बहुत बड़े माने होते हैं। इसका मतलब बिलकुल स्पष्ट है कि किरायेदारों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे भी मकान होंगे अलीगढ़ में जो दंगे में बिलकुल ध्वस्त हो गये होंगे, क्या उनका पुनर्निर्माण होगा। आपने कहा कि "अग्नि, बाढ़, तूफान अथवा सामूहिक हिंसा से नष्ट हो जाय"। लेकिन ऐसा भी हो जायगा कि किसी ने अपनी दूकान का बीमा करा रखा है, उसने जानकर आग लगा दी। अब उसका पैसा तो कंपनी से मिल गया और मकान मालिक का मकान जल गया। ऐसे केसेज में क्या होगा। इस प्रकार की अवस्था का प्रावीजन इस विधेयक में नहीं हैं।

आगे आपने यह भी कहा है "यदि ऐसी क्षति स्वयं किरायेदार के त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक के कारण हुई हो तो वह इस उपबन्ध का लाभ उठाने का हकदार न होगा।' अब इस बात को तय कौन करेगा। इन बात को ध्यान में रख कर अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि यह विधेयक जल्दी में होचपोच तरीके से बना दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जाय। उससे इसमें ठीक सुधार हो जावेंगे। सन् 47 से आज तक कोई भी काम्प्रीहेंसिव बिल इस सदन के सामने नहीं लाया गया। उसमें ही इस प्रकार की चीजें ऐड होनी चाहिये। अलीगढ़ में दंगा, हुआ, वहां पर लोगों की संपत्ति नष्ट हुई लेकिन दूसरी जगह इसका लोग नाजायज फायदा उठायेंगे। इसलिये आप केवल इसमें ऐसा कर सकते थे कि उन दंगों के कारण जो मकान नष्ट हुए हैं उनमें यह लागू होगा। इसलिये इसको प्रसारित कर दिया जाय तो इसमें जो कमियां है वह दूर हो जायेंगी। आपने कहा कि 6 तारीख को पुराने विधेयक पर कमेटी में विचार होने वाला है। उस कमेटी में ही इस पर भी विचार कर लिया जाय। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि वह विधेयक तो कभी आने वाला है नहीं, इसलिये इसको जल्दी से किये देते हैं। इसलिये अगर इसको 6 तारीख की मीटिंग में पूरे कानून के साथ ले आते तो अति उत्तम होता।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री शम्भूनाथ चौधरी से) आपका संशोधन पहले संशोधन से भिन्न है इसलिये आप उसको रख दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 को सदन की एक प्रवर समिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी--]

को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जावेंगे।)

श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और शीघ्रता का है। लेकिन माननीय मंत्री जी से जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें बहुत बड़ी खामी है। अगर उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान नहीं दिलाया गया तो विधेयक में ये खामियां रह जायंगी।

मूल अधिनियम द्वारा किरायेदारों को केवल सुधार करने का अधिकार दिया गया कि वे एक महीने के किराये के बराबर राशि से सुधार कर सकते हैं और अगर बड़ा सुधार है तो तीन महीने तक का किराया वह लगा सकता है लेकिन उसको उसके लिये नोटिस देना होगा। लेकिन इस विधेयक में यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह सम्पूर्ण मकान गिर गया है या उसका अंश गिर गया है तो किरायेदार को हक होगा कि वह मकानदार को बिना नोटिस दिये उसको ठीक करा ले। आप जरा देखें। एक मकान है जिसमें बीसों किरायेदार रहते हैं जो अपने-अपने हिस्से में काबिज हैं। शहरों में बड़े-बड़े मकान होते हैं जिनमें एक-एक, दो-दो कमरों में लोग रहते हैं। अब अगर पूरा मकान जल गया या बाढ़ से ध्वस्त हो गया तो जो एक कमरे में रहता है वह कैसे बना पायेगा? आपके यहां तो ऐसा भी नहीं है कि किरायेदार संयुक्त रूप से निर्माण करा सकते हैं और अगर संयुक्त रूप से मान भी लें तब भी दिक्कत होगी। एक छोटा किरायेदार 20.25 हजार रु० का कैसे पुनर्निमाण करा लेगा? यह बड़ा अहम सवाल है इसलिये माननीय मंत्री जी इसको देखें। अगर आप जल्दी में पास कराना चाहते हैं जिससे अलीगढ़ के लोगों का हित हो जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है मैं वापस ले लूंगा लेकिन जो ये कठिनाइयां है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

दूसरे आपने एक धारा और बढ़ाई कि जो भी कार्यवाही हो गयी है उस पर उस धारा के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में जो वाद होंगे वह सिविल कोर्ट के माध्यम से चलते हैं और डिक्री जो होती है उसका निष्पादन होगा। तो जो सिविल कोर्ट है उसके लिये तो आपने कहा कि यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे क्योंकि डिक्रियों का निष्पादन होता रहेगा। आपने केवल "वाद" शब्द का इस्तेमाल किया है, "अपील" शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। जो मुन्सिफ के यहां हार जाता है वह जज के यहां जाता है और जो जज के यहां हार जाता है वह हाईकोर्ट में जाता है। आपने कहा है कि मकान का पूरा किराया न्यायालय में जमा कर देगा। जब तक मुकदमा फाइनल नहीं होता तब तक क्या खर्चा हुआ यह नहीं तय होता है। किरायेदार यही जानने के लिये दौड़ता रहेगा कि असल खर्चा क्या हुआ जो मैं जमा कर दूं। फिर आप अदालतों को हिदायत नहीं करते हैं कि वह किरायेदारों की मदद करें कि इतना खर्चा हुआ है, वह किरायेदार जमा कर दे। इसलिये मैंने संक्षेप में निवेदन किया। अगर आप समझते हैं कि यह किरायेदारों के हित में है तो पास करा लीजिये, हम वापस भी ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रूपनाथ सिंह जी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में दो शब्द कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको अभी समय मिलेगा।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो संशोधन हमारे खाद्य मंत्री जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब यह देखता हूं

कि एक परिपाटी सी चली आ रही है कि हर अच्छी चीज का भी अपोजीशन किया जाय। उन्होंने कहा कि बड़ी सीधी सी चीज है। अगर बाढ़ से, बूढ़ा से मकान गिर पड़े, उनकी छतें बैठ गयी हैं, रहने की जगह नहीं है और आदमी बनवा लेता है तो उसमें भी संशोधन शुरू हो गये कि इसको प्रवर समिति में भेज दो, जनता की राय लो। वह आदमी तो पानी से परेशान है, थोड़ा बहुत बनवा कर अपना गुजारा करे, यह नहीं कहते है कि प्रवर समिति के पास भेज दो या जनता के पास भेज दो, जब वह राय दे ले तब पास हो। इसमें 27 महीने लग गये। मान्यवर, आप जानते हैं कि यह बिल किस गवर्नमेंट के जमाने में आया था। उसको 2 1/2 3 साल हो गया है। एक सरकार आई और दूसरी आई। अब उसके विषय में यह प्रवर समिति में भेजने की बात करते हैं। अब हम 14 से पहले बैठने वाले नहीं हैं। 6 तारीख से उसकी बैठक होगी वह पता नहीं होगी या टलेगी। इसमें तो सिर्फ इतना है कि जो मकान बाढ़ से या किसी नेचुरल कैलमिटी से गिर गये हैं उनको वह बना लें और अपनी जिन्दगी बितायें।

दूसरी बात यह है कि यह झगड़ा मिटाने के लिये भी किया जा रहा है। उस रुपये को किराये से नहीं काटा जायगा। जो कोई आदमी मकान किराये पर देता है वह इस वजह से देता है उसको किराया मिले और उसका भी काम चले। इससे झगड़ा बढ़ेगा नहीं। अगर किराया काटा जायगा तो फिर झगड़ा बढ़ेगा। यह काम तो झगड़ा मिटाने के लिये किया जा रहा है। चौधरी साहब झगड़ा बढ़ाने की बात करते हैं। उनको वह किराया देते जायंगे और वह बनाता जायगा। इसलिये यह संशोधन बिलकुल मामूली और साधारण है। उस पर भी आप यह संशोधन रखते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। 6 तारीख को उसकी बैठक होगी और 9 तारीख तक उसको समाप्त कर दिया जायगा। उसके बाद वह आपके सामने आयेगा ही। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं रूपनाथ सिंह जी यादव से और चौधरी साहब से कि वह जो इसमें और बातें जोड़ने की बात करते हैं उसको वापस ले लें। मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और 6 तारीख से उस विधेयक पर विचार होने वाला है उसके बाद उस पर विचार करने का मौका होगा। उस समय आप बहस कर लें। इसमें देर करने की गुंजायश नहीं है क्योंकि इसके बाद पता नहीं कि कब बैठें। मैं समझता हूं इस बात को मान लें नहीं तो इससे पब्लिक का बड़ा अहित होगा। आज कल झगड़े भी अजीब होते हैं। अलीगढ़ में मकान जल गये हैं। लखनऊ में भी मकान जल गये हैं। इसके अलावा और जगह भी बाढ़ से या और तरह से लोग परेशानी में है जिनको तकलीफ हो रही है। मैं चौधरी साहब और रूपनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह फौरन अपने संशोधन को वापस लें ले ताकि यह जल्दी से पास हो और वे लोग अपने मकान व दुकान बना सकें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

(श्री रूपनाथ सिंह यादव को बोलने के लिये पुकारने पर)

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष महोदय, उस पर्चा फेंकने वाले विषय का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं उस समय वोट ले रहा था और ऊंचे स्वर से वोट ले रहा था तो उस समय सदन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से कोई बाधा नहीं पड़ी। हमने उसको देखा भी नहीं और नोटिस ही नहीं ली, बल्कि उसकी उपेक्षा की। इसलिये कि जो छात्र पकड़े गये थे वे विश्वविद्यालय के थे और कक्षाओं में प्रवेश पाने के बारे में हल्ला मचाये थे। मैं यह समझता हूं कि उस पर्चे फेंकने से सदन के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी। इसलिये उनको छोड़ दिया जाय।

अनेक सदस्य---

छोड़ दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय---

मन्त्री जी को चेतावनी तो दे दी जाय कि वह इस ओर अपना ध्यान दे दिया करें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी राय एक सप्ताह के अन्दर देवें। मान्यवर, यह विधेयक जो इस वक्त सदन के विचाराधीन है, संविद सरकार के समय भी इस पर विचार हुआ था। इसमें ऐसा है कि अगर अग्नि से, हिंसा से, तूफान से या बाढ़ से कोई मकान गिर जाय तो किरायेदार की रक्षा के लिये यह संशोधन विधेयक आया है लेकिन जिस रूप में यह आया है यह ज्यादा मकानदारों के हक में है, किरायेदारों के हक में 25 प्रतिशत है। क्योंकि इसके अन्दर है कि जो मकान गिर जाय उसको किरायेदार अपने खर्चे से बना ले और उसमें रहे तथा मकान मालिक को किराया देता रहे। मान लीजिये कोई किरायेदार मकान का पुनर्निर्माण करके थोड़े दिनों बाद वहां से हट जाता है, चला जाता है तो बना बनाया मकान, मकान मालिक को मिल जायेगा। इस अमेंडमेंट विधेयक में यह कहीं नहीं है कि अग्नि लगने से, या दंगा होने की वजह से, या तूफान व बाढ़ से मकान गिर जाय तो उसके पुनर्निर्माण में जो व्यय किरायेदार का हुआ हो तो वह उसके किराये में मुजरा हो जाय। मान लीजिए अलीगढ़ में दंगा हो या किसी शहर में दंगा हो जिसकी वजह से मकान गिर जाए और फिर उनको किरायेदार बना लें और 2-4 महीने बाद कहीं चले जायं तो उस सम्पत्ति का मूल्य उनको नहीं मिलेगा बल्कि वह सम्पत्ति मकान मालिकों की हो जायेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराया संशोधन विधेयक, 1970 संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है और उसकी मीटिंग भी 6, 7 और 8 सितम्बर को होने जा रही है तो केवल 15 दिन के लिये इस विधेयक को लाया जा रहा है और मेरा खयाल है कि कल से कौंसिल भी नहीं रहेगी जिसकी वजह से यह अधिनियम भी नहीं बन पायेगा 14 तारीख के पहले, इसलिये माननीय मंत्री जी नये आने वाले विधेयक में ही इसका समावेश कर लें और उसके आधार पर एक कम्प्रिहेंसिव विधेयक लावें सदन के सामने और उसको यहां से पास करा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसमें कई खामियां हैं जो जल्दी में दूर नहीं हो सकेंगी। इसलिये इन सारी बातों पर विचार करते हुये जो पहले से कमेटी बनी हुई है उसी के सुपुर्द इसको कर दें और अभी माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें ताकि इसके अन्दर जो खामियां हैं वे भी दूर हो जायं। साथ ही माननीय मंत्री जी की जो मंशा है कि इससे किरायेदारों को लाभ हो उस पर भी कुछ विचार हो जाय, वरना इससे किरायेदारों का लाभ न हो कर मकान मालिकों का ही लाभ होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के पीछे जो भावना है माननीय मंत्री जी की, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर इस संशोधन को पढ़ते हैं तो जो माननीय मंत्री जी की भावना है, जिन उद्देश्यों को लेकर यह संशोधन विधेयक वे लाये हैं, वह उन भावनाओं को पूरा नहीं करता। इस संशोधन के जरिये किरायेदार को यह अधिकार दिया गया है कि अगर मकान गिर जाय तो किरायेदार को अधिकार होगा कि वह अपने खर्च से उस मकान को दोबारा बना सके और उसमें रह सके। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उसमें किरायेदार का खर्चा होगा उस खर्चे के लिये कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप यह चाहते हैं कि उस मकान के बनाने में जो खर्चा किरायेदार करेगा उसको वह अपने किरायेदारों से वसूल कर सके इसका इसमें कोई प्राविधान नहीं है कि अगर कोई मकान गिर जाता है जिसे कोई किरायेदार बनावे या उसकी मरम्मत करे तो उस किरायेदार को अधिकार यह होना चाहिये कि उसका उसमें जो खर्चा लगा है वह किराये की मद में मुजरा करा ले। दूसरी बात यह है कि मान लें कोई मकान गिर गया है और किरायेदार मजबूरी की हालत में कहीं से कर्जा लेकर नये रूप से उस मकान को फिर

बनवा दें तो आपका जो पुराना ऐक्ट है उसकी दफा 3 के अन्तर्गत बनवा सकता है लेकिन उसमें जिलाधीश के जरिये कोई भी निर्देशन नहीं दिया गया है कि किन-किन चीजों के होते हुए आप दफा 3 में बेदखली का दावा करने की आज्ञा देंगे। या किसी किरायेदार ने नया मकान बना लिया और उस पर खर्च कर लिया तो दफा 3 के अनुसार मालिक कलेक्टर की या अधिकारियों की खुशामद कर के मकान की बेदखली करा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कुछ कठिनाइयां हैं जिनको इसमें हल करना होगा। चाहे आप का उद्देश्य कितना ही अच्छा हो लेकिन इन चीजों को देखते हुये आप अपने उद्देश्य में कामयाब न होंगे बल्कि आप किरायेदार को और नई उलझनों में इसमें डालेंगे। इस समय सेलेक्ट कमेटी के सामने हमारा पुराना रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट और नया विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है उसके बारे में वहां छानबीन हो रही है, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसमें इतनी जल्दी न करें, तमाम जो मौलिक प्रश्न हैं वे संयुक्त प्रवर समिति के सामने हैं, यह संशोधन भी उसके सामने भेज दिये जायं और अच्छी तरह से उन पर विचार वहां हो जाय और तब एक सही रूपरेखा सदन के सामने इसकी आये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय हिम्मत सिंह ने रखा है वैसे तो मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन जो संशोधन मंत्री जी की ओर से आया है वह सामयिक है इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इसमें एक ऐसी दुविधा है जिसकी ओर माननीय नेगी जी ने ध्यान खींचा है, उसको मंत्री जी जरूर दूर कर दें। अगर आप ने कह दिया कि किरायेदार अपने पैसे से मकान बना ले तो मालूम नहीं कि कितना खर्चा होगा, अगर दो चार हजार का खर्चा है और उसका किराया केवल 5–10 रुपया है तो वह इतना खर्चा करने के बाद जिन्दगी भर उस कर्जे से नहीं उभर सकेगा। वाटर प्रूफ और विन्ड प्रूफ रखने के लिये जैसे सेक्शन 7-ई में प्राविजन है कि मुन्सिफ के यहां दावा जाता है तो वह हजार पांच सौ का खर्चा निर्धारित कर देता है और वह किरायेदार से मुजरा होता है। अगर आप की मन्शा दस, बीस पचास के खर्च की हो तो वह कर लेगा। मान लें कि मकानात अलीगढ़ में ध्वस्त हो गये और उस तरह से कभी किसी अन्य स्थान पर भी हो सकते हैं और अगर आपने किरायेदारों पर यह सारा खर्च छोड़ दिया तो कोई भी उन मकानों को ठीक नहीं कर सकेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सेक्शन 3 में प्राविजन कर दिया है कि वह हिट नहीं होंगे और इस बिना पर दावा नहीं होगा, यह बात सही है लकिन कोई ऐसा संशोधन आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि जितने संशोधन मंत्री जी ला रहे हैं मुझे उनकी मन्शा पर थोड़ा सा शक है, यह ऐक्ट बराबर डिले हो रहा है और बार-बार हो रहा है और आपकी शराफत और माधव बाबू की आज्ञा को मानकर हमने अपना संशोधन भी पिछली बार वापस ले लिया था। बार-बार कहा जाता है कि अभी नया संशोधन विधेयक आ रहा है लेकिन देर होती चली जा रही है। आज लाखों लोग पीड़ित हैं, आगे न मालूम क्या होगा मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने इस काल में ही इसको कर जायं। यह एक स्थायी ऐक्ट होगा। इन सुझावों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि नया ऐक्ट वह जल्द ही लायें। आप प्राविजन कर दें कि किरायेदार पर यह खर्च न पड़े।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, बहस मैंने सुनी। यह जो सारी हमारी आप की बहस है यह नूरा कुश्ती है यानी मिली हुई कुश्ती है। यदि आप जरा सा इस विधेयक को पढ़ें तो इसमें कोई शक शुभे की गुंजायश नहीं है। हम यह नहीं कहते कि मकान गिराये जायं और जिस कार्य के लिये जैसे वह उपयोग में लाये जाते थे उस काम में वह उपयोग में न लाये जायं। उनको उस दर्जे तक उपयोगी बनाने के लिये वह खर्च कर सकते हैं लेकिन इसमें उन्हें पूरा मकान बनाने का हक नहीं है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा। उन्होंने एक हाईपोथेटिकल केस बता

[श्री बेनी सिंह]--

दिया लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें हम ने रखा है कि यदि ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भी जो किरायेदारी के प्रारम्भ होने के समय इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित परिस्थान था, आग लग गयी हो, तूफान आ गया हो, बाढ़ आती है अतिवृष्टि के कारण से, सामूहिक हिंसा से नष्ट किया गया हो चाहे रायट हो गया हो या और कोई कारण न हों अथवा उन प्रयोजनों के लिये जिनके निमित्त वह किराये पर उठाया गया हो, अनुपयुक्त हो जाय, तो किरायेदार को, उस उन प्रयोजनों के निमित्त, जिनके लिये वह किराये पर उठाया गया हो, उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से अपने व्यय पर पुनर्निर्माण करने या मरम्मत का अधिकार होगा।

तो यह बिल्कुल साफ है। अगर मैं यहां पर कहूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने इसे जल्दी-जल्दी में पढ़ा है तो कोई अनुपयुक्त बात न होगी जिस प्रकार से कट मोशन में होता है चाहे बजट पढ़ा हो या न पढ़ा हो लेकिन कट मोशन दे दिया जाता है, उसी प्रकार से इस सम्बन्ध में भी एमेंडमेंट पेश कर दिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

अगर एक मकान में 5 किरायेदार रहते हों और उस मकान में आग लग गयी हो, तो किरायेदार कैसे उसे बनायेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

श्रीमन्, हम 6 तारीख से बैठ रहे हैं, इन सब बातों पर विचार कर लिया जायगा। तो इसमें हमने किया है कि किरायेदार जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, उसको उस इस्तेमाल के लिये लायक बना लेगा, उसके बाहर नहीं जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

आप मकान मालिक को नोटिस दे दें और अगर वह 15 दिन में नहीं बना सकता है तो फिर किरायेदार द्वारा बना लिया जाय।

श्री बेनी सिंह--

मकान मालिक कहेगा कि यह सबस्टैनश्यल चेन्ज हो रहा है। वहां से किरायेदार हटे तो फिर उसका निर्माण होगा और फिर वह नये मकान की परिभाषा में आ जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

7 (ई) में जब रेफर करते हैं तो मुन्सिफ के आर्डर्स पहुंच जाते हैं।

श्री बेनी सिंह--

वे लोग इन मामलों को सिविल कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। इसलिये जल्दी करने जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो खर्चा होगा किरायेदार उसे किराये से मुजरा करने में आपको क्या एतराज है ?

श्री बेनी सिंह--

एक तो इसमें यह प्रश्न है कि किरायेदार कितना खर्च करेगा, और अगर ज्यादा खर्च करके उसे अपनी सुविधानुसार बनाया तो मकान मालिक कहां तक देगा। और वह यह कहेगा कि आप मकान खाली कीजिये अगर मालिक मकान को वह बनाना पड़ा। तो इसलिये हमने यह रखा है कि किरायेदार अपने खर्च पर इसे बना ले ताकि उसको कोई फौरी मदद मिल जाय। इसमें अपील का कोई सवाल ही नहीं है। अलीगढ़ में जो मुकदमें दायर हैं, वे अभी फैसला नहीं हुये हैं और अगर कोई फैसला भी होगा तो वे नहीं आयेंगे। अगर कोई डिक्री है तो डिक्री में जो अपील होगी वह भी डिक्री कहलायेगी। दूसरा कोई नाम नहीं होगा। इसलिये जो माननीय

सदस्यों के सुझाव हैं हम उन पर भी विचार कर लेंगे लेकिन इस समय मैं चाहूंगा कि वे अपने एमेन्डमेंट को वापस ले लें ताकि जल्द से जल्द हम किरायेदारों को राहत पहुंचा सकें। 6 तारीख से हमारी समिति बैठ रही है उसमें विचार हो जायगा। मैं माननीय स्वामी जी को आश्वासन देता हूं कि मेरी जिन्दगी में हो या न हो लेकिन उनकी जिन्दगी में जरूर पास हो जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत जिन्दगी से मतलब नहीं है। मंत्रित्व काल से मतलब है।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मंत्री जी 6 तारीख को सेलेक्ट कमेटी में विचार कर लेंगे इसलिये मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, जनहित में मैं अपने संशोधन को वापिस ले रहा हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल काउन्सिल है नहीं। यहां से बिल पास होने के बाद भी बिल नहीं बनेगा। तो क्या जरूरत पड़ी खानापूरी करने की ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं आप मानते हैं।

मूल प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ ऐन्ट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

अब मैं संशोधन पर आता हूं। दो संशोधन जो माननीय हिम्मत सिंह और माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने रक्खे हैं वे वापिस लेने की सूचना दे रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि ये संशोधन वापिस किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो कि अपनी राय एक सप्ताह के अन्दर देवें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 की धारा 1 की उपधारा (4) में संख्या "1971" के स्थान पर संख्या "1972" रख दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1947 की धारा 1 का संशोधन

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 19 (1) की दूसरी पंक्ति के शब्द "बाढ़" और "अथवा" के बीच में शब्द "अतिवृष्टि" लिख दिया जाय। और इसकी "प्रतिन्धात्मक पंक्तियां प्रतिबन्ध यह है" से लेकर "हकदार न होगा" तक काट दिया जाय।

मान्यवर, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जो उसकी मेन धारा है। तूफान और बाढ़ कहते हैं। अतिवृष्टि जो है उसमें न तूफान चले और न हवा चले और सब मकान गिर जायं, वह उसमें कवर नहीं होगा। इसलिये जो हैवीरेन्स होती हैं उसके लिये अतिवृष्टि शब्द जोड़ा है। आशा है माननीय मंत्री जी उसको मान लेंगे। अतिवृष्टि शब्द जोड़ देने से कानून की मन्शा ज्यादा व्यापक हो जायेगी वरना सब कहेंगे कि तूफान तो आया ही नहीं। इसलिये अतिवृष्टि शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, बाढ़ आयेगी अतिवृष्टि से। अगर इसको अतिवृष्टि मान लें तो बड़ा झगड़ा होगा कि कौन सी अतिवृष्टि होगी। कितने पर अतिवृष्टि मानी जायेगी। बरसात में अक्सर मकान गिर जाते हैं। थोड़े दिन बारिश हुई तो मकान गिर जाता है। इस पर लिटिगेशन बढ़ेंगे। इसलिये इसको मंजूर नहीं कर पायेंगे। यह बाढ़ में शामिल है। इस पर कमेटी में विचार होगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अतिवृष्टि इन्क्लूड करते हैं बाढ़ में तो हम बैठ सकते हैं। कमेटी में विचार करने के लिये मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है तो ठीक है। मान्यवर, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कमेटी में विचार हो जायगा इसलिये मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 19 (1) की दूसरी पंक्ति के शब्द "बाढ़" और "अथवा" के बीच में शब्द "अतिवृष्टि" लिख दिया जाय। और इसकी प्रतिबन्धात्मक पंक्तियां "प्रतिबन्ध यह है" से लेकर "हकदार न होगा" तक काट दिया जाय, इस संशोधन को प्रस्तावक सदस्य को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोविन्द सिंह नेगी उपस्थित नहीं हैं। अब श्री रूपनाथ सिंह यादव जी आप दूसरा संशोधन पेश करें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखण्ड (2) के (ख) में शब्द "हक न होगा" के आगे निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय :

"और मकानदार अथवा सम्पत्ति का मालिक किरायेदार द्वारा व्यय की हुई धनराशि का भुगतान अथवा किराये में मुजरा करेगा।"

मान्यवर, मान लीजिये मकान गिरा तूफान से या बाढ़ से जिसमें किरायेदार की कोई त्रुटि नहीं थी। अगर 19 धारा में मकान फिर से बने और कई हजार रुपया लगे—पहले कानून में तो मरम्मत के लिये प्राविजन था कि पैसा मुजरा हो सकता है, लेकिन इस कानून में किरायेदार खुद ही बरदाश्त करेगा। तो कोई भी किरायेदार नहीं बना पायेगा। चार दिन

बाद अगर उसका तबादला हो जाय लखनऊ से पिथौरागढ़ तो वह छोड़ कर चला जायेगा। इसी तरह से छोटे-छोटे दुकानदार भी हैं। अगर वह ऐसी स्थिति में मकान बनायें और फिर छोड़ना पड़े तो वह बेकार हो जायेगा। माननीय मंत्री जी तो समाजवादी हैं, किरायेदारों को थोड़ी सी राहत दे दें कि जो वह खर्च करें वह किराये में मुजरा हो जाय या कुछ प्रतिशत किरायेदार बरदाश्त करे और कुछ प्रतिशत मकान मालिक बरदाश्त करे।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, रूपनाथ सिंह जी जैसे समाजवादी हैं वैसा तो मैं हूं नहीं। हमारा और उनका भिन्न-भिन्न समाजवाद है, वर्किंग में भी और समझदारी में भी। जो कुछ उन्होंने कहा है वह व्यावहारिक नहीं है। हम यह नहीं कहते कि पूरा मकान बना दे। हम तो मरम्मत करने वाली बात कहते हैं। अगर हमने यह कह दिया कि मकान मालिक से वसूल कर ले तो वह खर्चा इतना बढ़ जायगा कि सुदामा जी की तरह से वह मकान मालिक अपना मकान ही नहीं पहचान पायेगा कि यह मेरा मकान है या कोई और दूसरा मकान है, तो इसको वापस ले लें। कमेटी में तो सब चीजों पर विचार होगा ही। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा डर फैल रहा है कि फिर नहीं होगा। अगर अच्छी बात है तो जरूर मानेंगे। अच्छी बात तो कहीं भी मानी जा सकती है लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो कहीं नहीं मानी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखण्ड "(2)" के (ख) में शब्द "हक न होगा" के आगे निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"और मकानदार अथवा सम्पत्ति का मालिक किरायेदार द्वारा व्यय की हुई धनराशि का भुगतान अथवा किराये में मुजरा करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने देखा है कि वे शब्द ला रहे हैं। मैं इसको वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो आपने मूव ही नहीं किया—मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक 1971

यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, 1947 को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा--(क्रमागत) †

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि बाढ़ के समाप्त होने के बाद लोगों की जरूरतें बढ़ेगी और उस वक्त उनके ऊपर ज्यादा खर्च पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वसूली की मुल्तवी केवल 15 अक्तूबर तक की है। रबी की फसल को काफी नुक्सान हुआ और खरीफ की फसल बिल्कुल चौपट है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राजस्व मंत्री जी ने केवल 15 अक्टूबर तक की वसूली मुल्तवी की? 15 अक्तूबर के बाद लोग अपने मकानों को ठीक करायेंगे। उस वक्त वे वसूलयाबी को कैसे चुकायेंगे? वसूली रबी की फसल तक के लिये मुल्तवी होनी चाहिये।

मान्यवर, बाढ़ की विभीषिका बड़ी हृदयविदारक है, यह स्वयं राजस्व मंत्री जी ने माना है। जो अनुदान तथा तकावी दी गयी है, उसके संबंध में मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी विपत्ति के अवसर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिये। जहां की आवश्यकता अधिक है तथा जहां ज्यादा मुसीबत है वहां पर उसी हिसाब से सहायता दी जाये। आप कहीं पर ज्यादा, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन किसी के साथ हकतल्फी नहीं होनी चाहिये। आपने कहा है कि जहां मकानों को नुकसान हुआ है वहां पर 100 रुपये और 300 रुपये सहायता देंगे। सरकार ने यहां पर कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सा मैथेमेटिक्स है जिसके हिसाब से आपने झांसी के लिये सहायता प्रदान की। झांसी जिले में 357 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, 1,81,000 जनसंख्या प्रभावित हुयी, 1805 मकानों को क्षति हुयी और 2,04,000 रुपये का मकानों का नुक्सान हुआ। आपने क्या दिया, मान्यवर? तकावी का तो सवाल ही नहीं। आपने केवल 25,000 रुपये दिये हैं। आपने जो 100 रुपये व 300 रुपये की घोषणा की है तो फी मकान 10-12 रुपये आते हैं। आपको पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिये।

(इस समय 3 बजकर 47 मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

---

† 30 अगस्त, 1971 की कार्यवाही से।

मैं आशा करता हूं कि जो शासन हुकूमत में होगा वह हर एक के साथ एक सा व्यवहार करेगा । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 50 जिलों में बाढ़ आई है उसमें सबसे ज्यादा हमीरपुर को पैसा दिया है क्योंकि आप वहां के निवासी हैं । आपके यहां पार्टीबन्दी है उसके हिसाब से दिया है । यह आप जानें लेकिन प्रदेश के और जिलों के साथ पक्षपात हो गया है । देवरिया में 2361 गांव प्रभावित हुये हैं, 9,96,000 आबादी प्रभावित हुई है, 20951 मकानों को क्षति पहुंची है और आपने 3,3,75,000 रु० लाख रुपया वहां दिया है । बलिया में 1118 गांव प्रभावित हुये हैं 3,93,000 आबादी प्रभावित हुई हैं, और 8,412 मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं और वहां आपने 4,75,000 रुपया दिया है । मिरजापुर को 5,75,000 रुपया दिया है लेकिन हमीरपुर को 6.5 लाख रुपया दिया है । झांसी को सिर्फ 25,000 रुपया दिया गया है । झांसी डिवीजन के जिले ले लिये जायं तो आपने उन जिलों में हमीरपुर को छोड़कर बहुत कम दिया है । आपने हमीरपुर को प्रदेश में सबसे अधिक दिया है ।

श्रीमन्, मैं बजट पर नहीं बोला हूं, बीमार रहा हूं, इसलिये एक दो मिनट और दे दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये आप कम बोलेंगे तो और लोग बोल सकेंगे ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

आपने गोरखपुर को कितना दिया है यह नहीं देखा है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

मैंने जो आंकड़ें दिये हैं वह इसमें देखकर दिये हैं । आपने बलिया को 5 लाख 97 हजार रुपया दिया है जबकि वहां 1118 गांव प्रभावित हुये हैं, 3,93,000 जन-संख्या प्रभावित हुई है, 8412 मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं । इसके मुकाबले हमीरपुर में सिर्फ 94 गांव प्रभावित हुये, 42000 जनसंख्या प्रभावित हुई है और 2741 मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं जबकि वहां आपने 6.5 लाख रुपया दिया है ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

बलिया में जो दिया गया है वह 4 लाख 75 हजार है और वहां तकावी बिलकुल नहीं दी गई है, आपने हमीरपुर में तकावी भी मिला दी ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

आप बलिया को देख लें लेकिन हमीरपुर....

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें । अगर ऐसा हो तो आप लिखित भेज सकते हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये और हर एक को जरूरत के अनुसार मिलना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि सूरा बाटे रेवड़ी चीन चीन कर देय ।

श्री अधिष्ठाता—

5,5 मिनट समय है ।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आपने मुझे समय दिया है इसके लिये मैं आभारी हूं । मान्यवर, सबसे ज्यादा नुकसान गोरखपुर डिवीजन में हुआ है । देवरिया में छितौनी बांध टूट गया और छोटी-छोटी नदियों से आजमगढ़ बर्बाद हुआ । आजमगढ़ की यह हालत है कि टोंस घाघरा, सगड़ी और घोरी नदियों से यह इलाका घिरा हुआ है। लालगंज तहसील में सबसे ज्यादा क्षति मकानों की हुई है । कच्चे मकान गरीबों के थे जो ध्वस्त हो गये । लालगंज में चार नदियां बेसो, गांगी, मगही, ओरा हैं । इनकी बाढ़ ने सारे इलाके को तबाह कर दिया है । जब माननीय माल मंत्री जी गये थे तो उस समय सिर्फ घाघरा नदी में ही बाढ़ थी और आज यह स्थिति है कि आजमगढ़ जिला एकदम पानी में घिर गया है । लालगंज तहसील में खरीफ की एक भी फसल नहीं हुई । मक्का, बाजरा कुछ नहीं हुआ और धान की भी रुपाई नहीं हो पायी । वहां की बड़ी दयनीय दशा है । आपके माध्यम से मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आजमगढ़ का इलाका पानी से डूबा हुआ है, आज उन्होंने जिक्र भी किया है, उसको देखने के लिये कार्यक्रम बनावें । बाढ़ की सहायता जो दी गयी है वह नहीं के बराबर है । जो सहायता दी गयी है वह मैं समझता हूं एक गांव पीछे एक आदमी को भी नहीं पहुंची है । सारे गांव इस बाढ़ से अफेक्टेड हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्हें पूर्ण सहायता दी जाय और इंसान को गल्ला देने के अलावा मवेशियों के लिये चारे की व्यवस्था की जाय । अगर चारे की व्यवस्था नहीं हुई तो मवेशी मर जायेंगे । एक बात और निवेदन करनी है । लालगंज तहसील में जब पानी इकठ्ठा हो जाता है तो वह चार पांच महीने तक नहीं निकलता इसके लिये भी कोई ठोस योजना बनावें जिससे कि वहां का पानी निकाला जा सके । मान्यवर, सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और बनारस डिवीजन का नुक्सान हुआ है । लालगंज और चंदौली तहसील बरबाद हो गयी है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी वहां का दौरा करें और देखें कि कितनी क्षति हुई है । वहां के सारे मकान ध्वस्त हो गये हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का अवसर दिया । राजस्व मंत्री जी के पास जो सूचना आयी है जिलों से उनके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों ने सही ढंग से सूचना नहीं भेजी । यह बात मेरे जिले पर भी लागू होती है । गोरखपुर के संबंध में जो सूचना आयी है उससे ऐसा लगता है कि अधिकारी केवल सड़क पर ही घूमे हैं और जहां बाढ़ की भयंकर विभीषिका है, जैसे उदवलिया, जोगिया भवरही, जयरामपुर आदि स्थान, वहां तक वे पहुंचे ही नहीं । मान्यवर मैं गोरखपुर की तहसील सदर की ओर आपका ध्यान ले जाकर वहां की स्थिति बतलाना चाहता हूं । मैं 21–22 अगस्त को गोरखपुर गया था तो पता चला कि बाढ़ संबंधी जो सरकारी सहायता दी जा रही थी वह नहीं के बराबर थी । इसी से संबंधित जिले का झंगहा क्षेत्र है । राप्ती और गुर्रा नदी के छावा में भयंकर बाढ़ आयी है । गुर्रा नदी पर कड़उवा नाला कट रहा है जिस पर गांव वाले दिन रात पहरा दे रहे हैं और बांध बांधने में लगे हुये हैं । न तो सरकार की ओर से और न ही पुलिस की ओर से कोई मदद की जा रही है । इतना ही नहीं गुर्रा नदी के किनारे के जो गांव थे वे नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं । लगातार पानी बरसने के कारण वहां जो आर० एम० पी० की सड़क है वह पानी के बहाव के कारण कट रही है । वहां पर निजी लोग जो अपनी नावें चला रहे हैं उसकी सूचना नहीं दी जी रही है । उनको पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है । राप्ती नदी के किनारे के गांव तो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं । राजधानी और मटियरा सड़क बिलकुल नष्ट हो गयी है । भवरही, जयरामकोल, उधवलिया आदि गांवों के पास से होकर पानी बह रहा है और गांवों को काट रहा है ।

मैं अब इस भीषण बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जहां-जहां टेस्ट वर्क के द्वारा बन्धे बने थे उनकी सरकार की ओर से कोई देखभाल

नहीं की जा रही है । इसके कारण जन जीवन असुरक्षित हो गया है । बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि एक ऐसे आयोग को गठित किया जाय जो बाढ़ के सभी इलाकों में दौरा करके, उसको रोकने के लिये अपने उपयोगी सुझाव दे सके ताकि सरकार कोई इसका स्थायी हल निकाल सके ।

मान्यवर, आपके जो अधिकारी जाते हैं बाढ़ ग्रस्त इलाकों में वे वहां के बारे में सही रिपोर्ट नहीं देते हैं । बाढ़-ग्रस्त इलाकों के बच्चों की फीस माफ की जाती है । मगर एक ही गांव में एक स्कूल में अगर दो बच्चे किसी के पढ़ते हैं एक मिडिल में है और दूसरा हाई स्कूल में है, तो एक की तो फीस माफ हो जाती है, एक की नहीं होती है । यह गलत है । दोनों की फीस माफ होनी चाहिये । मैं गुर्रा राप्ती आदि के करीब के जो गांव नष्ट हुये हैं वहां के विषय में लिख कर के भी माननीय राजस्व मंत्री को भेजा है । शिक्षा शुल्क की वापसी के लिये भी माननीय मंत्री जी को व्यवस्था करना चाहिये तथा जो मैंने लिख कर भेजा है उस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ के ऊपर बोलने का समय दिया । इलाहाबाद में मान्यवर, भयंकर बाढ़ आयी और उसके कारण नगरपालिका के चुनाव तक को स्थगित करना पड़ा । वहां के बारे में जिलाधिकारियों ने जो सूचनायें भेजी है वह बहुत कम है । वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जब कि वह दिखाया बहुत कम गया है । बाढ़ के अलावा अतिवृष्टि से भी बहुत नुक्सान हुआ है । इलाहाबाद के जमुना पार के करछना और मेजा तहसील में सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है । खरीफ की सारी फसल बाढ़ के कारण बरबाद हो गयी । 8–9 मील का क्षेत्र ऐसा है जहां कोई मकान दिखाई ही नहीं पड़ेगा । माननीय अब्बासी साहब राज्य मंत्री वहां तशरीफ ले गये थे और उन्होंने उसको देखा भी था । इस बाढ़ से तथा कटान के कारण लकटहा, खजुरौल, नरवर, उमापुर आदि गांव तो बिलकुल समाप्त हो गये हैं । लकटहा गांव का तो 1700 बीघा का इलाका पूरा कट गया है । लेकिन वहां के किसानों से पूरा लगान वसूल किया जा रहा है । पिछले 4–5 साल का पूरा लगान वसूल हो रहा है । राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि अक्तूबर तक वसूली को हमने रोक दे दी है, मगर अक्तूबर में किसान देगा कहां से जब कि वह अपनी फसल को बोयेगा ही नहीं । पिछली रबी की सारी फसल उसकी सड़ गयी तो अक्टूबर में वह कहां से देगा ।

मान्यवर, हमारे यहां हर साल बाढ़ से नुकसान होता है । गंगा में जब बाढ़ आती है तो करछना और मेजा तहसील में जो नाले हैं उनके द्वारा मीलों पीछे तक पानी लौटकर आ जाता है । करछना और मेजा तहसील में जो देहली भगेसर, पनासा, देहली और मेड़रा, जेटा और औनोर आदि नाले है अगर यहां बांध बना दिये जायं तो उससे जमीन का भी संरक्षण होगा और जो बाढ़ से नुकसान होता है वह भी न हो सकेगा ।

इसके अलावा हमारे यहां के अधिकारी बड़ी लापरवाही बरतते हैं । हमारे यहां करछना के तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ मगर उस समय वह रोक दिया गया । कई बार अधिकारियों की नोटिस में हम इसको लाये । तो वहां के अधिकारियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया । मैं भी राजस्व राज्य मंत्री जी के साथ दौरे पर गया था, हमें वहां पर कोई भी तहसील का कर्मचारी या अधिकारी दिखाई नहीं दिया । जैसे-जैसे बाढ़ घटने लगी, जो उनको दो-एक नावें दी गई थीं, वे भी हटा ली गई और किसानों को बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वहां से निकलना बैठना पड़ा । मेडरा, कटका गांव के लोगों को एक मील दूर

[श्री राम किशोर शुक्ल]

पक्की सड़क पर बुलाया गया था कि उन्हें मिट्टी का तेल मिलेगा । वे लोग दौड़-दौड़ कर दो बार गये तो कहा गया कि मिट्टी का तेल आया नहीं । इन बातों से ऐसा जान पड़ता है कि आवश्यक सामग्री आती है उसे अधिकारी लोग रख लेते हैं और दिखा देते हैं कि आया ही नहीं । राजस्व मंत्री जी ने इलाहाबाद जाने का दो-दो बार प्रोग्राम बनाया, मैं आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह इलाहाबाद चलें और देखें कि इस बार की बाढ़ और बरसा से कितना अधिक वहां नुकसान हुआ है । जो नहरें और सड़कें विकास कार्य के अन्तर्गत वहां बनी हैं, उनके द्वारा पानी की निकासी बन्द हो गई है । जब गांव पानी से भरने और डूबने लगते हैं तो गांव वाले सड़कों को कई जगहों से काट देते हैं, तब उन्हें थोड़ी सी राहत मिल पाती है । बाढ़ निकलने पर अधिकारी लोग फिर से सड़कें बना देते हैं किन्तु वे पुलिस या साइफैन बनाने की व्यवस्था नहीं करते हैं । हमारे यहां एक गांव बरदहा है जो हर साल पानी से डूब जाता है बुरी तरह से लेकिन वहां पुलिया नहीं बनवा रहे हैं । हमारे यहां मेजा में गुलरिया एक मडहरिया बांध बनाया गया है, इस बार पानी ज्यादा बरसा तो उसके ऊपर से पानी छोड़ दिया गया था । इससे गांव के लोगों को बहुत परेशानी हुई । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इलाहाबाद को ज्यादा सहायता देने की कृपा करें ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मेरा नाम कल से गया हुआ है । कल कई बार खड़ा हुआ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और आज भी अभी तक नहीं मिला है, इस बार त्रिपाठी जी के बाद आप मुझे नम्बर दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

इसके बाद इधर का नम्बर आयेगा । और फिर आपका नाम आयेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने बाढ़ के बारे में अपनी राय व्यक्त की है, मैं ज्यादा विचार व्यक्त नहीं करूंगा, केवल दो चार बातें कह दूंगा । यह बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है । बहुत जमाने से बाढ़ आती है । जब से यह सरकार शासन में आई, किन्हीं कारणों से आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया । आज तक आप सफल नहीं हुए बाढ़ को रोकने में, नदियों का चेंज करने में भी आप सफल नहीं हुए । इतनी बड़ी क्षति होती है जन धन की, फिर भी आप गम्भीरता से इस पर विचार नहीं करते हैं । और न कोई सख्त कदम उठाते हैं । आप पूर्व के अनुभवों से कोई लाभ नहीं उठाना चाहते हैं । आप इसके लिये एक हाई पावर बाडी एक्सपर्ट्स की बनावें और तब तक सारे काम रोक दिये जांय जब तक इस हाई पावर बाडी की रिपोर्ट न आ जाय । उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का आप सारा काम करें । आपने बाढ़ संबंधी काम सिंचाई विभाग के सुपुर्द कर दिया है, किन्तु वे इसको प्रधानता नहीं देते हैं, इस कार्य को गौण और उपेक्षित समझते हैं । यह तो वैसा ही कार्य है जैसे कोआप्रेटिव ड्यूज की वसूली का काम आप हाकिम परगना के जिम्मे कर देते हैं जो कि अपने राजस्व की वसूली को ही केवल महत्व देता है और कोआप्रेटिव ड्यूज की वसूली पर अपना ध्यान नहीं देता है । यही हाल छितौनी बांध का है, रोज चर्चा होती है, इतने-इतने एक्सपर्ट्स लगे, फिर भी उसका ध्यान नहीं हो पाया । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इस कार्य को आगे न बढ़ायें, किसी भी नाम से पुकारें आप कोई हाई पावर फ्लड बाडी या कमेटी बनावें और उसका विभाग बिल्कुल अलग विभाग हो । जो इसका स्थायी रूप से समाधान खोजें, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका तो हर साल होती रहेगी ।

बाढ़ के पहले और बाद में, दोनों तरफ इसके लिये रास्ता अख्तियार करना चाहिये। फ्लड बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति करके उनके जिम्मे गांव बांट देने चाहिये। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाद में हाहाकार मचता है, व्यवस्था पहले से कर ली जानी चाहिये। जब सूखा रहता तब से इन्तजाम कर देना चाहिये। आप बाढ़ के समय कहते हैं कि गांव सभा वाले नावें ले लें। लेकिन गांव सभा वाले ऐसी स्थिति में उस समय नहीं रहते हैं कि नावें ले लें। तो आप उनको नावें दे दें और उनसे उसका एकाउन्ट ले लें। आज 137 या 135 जानें गयीं। कितनी लज्जा की बात है। इतने दिन के बाद सरकार इनकी जान न बचा पाये। हर साल कहा जाता है कि पहले के रेकार्ड्स टूट गये हैं। क्यों टूट गये? क्यों नहीं उनको निकालते हैं? जो प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज हैं वह सामने क्यों नहीं आती हैं? मंत्री हवाई जहाज पर जाते हैं और अधिकारी जीप पर जाते हैं, जिनके नीचे सीते भी नहीं लग सकती घास की। उनको ज्ञान नहीं रहता, कब गांव से निकाल कर लायें, लकड़ी कहां पर आयेगी, कब बसाने का प्रबन्ध करना चाहिये, सारी चीजों का प्रबन्ध करना चाहिये, प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज को नहीं देखते।

एक बात और है जो फ्लड अफेक्टेड एरिया हैं उनका फिर से सर्वे होना चाहिये। फर्ज कर लीजिये कि राप्ती नदी में बाढ़ के कारण पहले 40 गांव प्रभावित हुए थे, आज की बाढ़ में 60 गांव प्रभावित हो गये। लेकिन पुरानी रिपोर्ट चली आती है। जैसे बांसी तहसील में बताता हूं, ऐसा हर जगह होगा, जो पहले से गांव प्रभावित थे उसमें दो चार गांव और जोड़ दिये गये, बाकी गांवों को नहीं जोड़ा गया। उनकी हानि को सुनने वाला कोई नहीं है। 80 लाख रुपया दिया गया, 176 लाख आदमी प्रभावित हैं। प्रत्येक परिवार को लीजिये तो पचास रुपया नहीं पड़ेगा इस पर भी विचार करना चाहिये।

तीसरे, आपने तकावी दी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं और सेक्रेटरी भी हैं उनसे कहता हूं कि यह जो रुपया बांटा जाता है, इसकी तरफ ध्यान दें, यह पचास फीसदी को मिल पाता है और पचास फीसदी को नहीं मिल पाता। इस पर कड़ाई से ध्यान दें। मैंने कई मरतबे शिकायत करने की कोशिश की लेकिन फिर सोचा कि इसमें अपना समय क्यों लगाऊं। एक तात्तालिक रिलीफ की बात है।

तकावी इंटरेस्ट फ्री देनी चाहिये। आपने फेमीन रिलीफ फंड का कानून नहीं बदला पांच करोड़ का अलाटमेंट होता है उसमें दो करोड़ बचा लेते हैं। कमाल कर लेते हैं। गरीबों का पेट काट करके। यह तो कीजिये कि इंटरेस्ट पर तकावी दीजिये। आप इंटरेस्ट फ्री खाद भी दीजिये। खेती के लिये जो आवश्यक सामग्री है उसको इंटरेस्ट फ्री दीजिये। अगर सदन आगे तक चल गया, 15 सितम्बर लास्ट डेट है जब कि बांटने के लिये बीज पहुंच जाय। लेकिन बीज तब पहुंचेगा। जब समय कट जायगा, और तब खाद के साथ उसको किसानों पर लादेंगे। इसलिये निवेदन है कि माननीय मंत्री से और विभाग के सेक्रेटरी से कि इस पर ध्यान दें।

आप ने कहा कि जो योग्य है उसकी फीस माफ की जायगी। आपका कानून यह है कि जो योग्य होगा उसी की फसल की क्षति मानी जायगी। आप डिक्लेयर कर दें कि जितने फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सारे विद्यार्थियों की फीस माफ की जायगी। तात्कालिक रिलीफ की बात कह कर समाप्त करता हूं।

गांवों की कटाई का प्रश्न है। गांव डूबे पड़े रहते हैं, रास्ता नहीं रहता निकलने का। आप सड़कें बनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। किसी ने कहा कि हम चिराग जलायेंगे झोपड़ी में। यह चिराग जलायेंगे जब वह मर जायेंगे। इसके पहले उनको चिन्ता नहीं है कि वह सड़क पर तक कैसे आयें। एक सनखर और बांसी बांध है, तीन वर्ष तक लड़ता रहा, 12 मील तक निकालने का कोई साधन नहीं है। एक आदमी डेढ़ रोज से पड़ा हुआ

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मर रहा था । कह रहा था कि आसाम से आया था । मैं सड़क पर पड़ा हूं । जा नहीं सकता । आप जा रहे हैं अपनी नाव पर लिये चलिये । मैंने कहा कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूं । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट करे । यह जनता किस डिपार्टमेंट की है । यह सरकार को ज्ञान नहीं है । ऐसे अनेक गांव में उदाहरण के लिये जैसे एक गांव दंतरंगवा है, एक गांव मझरिया है, वहां से निकल ही नहीं सकें । आखिर को सरकार कैसे सर्वे करती है, कैसे राहत देती है, मेरी प्रार्थना है कि रिलीफ जो है वह मौके पर जांच करके सरकारी अधिकारियों की सिफारिश पर हीं नहीं माननीय सदस्यों की सिफारिश पर भी दी जाय । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

मैं मान्यवर आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । राजस्व मंत्री का जो गड़बड़घुटालें का वक्तव्य है उसे देख कर दुख हुआ । उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को गंगा और जमुना नदियों का जल स्तर 281 फुट तथा 280.5 फुट था जो अब घट रहा है और 6 अगस्त को बाढ़ इलाहाबाद में उतर गयी । एक प्रश्न के उत्तर में स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि 26 तारीख को मुख्य नगराधिकारी ने सूचना दी कि इलाहाबाद में इतनी भयंकर बाढ़ आने वाली है जिसके कारण इलेक्शन को स्थगित करने की आवश्यकता है लेकिन राजस्व मंत्री के वक्तव्य में इलाहाबाद में बाढ़ की कहीं चर्चा नहीं है और न वहां किसी नुकसान का जिक्र है । (व्यवधान) पिछली बार मैंने इसी सदन में कहा था कि मेरा क्षेत्र गंगा, जमुना और ससुर खदेरी नदियों के बीच में है । दो बड़ी नदियां मेरे क्षेत्र में अलग-बगल से बहती हैं । जाहिर है अगर वहां पर पानी बढेगा तो धरती डूबेगी । गंगा और जमुना से जो बाढ़ वहां आई है उससे जो नुकसान बताया गया है वह करछना तथा फूलपुर तहसीलों में ही बताया गया है लेकिन माननीय मंत्री जी चायल तहसील का नाम भूल गये जो दोनों नदियों के बीच में है । आप सोचिये कि उसका क्या हाल होगा ? मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर गया था । मुझे यह पता चला कि सरकार की ओर चायल तहसील में कोई राहत का काम नहीं किया गया । उज्जैहनी गांव से साखाबरीपुर तक और जी०टी०रोड के उत्तर में गंगा नदी के किनारे तक सारी खेती पानी में डूबी हुई थी और कोई सरकारी अफसर उसे देखने के लिये वहां नहीं गया । वहां हर दिन मिनिस्टर पहुंचते हैं अथवा कोई उच्च अधिकारी पहुंचते हैं और चूंकि मेरे क्षेत्र की तहसील शहर में है लिहाजा तहसीलदार मिनिस्टरों तथा अफसरों की अगवानी में रहती है, वह गांव में नहीं जा पाते । मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की तहसील शहर से हटा कर चायल गांव में कर दी जाय ताकि तहसीलदार के माध्यम से वहां कुछ काम हो सके । शहर में तहसील हेडक्वार्टर रहने से तहसीलदार मिनिस्टरों की अगवानी में अगर नहीं जाते हैं तो सस्पेंड कर दिया जायगा । देश की गरीब जनता की भलाई के लिये आप चायल तहसील को शहर से हटा कर चायल गांव में कर दीजिये ताकि तहसीलदार वहां गांव की जनता का कुछ काम कर सके । सेंवड़ा घाट से कटैया तक जमुना के किनारे सारे गांव बाढ़ में एक दम डूब गये हैं । पुरखास गांव में बगल की तरफ एक बड़ा नाला है जिसमें जमुना नदी का पानी आ गया है और उसके कारण कटैया, केवटपुरवा, मल्हईपुर गांव कट गये हैं और नाव का प्रबन्ध न होने के कारण लोग निकल नहीं पा रहे हैं । इलाहाबाद के लिये 260 नावों का प्रबन्ध बताया जाता है । इसकी जरा जांच कर ली जाय । जनता जहां की दुखी हो वहां पर नावों का प्रबन्ध राज्य सरकार की ओर से होना चाहिये न कि केवल प्रभावशाली व्यक्तियों के क्षेत्र में ही होना चाहिये ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गंगा के कछारी इलाके में टमाटर, मक्का, प्याज, टिंडा, अमरूद, बाजरा और मिर्च आदि सारी चीजें बोई हुयी थीं और बाढ़ के कारण ये सारी की सारी फसल पानी में

डूब गयी । अतः मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उनको बीज दें, चाहे वह अनुदान के रूप में हो और चाहे शुल्क लेकर दें । दूसरी बात यह है कि कछारी इलाके में बहुत सारे अमरूद के बगीचे हैं उन सब में पानी भर गया है । बरसाती अमरूदों की सारी फसल पानी में डूबने से नष्ट हो गई है । कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस खेती को देखने के लिये नहीं गया । मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विचार करें और इलाहाबाद जाकर इन क्षेत्रों का दौरा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो कृषि पर बोल गये ।

एक सदस्य--

एक जानकारी चाहता हूं कि आप पार्टी के हिसाब से नाम ले रहे है या जो सूची आपके पास दी गई है उसके अनुसार नाम ले रहे हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जिस पार्टी के सचेतक ने नाम दिये हैं उसी के अनुसार है ।

श्री बसंत लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

कल मैं 11 बार खड़ा हुआ हूं किन्तु मुझे समय नहीं दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

जितना ज्यादा आप समय खराब करेंगे उतना ही समय कम मिल पायेगा ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन् ने अभी बतलाया कि सूची के अनुसार नाम ले रहे है तो इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह न तो बजट ही है और न बिल ही है जिस पर आप पार्टीवाइज नाम ले रहे हैं । हर जिले की अलग-अलग परिस्थिति हो सकती है । तो इस डिबेट में आप स्वयं देखकर यह निर्णय लें कि कौन बोलेगा । इससे हर आदमी को अपने-अपने जिले की परिस्थिति सदन के सामने रखने का मौका मिल जायेगा ।

एक सदस्य--

5-5 मिनट का समय आप दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

5-5 मिनट ही समय दे रहा हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, बाढ़ से केवल इसी साल नहीं बल्कि हर साल क्षति होती है । जो क्षति इस साल बाढ़ से हुई है उसे न मालूम माननीय मंत्री जी ने किस आधार पर और किस सिद्धांत पर आंकड़े रखे है । क्षति के जो वास्तविक आंकड़े हैं वे नहीं दिये गये हैं । इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दो सौ करोड़ से कम नुकसान नहीं हुआ है जब कि आपने केवल 71 करोड़ का ही नुकसान दिखाया है । देवरिया के जिलाधिकारियों से सूचना मिली है कि वहां पर बाढ़ से 72 करोड़ का नुकसान हुआ है । इस प्रकार जो सही स्थिति है वह नहीं दी गई है। राहत देना तो दूर रहा किन्तु क्षति के वास्तविक आंकड़े भी सही नहीं दिये गये हैं । इस संबंध में सुझाव देना चाहता

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

हूं कि जो अपने प्रदेश की नदियां हैं वे एक प्रकार से इस प्रदेश के लिये दौलत हैं। यदि इन 22–23 सालों में योजनाओं, और प्लानिंग नदियों की सफाई करा दी गई होती तो जो नदियां पट गई और नदियां गहरी नहीं रह गई हैं उससे पानी इतना न फैलता जितना कि आज उनका पानी फैला है। आज तक इन नदियों को गहरा करने का इन्तजाम नहीं किया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि इन नदियों को गहरा किया जाय ताकि इनकी पानी बहाने की क्षमता हो सके। इससे जो खर्चा सरकार को उठाना पड़ रहा है वह न होता। तृतीय योजना में आपने 10.71 करोड़ रु० तृतीय योजना में 21.36 करोड़ और इस समय 2 सौ करोड़ रुपया दिया गया। जिसमें से आपने 19 करोड़ 54 लाख बाढ़ पर खर्च किया। यह नुक्सान हुआ आपकी सरकार की लापरवाही से और सरकारी अधिकारियों की इनइफीसेयंसी से। क्योंकि सन् 1964 में नानक सागर बांध बना और 1967 में टूट गया। इसी प्रकार 1965 में हमारे इलाहाबाद में में मेजा बिलया बांध बना था जो कि 1968 में टूट गया और फिर इस बार भी टूट गया है। यह जितना रुपया उन्होंने खर्च किया उसको कंट्रोल करने में आधा बजट करेप्शन में चला गया। और हमारी कांग्रेस सरकार जो कि थोड़े से समय को छोड़ कर 5–6 महीने के 22–23 सालों से चली आ रही है तो कोई इस समस्या के लिये मुस्तकिल व्यवस्था होनी चाहिये थी। पता नहीं, माननीय मंत्री जी इलाहाबाद से क्यों नाराज हैं। जो सूची दी है उसमें एक पैसा नहीं रखा गया है तकावी की स्कीम में वहां के लिये जबकि 2 करोड़ का नुक्सान और करीब 80 लाख एकड़ की क्षति फसलों की हुई। तकावी में जीरो दिया है। फूलपुर में वह मानते हैं कि 50 जानवर बह गये और पहली अगस्त को मैंने स्वयं जाकर देखा सरकार की तरफ से इतनी लापरवाही हुई जिसकी वजह से सैकड़ों जानवर बह गये और रिलीफ पोस्टों पर कोई व्यवस्था नहीं थी। हजारों झोंपड़ियां बरबाद हो गयीं। वहां आपने क्या राहत दी, इसका कोई जिक्र नहीं है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था, आज भी देता हूं कि बजरा सुनैठी इतना हिस्सा तो इलाहाबाद का और दूसरा एक मील दक्षिण वहां एक बांध होना चाहिये। जब मुख्य धारा रुक कर आयेगी तो काटेगी नहीं, नदियों के किनारे के गांव नहीं गिरेंगे। इलाहाबाद में जो आपने फूलपुर तहसील में दिया है, मंत्री जी जांच कर लें अधिकारियों से कि एक माचिस और आधा बोतल मिट्टी का तेल। जबकि उनके पास कुछ नहीं था, ईंधन था ही नहीं। जो खेतिहर मजदूरों की, हरिजनों की समस्या थी, गरीब लोगों की समस्या थी, उनको खाने-पीने की कोई राहत नहीं दी गयी। जो आपने तकावी के लिये पहले कहा था देने को 20 लाख, लेकिन अब गोल कर दिया। इलाहाबाद से जहां से कि इस देश को गौरव प्राप्त है कि नेहरू जी रहे, फिर शास्त्री जी रहे और आज प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, तो इन सब के होते हुए भी इलाहाबाद से ही पहले मंत्री ने क्रास किया था, तभी उनकी सरकार यहां बनी। तो इलाहाबाद का तो आप सब को कृतज्ञ होना चाहिये, लेकिन सिंचाई मंत्री ने 62 नलकूप काट कर 30 कर दिया। बाढ़ में इतना नुक्सान होता है, क्षति पूरी नहीं होती और ट्यूबवेल भी कम कर दिये हैं। तो मैं कहूंगा कि ट्यूबवेल की संख्या बढ़ा दें। जितने विद्यार्थी हैं उनकी फीस माफ कर दें और हरिजनों और पिछड़े लोगों को जगह दे दें। सिंचाई मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में बेकारी बढ़ गयी है उसको दूर करें वरना इस नये समाजवाद और नयी रोशनी से देश में गरीबी घटने नहीं जा रही है, आप बढ़ाने जा रहे हैं, इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

श्री शीतला प्रसाद सिंह।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है। कल से मैं देख रहा हूं कि पार्टियों के जो कुछ सवेतक लिख कर

नाम भेजते हैं उनके नाम ही आप पुकार रहे हैं। वास्तव में बाढ़ पर दफा 51 में कुछ लोग नोटिस दिये हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। मेरा दफा 51 का था, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आपको भी समय देने का प्रयास किया जायगा।

एक सदस्य—

जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं देंगे, मैं नहीं बैठूंगा····

(व्यवधान)

अन्य सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है। दफा 51 का मैंने दिया था वह तो वक्तव्य में शामिल कर दिया और आजतक मुझे अवसर नहीं मिला। न कोई प्रयास किया गया कि एटा को एक पैसा दिया जाय·····

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो प्रदेश भर में बाढ़ का भीषण प्रकोप है लेकिन बाढ की वजह से गोंडा जिले की विशेष परिस्थिति है । वहां 18 अप्रैल को 14 सेंटीमीटर पानी गिरा जिससे सारे जिले में फ्लड आ गया और गेहूं की फसल पूरी की पूरी तबाह हो गई है । बराबर वर्षा होती रही है जिससे किसान अपने खेत की गुड़ाई नहीं कर सका और न जुताई ही कर सका । वह समय से फसल भी नहीं बो सका । गोंडा में प्रधान फसल मक्का की होती है जो बिलकुल तबाह हो गई है और बीज के लिये एक दाना भी किसान के पास नहीं बचा है । हमारे जिले के आंकड़े 320 गांवों के प्रभावित होने के इस रिपोर्ट में दिये गये हैं जब कि जो नदियों के बीच में पड़ते हैं वहां हजारों गांवों को नुक्सान हुआ है और जहां मक्का की काश्त होती थी वहां तक एक दाना भी पैदा नहीं हो सकता है ।

सरकार ने जो व्यवस्था इस साल सहायता की है वह पिछले साल से बहुत कम है। इस साल के मुकाबले में पिछले साल बहुत कम नुक्सान हुआ था जबकि पिछले साल 5/6 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। लेकिन इस साल कुल एक लाख रुपये की सहायता दी गई है । हमारे यहां 8/10 लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हैं तो एक लाख रुपये से क्या हो सकता है । यह तो आने जाने और नावों की व्यवस्था में ही खर्च हो जायेगा । मेरा अनुरोध है कि इस साल बाढ़ से जो गोंडा में नुक्सान हुआ उसकी स्पेशल जांच फिर से कराई जाय जिससे मालूम हो सके कि वहां क्या हालत है । सारे जिले की फसल तबाह हो गई है । रबी की फसल बारिश से तबाह हो गई और खरीफ की और रबी की फसल भी बाढ और बारिश से खत्म हो गई है । एक दाना भी नहीं बचा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि टेस्ट वर्क्स वगैरा के काम खोले जायं जिससे गरीब, खेतिहर मजदूरों को रोजी मिल सके ।

दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने सरजू और घाघरा के किनारे-किनारे एक बांध बनाया है जिसके बीच में करीब 200 गांव पड़ते हैं । वे हर वर्ष डूब जाते हैं। सरकार से अनुरोध किया गया और सरकार ने आश्वासन दिया कि इसकी व्यवस्था की जायेगी लेकिन कुछ नहीं हुआ । जब बाढ़ आती है तो लोग पेड़ पर बैठते हैं और किसी तरह से अपना समय काटते हैं । लेकिन एक भी गांव की पटाई नहीं हुई। अगर गांवों की पटाई होगी तो कम से कम इस साल जो बेकारी और भुखमरी है उससे लोगों को राहत मिलेगी और गांव भी ऊंचे हो जायेंगे । जब बांध नहीं था तो 30 मील के चौड़ान में पानी चलता था, गोंडा में, घाघरा, सरजू और कुआनों आदि अनेक नदियां हैं । ऐसी एक इंच भी यहां जमीन नहीं है

[श्री शीतला प्रसाद सिंह]

जो बाढ़ से प्रभावित न हुई हो । धान की फसल में एक बीमारी चली उसके लिये सरकार से कहा गया । लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई और सारी फसल नष्ट हो गई । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि गोंडा जिले की खास तौर से जांच कराई जायं । यदि कोई व्यवस्था जल्दी नहीं की जाती तो आशंका है कि लाखों आदमी भूख से तड़प कर मर जायेंगे । इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है । मैं सब से पहले इस रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं । रिपोर्ट में माननीय राजस्व मंत्री ने कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन विभागों के अधिकारी इन कुर्सियों पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । कुछ ही विभागों के अधिकारी आये हैं । यह अधिकारियों की अकर्मण्यता है ।

मान्यवर, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन यहां मैं देखता हूं कि हर विभाग के अधिकारी यहां मौजूद नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से विभाग के मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि उनके लिये यह आवश्यक है कि इस बात की ओर उनका ध्यान दिलायें कि इस बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिये । मैं आपका ध्यान बस्ती जिले की ओर दिलाना चाहता हूं । बस्ती जिले में घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बान गंगा, कूढ़ा आदि नदियां हैं । इन नदियों की बाढ़ से बस्ती जिले में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । लेकिन यह आंकड़े भी अधूरे हैं, नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को स्वयं घाघरा के कटान के क्षेत्र में ले गया था और वहां पर निरीक्षण कराया था । उसके ये सारे फोटों मेरे पास हैं । 14 मील घाघरा की बाढ़ के अन्दर चल कर मंत्री जी गये थे ।

श्री अधिष्ठाता—

इन तस्वीरों को आप यहां भेज दीजिये ।

श्री सुखपाल पांडेय—

इतना अधिक कटाव वहां हुआ है लेकिन गवर्नमेंट की कोई योजना गांवों की बाढ़ से रोकने के लिये नहीं है जब तक पत्थर डाल कर बहाव को रोकने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तब तक किसानों को किसी प्रकार से भी राहत नहीं मिल सकती । माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गोरखपुर मार्ग की सड़क धंस गयी । लेकिन मैं परसों ही उस क्षेत्र में गया था महाराजगंज–भदावल मार्ग भी करीब डेढ़ मील धंस गया है । राजस्व मंत्री जी का कहना है कि लोहे की चादरें दे दी गयी हैं लेकिन मैंने तो वहां पर केवल तीन चादरें ही देखीं । मैंने पी० डब्ल्यू० डी० के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एस० पी०, कलेक्टर और डी० आई० जी० को टेलीफोन किया कि वहां पर हजारों की संख्या में ट्रक्स रुकी हुई खड़ी हैं, लेकिन उनके आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये यह जो रिपोर्ट है वह अधूरी है ।

कटान क्षेत्र के लोगों के पास खाने को नहीं है । वहां के लोगों को कार्ड बटवाये जायं और उनके खाने पीने का प्रबन्ध किया जाय । उनके लिये काम की व्यवस्था की जाय । इस रिपोर्ट में एक मृत्यु दिखायी गयी है । वहां पर सैकड़ों आदमी तो सांप के काटने से मर गये हैं । वहां पर बीमारी फैल रही है, दवाओं का कोई इन्तजाम नहीं है । सरकारी आफीसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो पैसा आया है वह सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण उसका उपयोग नहीं हो सका है । कटान से प्रभावित

लोगों की सहायता में इस पैसे को लगाया जाय। वहां के लोगों की मदद के लिये सरकार की कोई स्थायी योजना होनी चाहिये।

श्री बनारसी राम (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जिला आजमगढ़ के क्षेत्र मार्टीनगंज में मगई और बेसो दो नदियां हैं। बड़े-बड़े ताल भी इस क्षेत्र में हैं। वैसे तो आजमगढ़ जिला धाराशाही से बहुत मिट चुका है। मान्यवर, पहले से ही आजमगढ़ जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और आजमगढ़ में मार्टीनगंज सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। जिस क्षेत्र के सीताराम अष्ठाना स्वतंत्रता सेनानी ने बड़ी कुरबानी देश के लिये की वह क्षेत्र सदैव से हरिजन क्षेत्र रहा है, रिजर्व सीट। उस क्षेत्र की तरफ सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से उस क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां इतनी गरीबी ह जो सीमा से बाहर है। वहां बेसों और मगई, इन दोनों नदियों में जब उबाल आता है तो किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक तरफ तो वहां का किसान बरखा से परेशान होता है और दूसरी तरफ जब सूखा पड़ता है तो पानी के लिये तरस जाता है। न तो वहां टयूबवेल हैं, न बिजली है, न सड़कें हैं। यानी हर कठिनाई मार्टिनगंज क्षेत्र में है। वहां 3 लाख नहीं, कम से कम 8–10 लाख रुपया सरकार को देना चाहिये। मैं चाहूंगा कि सरकार अधिक से अधिक धन आजमगढ़ जिले को दे। वैसे तो मेरा बहुत बोलने का प्रयास था बजट पर लेकिन बजट पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। आज तो बाढ़ के विषय पर ही बोलना है। थोड़े ही में अपने क्षेत्र की हर बात मैं सरकार के सामने रखे देता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

इनके बोलने के बाद।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपके जो वामांगी हैं बसन्तलाल जी यह बराबर क्यों उठते रहते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। आप तो बिल्कुल सामने हैं।

श्री बनारसी राम—

वहां के गरीब हरिजन जो गोबर के दाने से अपना पेट पालते हैं आज बरसात हो जाने से उनकी क्या स्थिति होगी यह सरकार को सोचना होगा और सरकार को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा धन मार्टिनगंज क्षेत्र में लगाये। और आखिर में मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि टयूबवेल, सड़क और बिजली, इन तीन चीजों की व्यवस्था सरकार मार्टिनगंज क्षेत्र में अवश्य करे।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता—

माननीय बसन्तलाल शर्मा।

(इस समय कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

आप लोग बैठें, मैंने बसन्तलाल जी को बुला लिया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

आज जो बाढ़ पर बहस हो रही है इसकी दो शाखायें हैं, एक है बाढ़ का नियंत्रण करना और दूसरे बाढ़ से जो पीड़ित जनता है उसकी सहायता करना। तो मान्यवर, बाढ़ पर नियंत्रण करता है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग के न मंत्री हैं और न उपमंत्री हैं और न सिंचाई विभाग के अधिकारी ही हैं। साथ ही पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी भी यहां पर नहीं हैं। यह बाढ़ पर बहस यहां पर इतनी महत्वपूर्ण हो रही है लेकिन वे सम्बन्धित व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं हैं। इसलिये आप व्यवस्था दें कि जिन मंत्रियों का सम्बन्ध है वे तो यहां पर उपस्थित रहें। अगर वे उपस्थित नहीं रहेंगे तो कौन सुनेगा।

श्री अधिष्ठाता--

यहां पर राजस्व मंत्री जी उपस्थित हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा हूं कि "सारी खुदाई एक तरफ और माननीय बसन्तलाल जी दूसरी तरफ"। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है उसमें गायघाट और लाल घाट पर जलस्तर की सूचना उनको दी गई है वह सही नहीं है। मुझे इस बात का भी खेद है कि मांझी के जलस्तर की सूचना नहीं दी गई है। अगर मांझी के जलस्तर की चर्चा की जाती तो आप देखते कि बलिया का जो पूर्वांचल है वहां पर पानी का स्तर ऊंचा रहा है। लाल घाट में पानी का स्तर 67 के लगभग रहा। किन्तु पूर्वांचल में सन् 48 के बराबर पानी आया। किन्ही-किन्हीं स्थानों पर 4 इन्च तक पानी 48 के मुकाबले में अधिक आ गया था। इस रिपोर्ट में 48 के मुकाबले में जिक्र नहीं किया गया है कि कितना पानी बढ़ा। हमारे दोआबा के पूर्वांचल में बाढ़ का प्रकोप जुलाई के दूसरे सप्ताह में हुआ और बलिया के अन्य क्षेत्र में अन्तिम सप्ताह में बाढ़ का पानी आया। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि गंडक और सोन में बाढ़ के कारण बलिया के पूर्वांचल में बाढ़ का पानी अधिक बढ़ गया।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

श्री हुकुम सिंह जी ने जो वहां पर ठोकर लगवाई थी उसने कुछ सहायता नहीं की?

(इस समय 4 बजकर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री मैनेजर सिंह--

यह गंगा और घाघरा की बाढ़ बलिया होकर ही निकलती है। जिन नदियों की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने किया है उन सारी नदियों का पानी बलिया के किनारे से होकर जाता है। बिहार में जितना पानी जाता है वह सब बलिया होकर ही निकलता है। इस वजह से बलिया ज्यादा प्रभावित होता है इसलिये बलिया की ज्यादा सहायता करने की आवश्यकता है। मुझे राजस्व मंत्री जी यह शिकायत करनी है कि जब वे बलिया 28 जुलाई को पधारे उसके पहले आपके अधिकारियों की नींद नहीं खुली थी। माननीय मंत्री जी के जाने के कारण अधिकारियों ने कुछ कार्यवाही शुरू की। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने लापरवाही बरती। आप के आने के बाद बलिया के जिलाधीश बीमार पड़ गये। वह 20 दिन तक बीमार होने के बहाने पड़े रहे। उन्होंने उस अवधि में छुट्टी नहीं ली। उन्होंने छुट्टी क्यों नहीं ली। वे बराबर 9 से 11 तक रात में अपने अफसरों से मिलते रहे। जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिये उन्होंने मुमानियत कर दी। कह दिया गया कि बीमार हैं। बाहर पानी में नहीं जा सकते थे इस वजह से बीमार पड़ गये। अगर वे छुट्टी ले लेते तो उनके स्थान पर दूसरा अधिकारी आता और यह काम करता तो जिले की और जनता की सेवा होती।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—
आपके कुछ साथी नाराज हो जाते ?

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी खुद गये थे। आपका सही कहना है कि कुछ साथी नाराज हो गये थे। किन्तु उनकी नाराजी की परवाह नहीं करनी चाहिये थी। जुलाई के अन्त में घाघरा का पानी बढ़ा। अधिकारियों से कहा गया कि घाघरा के क्षेत्र में पानी ऊपर आ गया है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गंगा का ऊपरी एरिया उतना प्रभावित नहीं है जब कि गंगा के नीचे का क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है। जिले का घाघरा से प्रभावित कुल क्षेत्र अधिक एरिया हमारे क्षेत्र में है। उन इलाकों में दो सप्ताह से आपके अधिकारियों ने सेवा कार्य बिलकुल बन्द कर दिया है, मेरी शिकायत के फलस्वरूप आप इसकी जांच करावें। आपके अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। राजस्व विभाग के अधिकारी कफन चोर हैं, वे कफन भी चुराते हैं। आप नोट करें—चित्तबड़ागांव में 75 बोरी चना खरीदा गया जिसका कोई वजन नहीं किया गया। प्रति बोरा एक क्विंटल के हिसाब से खरीद दिखलाया गया। मैंने चार बोरे पकड़े तो उनमें चने की जगह लेतरी पाया गया जिसको जानवर ही खाते हैं। आपके डिप्टी कलेक्टर के सामने मैंने यह सब रख दिया। मझौआ में एक ड्रम किरासिन तेल का भेजा गया जिसमें पानी मिला हुआ था। मैंने डिप्टी कलेक्टर अम्बिका प्रसाद के सामने ही उसे सब को दिखलाया। इस तरह से आपके अधिकारियों ने धांधली मचा रखी है। हमने आपके डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि 85–90 के० जी० का बोरा भेजा जायगा। लेकिन उसके बाद भी 60 और 65 के० जी० के बारे ही भेजे गये। चांद दियारा, नौरंगा अधिक प्रभावित बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं। नौरंगा के लोगों को बुला कर दुबेछपरा कैम्प में रखा गया है जहां औरतों और लड़कियों के साथ आपके अधिकारियों ने छेड़खानी की। जब गांव के लोगों ने मुझ से शिकायत की तो मैंने हाकिम परगना श्री दीक्षित को सूचित किया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्री दीक्षित शिकायत करने वाले के विरुद्ध ही पुलिस को निदेश दिया कि उन लोगों को कैम्प में न घुसने दिया जाय। एक दिन आदमी एक जिला अधिकारी से शिकायत की तो डिप्टी कलेक्टर दीक्षित के कहने से उस आदमी को थाने में बन्द कर दिया। जब लोगों ने घेराव करने की कोशिश की तो उस आदमी को छोड़ दिया गया। आपके अधिकारियों का व्यवहार बिल्कुल निन्दनीय है। बाढ़ की वजह से एक लकड़ी पर सांप, बिच्छू आदि लिपटे रहते हैं और किसी को कुछ नहीं करते लेकिन इस बाढ़ के जमाने में भी आपके राजस्व विभाग के अधिकारी इस तरह की गलत प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ते हैं और औरतों व लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। अब आप फिर 5 तारीख को वहां जा रहे हैं तो इन दोषी अधिकारियों को दण्ड दीजिये, चाहे वह कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो या अमीन हो।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 61 से लेकर अब तक प्लानिंग विभाग को अधिकारी ही गल्ला वितरण कार्य करते थे और उनके द्वारा ही सारी चीजों का आबंटन होता था लेकिन अब यह कार्य आपके राजस्व विभाग के अधिकारियों व लेखपाल आदि के जरिये हो रहा है ताकि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर व दूसरे अधिकारी, आप से मिल कर एक लाख का तीन लाख कर सकें। इसलिये मैं आपसे शिकायत करता हूं कि इसकी आप जरूर जांच करायें और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने भी दफा 51 में दिया था जो स्वीकृत हो गया था लेकिन जब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो उसके स्वीकृत होने से फायदा क्या है। पहले भी आपने मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दी थी तो मैं सदन छोड़ कर चला गया था और अगर अब भी आप मुझे आज्ञा देंगे और बोलने नहीं देंगे तो मैं सदन छोड़ कर चला जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको सदन छोड़ने की आज्ञा नहीं दूंगा। लेकिन हमारे सामने जितना समय है उसी को देख कर बोलने के लिये समय देना पड़ता है।

श्री राम वचन--

जो लोग दफा 51 में दिये हैं, उनको तो आप बोलने का समय देंगे। हर जिले में बाढ़ आयी है लेकिन जिस जिले में अधिक बाढ़ आयी है, वहां के लोगों को तो बोलने का मौका अवश्य ही मिलना चाहिये।

श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा)--

मान्यवर, बलरामपुर में जो राप्ती नदी है उसने अपने रुख को ही बदल दिया है। बाढ़ से हानि तो होती ही है लेकिन जब नदी का रुख बदलता है तो कई गांव किनारे के उसकी चपेट में आ जाते हैं। और कई इलाके साफ हो जाते हैं। नतीजा यह है कि हमारे क्षेत्र में 8 गांव पूरे बह गये और आज नदी उन गांवों के बीच से बह रही है। इन गांवों के नाम हैं। मिर्जापुर, बकटुआ, नरायनपुर, भरभरिया, करमहना, घसियार, बीरपुर लखमनपुर, सआंरी। इन गांवों की जनता और पशुओं के कष्ट का वर्णन नहीं किया जा सकता, आज वह सड़कों पर पड़े हुये हैं। यह बलरामपुर गोरा वाले लोग सड़कों पर पड़े हुये हैं और उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं रह गया है। किसी तरह से चारपाई के नीचे और ऊपर वह पड़े हैं और उनके लिये भोजन का कोई प्रबन्ध नहीं है, उनके पशुओं के लिये कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। वह बीमारी से और भूख से मर रहे हैं। सन् 69 में जब यहां बाढ़ आई थी तो वहां गुप्ता जी गये थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि रियासत बलरामपुर के जमाने के बांध फिर से बनवा दिये जायं। एक जमाने में रियासत की ओर से वहां बाढ़ को रोकने के लिए 11 बांध बने थे लेकिन रियासत खत्म होने के बाद वह इन 20 सालों में सब कट गये और बिल्कुल समाप्त प्राय हो गये हैं। अब अगर थोड़ी सी भी बाढ़ आती है तो नदी का रुख बदल जाता है और तमाम गांव और वहां की आबादी तबाह हो जाती है। इस साल तो नदी का पूरा रुख ही बदल गया है और तमाम गांव बरबाद हो गये हैं उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, उसको पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। 60-70 गांव ऐसे हैं कि अगर बाढ़ इसी तरह से बढ़ती रही तो वह सब खत्म हो जायंगे।

इसके अलावा जब बाढ़ समाप्त होती है तो हर जगह पर नई मिट्टी से उत्पादन बढ़ जाता है लेकिन हमारे यहां राप्ती नदी की जो बाढ़ आती है उस में बालू ही नदी डालती है। मैं मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर गांव के पास से जो नदी बहती है उसकी ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं, बलरामपुर रियासत के इस भाग में यह नदी 90 डिग्री के कोण पर बहती है नदी ने काट कर रुख सीधा कर दिया जाय तो वह ठीक किया जा सकता है। कई बार वहां मीटिंग भी हुई और इंजीनियर्स भी गये लेकिन वहां यह कार्य अभी तक नहीं हो सका है। कहा गया कि यह मुमकिन नहीं है जबकि वहीं पर 11 बांध रियासत बलरामपुर ने बनवा दिये। उन्होंने भी यह टेकनीकल लोगों और इंजीनियरों के द्वारा ही बनवाये थे और जब यह बांध सही हालत में थे तो वहां के क्षत्र के सारे लोग बाढ़ से बच जाते थे और उन के गांव भी नहीं कटते है। इसलिये वहां पर इस बांधों को बनवाने की व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा हमारे यहां तराई में पशुओं के लिये ब्लाक छोड़ दिये जाते थे। इस साल भी छोड़े गये हैं चार ब्लाक। उनमें से दो तो सड़क के नजदीक हैं और 2 ब्लाक ऐसे हैं कि जो पानी से चारों ओर से घिरे हैं, वहां तक जानवर जा भी नहीं सकते। तो ऐसे ब्लाक छोड़ने से क्या लाभ, अगर वह पास में और ऊपर छोड़े जायं तो उससे मवेशियों की चराई का प्रबन्ध हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर से भी कहा गया लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। आज

2,000 से ज्यादा जानवर सड़क पर पड़े हैं, उनके चरने का कोई स्थान नहीं है, वह बीमारी और भूख से मर रहे हैं।

इसके अलावा बलरामपुर–तुलसीपुर और तुलसीपुर–इटवा सड़क कट गई है और उनका कटना अभी जारी है। मेरा सुझाव है कि राप्ती के रुख को चेक किया जाय तभी वह क्षेत्र प्रभावित होने से बच सकता है। इसके अलावा यह भी है कि जब बाढ़ समाप्त होती है और नदी का पानी घटता है तो कटाव बहुत तेजी से होता है। इसलिये सड़कों के विषय में और नदी के कटाव के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जाय। जो लोग सड़कों पर पड़े हैं उनके लिये लकड़ी का प्रबन्ध और पशुओं के चारे का प्रबन्ध किया जाय।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका देकर बड़ी कृपा की। बाढ़ का प्रकोप हमारे पूरे सूबे में है। बाढ़ का प्रकोप, जसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि प्रदेश के 50 जिलों में बाढ़ हैं, मगर सही माने में बाढ़ उन स्थानों में है जहां पर पश्चिमी जिलों और पर्वतीय जिलों तथा स्थानीय वर्षा का सारा पानी पूर्वी जिलों गोरखपुर, फैजाबाद, और वाराणसी रीजन में कह कर आता है। आजमगढ़ की जो स्थिति है, उसके बारे में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी में बताना चाहता हूं।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री राम कुंवर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय वैसे तो आजमगढ़ में कुल 18 नदियां बहती हैं, लेकिन आजमगढ़ जिले में फैजाबाद और बलिया के बीच में आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी की सबसे बड़ी लम्बान है जो लगभग 6 मील है। वहां पर एक नदी तामसा है और जब उसमें बाढ़ आती है तो पूरा जिला जलमग्न हो जाता है।

(माननीय छांगुर राम बराबर बोलते रहे और व्यवधान होता रहा।)

मान्यवर जितने भी पूर्वी जिलों में बाढ़ आयी है, जैसे बलिया, फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, देवरिया उन्हीं के समकक्ष आजमगढ़ में भी बाढ़ आयी है लेकिन मालूम पड़ता है कि हमारी आवाज में ताकत नहीं है, या हमारे पत्रकारों की कलम में स्याही नहीं है जो सरकार के पास तक आवाज पहुंचा सके। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ का जहां तक सम्बन्ध है आजमगढ़ क्षति के मामले में किसी भी जिले से पीछे नहीं है। आजमगढ़ जिले में बाढ़ के सम्बन्ध में जो छोटे-छोटे कर्मचारियों, जैसे लेखपाल आदि ने रिपोर्ट दे दी, उस पर कानूनगो ने हस्ताक्षर कर दिए और जब कानूनगो ने हस्ताक्षर कर दिए तो उस पर तहसीलदार, एस० डी० एम० और डी० एम० ने हस्ताक्षर करके सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेज दी। वह तो पक्की मानी जाती है लेकिन जब हम सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो सरकार को विश्वास नहीं होता है कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जितनी रिपोर्ट स सरकारी कर्मचारियों की आती हैं वे 99 प्रतिशत गलत होती हैं और 1 फीसदी सच्ची होती हैं। हम उस जिले के रहने वाले हैं। हम जानते हैं कि वहां के निवासियों के समक्ष कौन-कौन सी समस्यायें हैं। मेरा इलाका सगड़ी है जो 60 मील घाघरा के किनारे पर पड़ता है। जैसा कि सरकार ने भी माना है वहां पर 166 गांव ऐसे हैं जहां पर 60 हजार लोग रहते हैं लेकिन जो उन्हें सहायता सरकार की ओर से मिली है वह नहीं के बराबर है। अबकी बार बाढ़ जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने हो गये हैं, से लगातार आ रही है। वहां पर रहने वाले लोग 3 महीने से पानी में

[श्री राम कुंवर सिंह]

हैं, सरकार यह भी नहीं सोचती कि वे वहां पर कैसे रहते हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था, कैसे हो सकती है। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में 3 महीने में 3 बार राशन मिला है। वहां 60 हजार आदमी हैं, किसी के परिवार को 1, किसी के परिवार को 1 1/2 और किसी के परिवार को केवल 2 किलो तक ही राशन मिल सका है। इन 3 महीनों में से जो 166 गांव हैं पानी में डूबे हुए हैं, उनके रहने की व्यवस्था करें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि छोटी सरयू के पानी की निकासी की भी व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि लगान, पानी, बिजली, खाद की माफी की जाय और तकावी की व अन्य ऋणों की वसूली को स्थगित किया जाय। मेरी यह भी प्रार्थना है कि वहां के रहने वालों के बच्चों की फीस माफ की जाय, किताबों का प्रबन्ध किया जाय और गरीब लोगों को रबी की फसल तक राशन कार्ड दिए जायं और उनके मकान बनवाने की व्यवस्था की जाय। सबसे आवश्यक कार्य गांवों को ऊंचा करने का है।

श्री छांगुर राम--

मैं यह बता रहा था कि बांगला देश की कटौती के सम्बन्ध में 27 तारीख को यहां यह बात हुई कि हर नेताओं की राय से बांगला देश की सहायता के लिये...

श्री उपाध्यक्ष--

आपने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आप को चाहिये था कि जब कोई दूसरा सदस्य भाषण दे रहा हो तो उस समय आप न कहें। जब समाप्त हो जाय तब कहें,,तो हम समझ सकते हैं। आप बार बार चिल्ला रहे थे। अब आप कहिये।

श्री छांगुर राम--

मैं यह बता रहा था कि "भारत" अखबार देखने से लगता है कि ऐसा तय हुआ कि विधायकों के वेतन से पांच प्रतिशत की कटौती की जायेगी बांगला देश के नाम पर। दुर्भाग्य से उस वक्त यह चीज पास हुई मैं सदन में नहीं था। उसमें मैं भी एक सदस्य हूं। मेरी तनख्वाह से भी वह काटा जायेगा। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं इस कटौती से सहमत नहीं हूं। उसके दो कारण हैं। एक तो मुझसे पूछा नहीं गया...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कारण नहीं चाहता। आप आसन ग्रहण करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बोलें।

श्री छांगुर राम--

आप बिगड़िये नहीं। मैं कारण बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अमर्यादित काम कर रहे हैं। आपको यह नहीं करना चाहिये। आप कृपा कर आसन ग्रहण करें। आप आसन ग्रहण नहीं करते तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा।

श्री छांगुर राम--

मैं अपनी तनख्वाह में से कटौती...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको बाहर निकलने के लिये कहता हूं। आप कृपा करके बाहर निकल जाइये। यह सदन है। आप सदन की गरिमा को नहीं समझते हैं। आप उसकी गरिमा से विमुख हो रहे हैं।

श्री छांगुर राम—

आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको मुझसे पूछना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दीजिये।

(श्री छांगुर राम ने स्थान ग्रहण कर लिया)

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, यह विषय किस समय तक चलेगा। साढ़े तीन बजे आरम्भ किया था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह समय दो घंटे का था। 3–45 पर आरम्भ हुआ था। चालीस मिनट और हैं।

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि जो आपने इस प्रदेश में आई हुई बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ बोलने का अवसर दिया। मैं सर्व प्रथम बता देना चाहता हूं कि मैं जिस जनपद से चुन कर आया हूं उस जिले में आठ नदियां पड़ती हैं। वे हैं—सिरसा, संगर, अरिन्द, ईसन, कालो, कक, आबगंगा, यमुना। इनके बीच हमारा जिला मैनपुरी बसा हुआ है। जिस जिले से आठ नदियां गुजरती हों, बाढ़ में उस जिले को कितना नुकसान पहुंचा है। श्रीमन् मैं देख रहा हूं कि हमारी तीन तहसीलें हैं—(1) करहल, (2) शिकोहाबाद, और (3) जसराना। पहली तहसील करहल में, हाजीपुर तेरा, अब्दुल नबीपुर, सजावारपुर, बरनाहाल, सराफतुल्लापुर, सालनाहावली, उरथान, अंडनी, राजपुर, अतराजपुर, सिंहपुर, ऐलादपुर, मदरावली, परतारामपुर, सरमाई, कासमपुर, इकहान आदि प्रभावित हुए हैं। दूसरी तहसील शुकावाद में मलापुर, उमरी, सिरसा, बिरई, बलीपुर, चन्द्ररई, इकरई, शहरनाइन, बछेलाबछेली, उखांड, सुनवीपुर आदि प्रभावग्रस्त हैं। और जसराना में भी कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। जहां कोई भी अन्न का दाना नहीं बचा है। जहां से आठ-आठ नदियां गुजरती हों वहां जो यह सहायता दी गयी है वह न के बराबर है। जिस जिले में सारी तहसीलें प्रभावित हों और खास तौर से जहां जसराना, शिकोहाबाद और करहल तहसील प्रभावित हैं वहां यह सहायता बहुत ही कम है। तो कम से कम जिला मैनपुरी के लिए दो लाख रुपया तकावी के रूप में ही बढ़ा दिया जाय।

श्री राम वचन (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इस साल बाढ़ ही नहीं है बल्कि जबसे यह सरकार बनी है तभी से दैवी प्रकोप है। अप्रैल से बारिश शुरू हुई जो कभी नहीं होती है, जो फसल रबी की अच्छी पैदा हुई थी वह भी सब सड़ गयी और भूसा भी सड़ गया। पशुओं का चारा भी गया और मनुष्यों का भी गया . . .।

एक सदस्य—

ऐसी पैदावार कभी नहीं हुई थी, कुछ जानकारी भी है आप को।

श्री राम वचन—

क्या हालत है यह तो आप देख ही रहे हैं। आपका तो वही हाल है जैसे कोई अन्धे की तरह रह रहा हो। तो मनुष्य से ज्यादा तकलीफ तो पशुओं को हो रही है। भूसा मिलना कठिन हो गया।

श्रीमन्, हमारे आजमगढ़ जिले में दो बड़ी नदियां और 18 छोटी-छोटी नदियां हैं और 15–20 तालाब हैं। जब नदियों में बाढ़ आती है तो तालाबों में भी बाढ़ आ जाती है और सारी फसल डूब जाती है। हमारे जिले में रबी की आधी फसल को बाढ़ से नुकसान हुआ है। सड़ा हुआ, भीगा हुआ गल्ला इंसान के लिए तो मिल रहा है लेकिन पशुओं को भूसे की बड़ी

[श्री राम वचन]

कठिनाई है। वहां करीब बीस नदियां हैं। उनके नाम मैंने दफा 52 की नोटिस में दिये थे, कुछ नाम छापे गये हैं। तो यह हालत है हमारे जिले आजमगढ़ की। और मदद बहुत कम दी गयी है। हमसे जो एरिया में छोटे जिले हैं उनको ज्यादा रुपया दिया गया है। गाजीपुर बलिया से दुगना हमारा आजमगढ़ है। तो जो सहायता दी गयी है वह उसी तरह से है जिस तरह से ऊंट के मुह में जीरा। करीब 28 लाख की आबादी का जिला है। उस हिसाब से मदद बहुत ही कम है। मंत्री जी ने लगान और तकावी तो मुल्तवी की है। जब इस सिद्धान्त पर कि किसान के पास पैसा नहीं है, लगान और तकावी मुल्तवी की है तो उसी तरह से चकबन्दी की वसूली, सिंचाई की वसूली, मेड़ बन्दी की वसूली भी तो मुल्तवी करनी चाहिये। आप कहते हैं कि खाली हम तकावी तथा लगान की वसूली मुल्तवी करेंगे और मेड़बन्दी और चकबन्दी की वसूली मुल्तवी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? किसान को तरह-तरह की परेशानियां हो रही हैं। मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी वसूलयाबी है उसको अगली फसल होने तक मुल्तवी करनी चाहिये। चाहे धान की ही फसल क्यों न हो, वसूलयाबी अगली फसल तक मुल्तवी कर देनी चाहिए। इस साल आप जानते हैं कि सारा गल्ला भीगकर काफी खराब हो गया है, इसलिए बीज का इन्तजाम होना चाहिए पहले से, नहीं तो किसान को फसल के बोने में कठिनाई होगी। चैत के महीने में किसान जो गल्ला बोयेगा वह नहीं जमेगा। इसलिए बीज का पहले से इन्तजाम होना चाहिए। हमारे यहां फूलपुर तहसील से टोन्स, मझुई, कुंवर, मगई बेसो, गानी, पिकिया, तथा छोटी सरयू नदियां बहती हैं। इस तरह से वहां पर काफी नुकसान हुआ है। इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मुझे भी समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी बड़ी मुश्किल है····।

श्री हबीब अहमद—

अच्छा, इनके बाद दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके बाद मैं नहीं कह सकता—वैसे मैं आप को समय देना चाहूंगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, बाढ़ के विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है जब इस सदन में बाढ़ के संबंध में चर्चा न होती हो और राजस्व मंत्री जी की तरफ से हम लोगों के सामने रिपोर्ट न पेश की जाती हो तथा हम अपनी-अपनी बातें यहां कह कर असन्तुष्ट न लौट जाते हो। मैं यह चाहता हूं कि बाढ़ की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए फ्लड कंट्रोल बोर्ड जो कि इस प्रदेश में बना हुआ है वह निर्जीव है, संज्ञाहीन है तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण भावनाओं से पूर्ण है। उसका पुनर्गठन किया जाय और ऐसा प्रयत्न किया जाये ताकि उसमें जीवन आ जाये। इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक फ्लड कंट्रोल कमीशन बनना चाहिए जो प्रत्येक जिले में दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाओं के ऊपर विचार करें। बाढ़ तथा वाटर लागिंग की समस्याएं हैं। इनको समाप्त करने के लिए निश्चित योजना बननी चाहिए और उनका इस प्रदेश में शीघ्र कार्यान्वयन होना चाहिए। जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गयी है मैं उससे किसी प्रकार भी सहमत नहीं हूं। राजस्व मंत्री स्वयं उन्नाव गये थे और उन्होंने वहां जाकर बाढ़ की विभीषिका का निरीक्षण किया था। मुझे विश्वास है कि राजस्व मंत्री जी भी स्वयं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं होंगे। इस रिपोर्ट में यह दिखलाया गया है कि वहां पर जो गांव थे उनमें कोई कठिनाई नहीं थी और न ही कोई दिक्कत थी। मान्यवर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि

उन्नाव जिला हर वर्ष बाढ़ से तबाह और बर्बाद होता है। उन्नाव जिले की सफीपुर, उन्नाव तथा पुरवा तहसीलें गंगा नदी से प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त लोनी, मौराही तथा कल्यानी नदियां पूरे जिले में बहती हैं और वहां पर कठिनाई उत्पन्न करती हैं। रिपोर्ट के आंकड़े देखकर मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर कोई सहायता कार्य नहीं किया गया है और न किसी तरह की कोई राहत ही पहुंचायी गयी है। आपने कहा कि 25,000 रुपये तथा 20,000 रुपये सहायता के लिए प्रदान किये गये हैं। तकावी के लिये मैं नहीं समझ पाया कि वहां क्यों नहीं दी गई है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन जिलों के जिलाधीशों ने अपने यहां तकावी के लिये रुपया नहीं मांगा है उनसे जवाब तलब किया जाय कि क्या वहां के किसानों को कठिनाई नहीं है, बाढ़ से पीड़ित लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि जिलाधीशों ने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है। वह उन कठिनाइयों को अपने यहां नहीं लाना चाहते हैं जो कि तकावी बांटने के कारण उठानी पड़ती हैं। इसीलिये उन्नाव जिले में तकावी का रुपया नहीं मांगा गया है और अगर मांगा गया है तो शासन ने नहीं भेजा है क्योंकि इस रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। मेरे जिले की प्रमुख समस्या वाटर लागिंग की है। इसके कारण पिछले साल शत प्रतिशत मकान गिर गये थे। इस साल भी 25, 30 प्रतिशत मकान गिर गये हैं। पिछले बार जो रुपया वहां के लिये गया था उसमें 2 लाख 52 हजार रुपया नहीं बांटा गया और वह वापस राजनैतिक कारणों से हो गया था। वह एक महीने से फिर रुपया गया है लेकिन उसका वितरण नहीं हो रहा है। राजस्व मंत्री जी कृपया जिलाधीश को आदेश दें कि वह रुपया उस लिस्ट वालों को बांटे जिनको कि रुपया नहीं बांटा गया था। इसी के साथ-साथ वहां की जो दूसरी कमियां हैं उनको भी शीघ्रताशीघ्र दूर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी, बोलने वालों की संख्या अधिक है तो 14 तारीख को एक आध घंटा इसके लिये दे दें तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

आपकी बात कह रहा हूं। अगर एक घंटे ही अभी और चलावेंगे तो लोगों को सन्तोष नहीं होगा, इसलिये 14 को भी एक घंटा या दो घंटा समय दे दिया जाय। आप की क्या राय है?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि एक घंटा या दो घंटा से काम नहीं चलेगा। दो सप्ताह तक सदस्यों को अपने क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा और माननीय मंत्री जी भी पूर्ण जानकारी कर लेंगे। तो 14 से 21 तक असेम्बली चल रही है उसमें एक दिन दे दिया जाय, इससे सभी लोग अपनी बात कह लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कठिनाई यह पड़ेगी कि जो लोग बोल चुके हैं वह भी बोलना चाहेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

ऐसा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उनको समय नहीं दिया जायगा तो दूसरों को समय मिल सकेगा, आप की क्या राय है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे कोई एतराज नहीं है जो भी माननीय सदस्य बाढ़ पर बोलना चाहें बोल लें लेकिन ऐसा है कि एक रोज बोल चुके, आज दो घंटा बोलना है, ऐसे तो 4 दिन, 8 दिन लोग बोल सकते हैं।

अनेक सदस्य—

एक दिन मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

14 तारीख को विद्युत् परिषद् की रिपोर्ट पर बहस होने वाली है।

श्री कृष्णानन्द राय—

14 से आगे एक दिन दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अब चिन्ता करने की बात नहीं है।

श्री रामबचन यादव—

जो पहले बोल चुके हैं उनको भी आपने अवसर दिया है। ऐसे पचासों लोग हैं। मैंने नियम 51 में लिखा है परन्तु आज भी नहीं बोल पा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि आप की बात किसी एक दो केस में सही हो। लेकिन मैं सतर्क रहता हूं।

श्री राम बचन यादव—

शुरू से आज तक हमें बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

जिसके ऊपर नजर पड़ेगी उसको समय दूंगा। प्रश्न यह कि आपको भी समय मिलना चाहिए। आप जो यह उठा रहे हैं कि जो बोल चुके हैं वे दुबारा बोल रहे हैं यह सही नहीं है। श्री कल्पनाथ सिंह, श्री निर्भय नारायण सिंह, श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री शिवकुमार पांडेय, श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री प्रियदर्शी जेटली, श्री बांकेलाल, श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री इन्द्रजीत, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री हरि प्रसाद शाही, श्री चन्द्रपाल आजाद, श्री महरम सिंह, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री सर्वमुख सिंह, श्री सजीवन लाल में से आज कौन बोला ?

श्री रामवचन यादव—

माननीय रामकुंवर सिंह जी का नाम देखें।

श्री उपाध्यक्ष—

12, 13 जुलाई की बात कह रहे हैं तो उसको देख लेंगे।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बतलाना चाहता हूं कि बांकेलाल जो दो बार बोल चुके हैं और भी दूसरे जिले के लोग दो-दो तीन-तीन बार बोल चुके हैं लेकिन मिर्जापुर जिले का एक भी आदमी नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस दिन बांके लाल जी बोले थे और आज रूपनाथ सिंह जी बोल चुके हैं।

श्री शिवदास—

आप मिर्जापुर जिले के एक भी आदमी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दल के नाम आये उसमें आपका नहीं था। श्री जयराम यादव नम्बर एक पर और श्री बांके लाल नम्बर दो पर आये थे।

श्री शिवदास—

किसने रखा था।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से मैं आप को समय नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री सन्तूराम (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्लाक हैसरबाजार, जिला बस्ती पिछड़ा क्षेत्र है। घाघरा और कुआनो के बीच में जो दुआबा है वहां कोई भी यातायात का साधन नहीं है। वहां का क्षेत्र इतना जलमग्न हो चुका है कि कितने ही आदमी मर गये और कितने ही आदमियों को कीड़ों ने काट लिया। अखबार में हमने देखा कि बस्ती जिले के लिए गल्ला भेजा जा रहा है। मैंने 28 तारीख को अपने क्षेत्र में जांच की तो मालूम हुआ कि वहां कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। न बी० डी० ओ०, न ए० डी० ओ०, न कलक्टर, न तहसीलदार न दरोगा कोई नहीं पहुंचा। कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा रामपुर बंधा छपरा डांडी तक श्रमदान से भरवाया। सरकार को उसकी सूचना दी गयी। कलक्टर, बी० डी० ओ०, तहसीलदार ने सूचना दी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वह इतना पिछड़ा इलाका है कि कोई साधन यातायात का नहीं है। वहां न बिजली का साधन है, न सिंचाई का साधन है। आवागमन का साधन न होने से लोग परेशान हैं। आपके द्वारा मैं सार्वजकि निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिये वह वहां उचित प्रबन्ध करें। छपरा में अगर कोई प्राइवेट नलकूप लगाना चाहता है तो उसे बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। न कोई सड़क है। सारा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। दुआबा के किनारे के सैकड़ों गांव कट गये हैं। रबी की सारी फसल सड़ गयी है। 7 महीने से बराबर पानी बरस रहा है। गरीब मजदूर अन्न के लिये आज तड़प रहा है। चारे के बिना भी बड़ी परेशानी पैदा हो गयी है। सरकार हमारे क्षेत्र की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार समाजवाद का नारा तो लगाती है, मगर गरीबों की ओर कतई ध्यान नहीं देती। कोई कर्मचारी आज वहां की देखभाल के लिये नहीं जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार हमारे यहां की ओर विशेष ध्यान दे।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं आपकी इजाजत से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कल बहस के दौरान कुछ मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें कही गयीं। अब तो सदन 14 तारीख को बैठेगा। मैं 5 मिनट का समय चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो माननीय राजस्व मंत्री केवल स्पष्टीकरण दे रहें हैं, बहस का उत्तर नहीं दे रहें हैं। (व्यवधान) बाढ़ पर तो अभी चर्चा चलेगी, 14 या 15 को या जिस दिन सुविधाजनक होगा फिर चर्चा होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय माल मंत्री जब स्वयं जाकर देखेंगे तो उनको सही जानकारी हो जायेंगी और तब वे कुछ इन्तजाम कर सकेंगे, इसके पीछे यही भावना है। इसलिये बाद में ही जवाब दें बहस का.....

श्री उपाध्यक्ष--

वे बहस का जवाब नहीं दे रहें हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं बहस का उत्तर देने नहीं खड़ा हुआ हूं।.....

श्री शिवदास--

मुझे एक प्रश्न करने की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

बाढ़ पर अब बहस समाप्त हो गयी है। अब तो माननीय राजस्व मंत्री जी केवल अपना एक स्पष्टीकरण दे रहें हैं । (व्यवधान)

(राजस्व मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मैंने आप से निवेदन किया था मैं बाढ़ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....।

श्री उपाध्यक्ष--

यह विषय खत्म हुआ। अब आप बाढ़ की बाढ़ में न पड़े। यह 14 या 15 को फिर लिया जाएगा। एक दूसरा सवाल इस समय है जिस पर राजस्व मंत्री जी खड़े हुये हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

उपाध्यक्ष जी, कल बाढ़ की चर्चा होते हुये माननीय विश्वनाथ कपूर जी ने और उसके पहले माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने मेरा ध्यान एक अखबार में निकली हुई खबर की तरफ, खींचा था। विश्वनाथ कपूर जी ने यह कहा था कि शायद बाढ़ की तरफ मंत्री जी ज्यादा ध्यान इसलिये नहीं दे सके कि मैं चिंतित रहा इस बात से कि मेरे खिलाफ कोई दस्तखतों का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सत्ता का दुरुयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं । मान्यवर, यह भी कहा गया कि आज और कल मैं खामोश रहा, या मैं कुछ बोला नहीं। मान्यवर, ऐसा नहीं मैं यहां पर मौजूद था और मौजूद रहने के बावजूद मैंने यह बात नहीं कही, वह इसलिये कि हमें अभी खामोश रहना चाहिये। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि कोई भी जरा सी बात माननीय सदस्यों से छिपी रहे। कल जो बात उन्होंने कही, तो उसका जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता था, जब तक मुख्य मंत्री से वस्तविकता न मालूम कर लूं। आज स्वयं मुख्य मंत्री जी ने बताया कि स्वयं मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब मुख्य मंत्री को पता नहीं है तो उसका हमें कैसे ज्ञान होता। मैं खड़े होकर कोई अनर्गल बात करता तो वह मेरे लिये अनुचित बात होती। मेरे लिये लाजमी था कि मैं मुख्य मंत्री जी से पूछता कि क्या कोई ऐसी बात है। मैंने सोचा था कि आज शाम को जब बाढ़ की चर्चा का जवाब दूंगा तो इस बात का भी जवाब साथ में दे दूंगा। तो आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कुछ तकलीफ इस बात की हुई कि त्रिपाठी और कपूर जी ने, जो बातें अखबार में निकली या कुछ लोगों ने इसके पर्चे बांटें, उनको सही मानकर इस सदन में कोई बात कही जिसका असर आम जनता पर यह पड़ सकता है कि वह सोचे कि मालूम पड़ता है कि ये बातें सही हैं। ऐसी बातें न तो मेरे प्रति न्याय है, न आप के प्रति और न इस सदन के प्रति ही न्याय है। जिस परम्परा में, प्रजातन्त्र व्वयस्था में हम काम कर रहें हैं, उसके प्रति भी यह न्याय नहीं है। कुछ लोग जो अच्छा काम करते हैं, उनको कुछ दुष्ट लोग जूते लगवा देते हैं, दो डंडे लगवा देते हैं। यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में यह चलता है, इस प्रकार के

हथकंडे अपनाए जाते हैं कि जिससे कोई गलत काम कराना हो और वह उसे न करें, तो उसे तरह-तरह से बदनाम किया जाए, उसके खिलाफ असत्य अभियान छेड़ दिया जाए। अखबार में छपवा देना और पर्चे छाप देने से आसान कोई बात दुनियां में नहीं है। मेरा भी 40–50 वर्षों का राजनीतिक जीवन है। इस तरफ के ही नहीं उस तरफ के भी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और उधर के लोग तो इनसे भी अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। उसके नाते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं चाहता तो यह था कि कोई मित्र यह कहें कि उदित नारायण जी मैंने इन बातों की जांच कर ली है, आप इसका जवाब दीजिए, हमें यह बात सही मालूम पड़ती है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो कह दें वह तो हमें मान्य है ही, लेकिन माधव प्रसाद त्रिपाठी, अनन्तराम जायसवाल, कृष्णानन्द राय जी, पान्डेय जी या कल्पनाथ जी कोई भी माननीन सदस्य, जो फ्रन्ट बेंचेज पर बैठते हैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं, अकेले में बैठकर, यहां नहीं अगर कह दें कि—"मैं समझता हूं आपने यह गलती की है," तो उस दिन मैं सिर झुकाकर यहां से चला जाउंगा। लेकिन आप लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह से हमारा राजनीतिक जीवन कितना दूषित होता जा रहा है। मैं समझता हूं जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी इस बात की है। इस राजनीति के अन्दर आज मेरे साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है। कुछ लोग ऐसे उपायों का अवलम्बन करके कुछ लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी शक्ल दुरुस्त नहीं बना सकते, दूसरे की शक्ल बिगाड़ कर जिन्दा रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए इसमें दलगत राजनीति नहीं आनी चाहिये। हां अगर मैं कसूरवार हूं तो मैं आपका दोस्त हूं, मैं नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं इंसान हूं, मैं राजनीतिक जीवन में हूं, समाज सेवी अपने को कहता हूं, इस सदन में बैठता हूं, आपमें से हर एक को अधिकार है कि मेरे विचारों, मेरी मान्यताओं, जो कुछ मैं करता हूं, इन सब की आलोचना करें, तीखी नजर से देखें। लेकिन मुझे संतोष होता अगर किसी ने बुलाकर पूछा होता कि क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं, इस बारे में। तो मैं समझता कि वास्तव में इस बात का दर्द है। इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिये और अगर होती हैं तो रोकना चाहिये। रोज की बात है। सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। थोड़ा सा वह भी कृपा करके सोचने का कष्ट करें। अखबार में मेरे खिलाफ सही या आपके खिलाफ मैंने पढ़ लिया, मैं उसको इस तरह का मामला न बनाऊं जिसमें आप यह समझें कि बाहर जाकर कुछ थोड़ी सी खराबी तो हो ही जायगी। कुछ नहीं होगा तो यह होगा कि पार्टी में ऐसे लोग हैं ही, अगर वह बात सही है तो किसी को माफ करने का प्रश्न नहीं है। उसके बाद उसको यहां पर बैठने का प्रश्न नहीं है, चाहे वह चाहें या न चाहें। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी परम्परा यहां पर बन्द हो जाय तो अच्छा है। यह तो कोई कहता नहीं, हमको इस बात की जानकारी हासिल है कि यह बात सही है। केवल यह कहकर कि आपके खिलाफ यह बात अखबार में निकली, उसका मंतव्य एक ही है, वह चाहते हैं बाहर इन बातों को लोग पढ़ेंगे तो इनकी बदनामी होगी, इन दलों की बदनामी होगी, इनकी सरकार की प्रतिष्ठा घटेगी, इनके मुख्य मंत्री की प्रतिष्ठा घटेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सब मित्रों से, मेरे साथ जो हैं, माननीय मुख्य मंत्री हैं, यहां वह हैं, अध्यक्ष हैं, पार्टी की, यह दूसरी बात है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मंत्री जी से किसी को असंतोष हो तो सदन में असंतोष न व्यक्त करे तो कहां करे?

श्री उदितनारायण शर्मा—

असंतोष व्यक्त न करने के लिये मैंने नहीं कहा। असंतोष पूरी तरह व्यक्त कीजिये। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। वह समझने की कोशिश करें। इसलिये मैं कहना चाहता कि अगर इस तरह की परम्परा न चलायें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

स्पष्टीकरण कर दूं। माननीय शर्मा जी ने मेरा नाम लिया बात सही है कि कल मैंने कहा, पंडित जी जागरण में आपके नाम कुछ निकला है, कहीं नाम में तो भ्रम नहीं हो गया है, आप देख

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लीजिये। उस वक्त मेरे मन में वह बात नहीं थी। आज मैंने अखबार में पढ़ा जिसको मैंने संभाल कर अपनी दरख्वास्त में लिखा। उन्हीं के दल के कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे आकर कहा जो चीज वहां पत्र में चली गयी उसके बारे में केवल इतना लिखा कि पंडित जी के खिलाफ दरख्वास्त पड़ी है मुख्य मंत्री जी को दरख्वास्त दी है। पंडित जी के खिलाफ उसमें क्या आरोप हैं उसमें यह बिलकुल जिक्र नहीं है। यह पंडित जी के हित में है कि जो चीज अखबार में चली गयी, जो गुनगुनाहट चल रही है, पंडित जी को स्पष्टीकरण करने का मौका मिल जाय, तो मुझे उन्हें अपना शुभचिन्तक मानना चाहिये। एक भी दोषारोपण दरख्वास्त में नहीं किया। उनके हित में किया, मंत्रियों के हित में किया, कि जो चीज अखबार में चली गयी वह स्पष्ट हो जाय। उनसे पूछने का अवसर ही नहीं आया। मैं राज्य मंत्री के बारे में कुछ कहने वाला था, माल मंत्री कहां आ गये। आप मुझे गलत न समझें। आरोप उसमें एक शब्द नही है। आप पर दोषारोपण का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं विरोधी पक्ष में हूं। वाच डाग का काम करता हूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। हां व्यर्थ की छींटाकशी करने में मैं विश्वास नहीं करता। किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं होना चाहिये जब तक कोई कागजी प्रमाण न मिल जाय जो मेरी दृष्टि में सही हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, शर्मा जी ने मेरा नाम लिया और यह कहा ....

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने उदाहरण के लिये आपका नाम लिया। उन्होंने यह कहा--माननीय सदस्य जी जो ऊपर बैठे हैं जैसे श्री कृष्णानन्द राय और आप। अब इस पर बहस नही हो सकती।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप सुन तो लें। उन्होंने कहा कि कृष्णानन्द राय, मैं अथवा विरोधी पक्ष का कोई जिम्मेदार सदस्य कोई आरोप उन पर लगा दे तो वह हट जायंगे। मैं यह कहूंगा कि इस सदन में विरोधी पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझता है और यह भी जानता है कि किस प्रश्न को कैसे उठाया जायगा। हमको किसी सदस्य अथवा मंत्री के खिलाफ कुछ कहना है तो उसके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव ला सकते हैं। सरकार के खिलाफ तो अविश्वास का प्रस्ताव भी ला सकते हैं और उस निन्दा अथवा अविश्वास के प्रस्ताव का तब अर्थ भी हो जावेगा जब हम मेजारिटी में होंगे और तब वह अपने आप हट जायेंगे। अब जहां तक आरोप की बात है हमने कोई आरोप नहीं लगाया। आपके दल के ही माननीय सदस्यों ने ही लगाया, यह चीज विशेष ध्यान देने की है। एक चीज जो आपने कही जिससे यह आभास निकलता है कुछ माननीय सदस्य दबाव डाल कर कुछ अनुचित काम करवाना चाहते हैं यानी ब्लैक मेलिंग करना चाहते हैं। तो यह एक सीरियस चीज है। मैं कहूंगा कि अगर आप जनतंत्र में अच्छी परम्परा डालना चाहते हैं तो इसे आप को रोकना चाहिये, ऐसे सदस्यों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 51 में कुछ सूचनायें तथा नियम 56 की एक सूचना मेरे पास आई थी जिसे कर दिया गया है। माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न पूछ लें ताकि अस्वीकृत 14 तारीख तक उनका उत्तर आ जायगा। यह माननीय सदस्यों के हित में ही है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मैंने तो काम रोको प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

काम रोको प्रस्ताव का सवाल नहीं है इस समय। जो भी काम है वह आपका स्वयं का ही काम है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक सवाल दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बताया कि आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें। 14 तक उनका उत्तर आ जायगा।

गोरखपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र श्यामा डेरवा में बंजारों द्वारा अवैधानिक कार्य किए जाने के सम्बंध में नियोजन राज्यमंत्री का वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जिला गोरखपुर के ग्राम बरूआ उर्फ सियरहीभार में 5-6 वर्ष पूर्व कुछ बंजारे आकर बसे थे। दो वर्ष पूर्व इन बंजारों में से कुछ ग्राम तरकुलवा उर्फ भाटगांवां में तथा कुछ ग्राम लक्ष्मीपुर में बस गए। यह बंजारे पहले जानवर खरीदने व बेंचने का काम करते थे। परन्तु इधर कुछ समय से वे जानवरों और गाड़ियों की चोरी और डकैती आदि भी करने लगे। ग्राम लक्ष्मीपुर की जनता ने तंग आकर अपने ग्राम से बंजारों को भगा दिया। वे बंजारे भी तरकुलवा में जाकर बस गये। अब बंजारे केवल ग्राम सियरहीभार व तरकुलवा में हैं, ग्राम गोपाला व महादेवा में कभी भी बंजारे नहीं रहे। बंजारों के विरुद्ध अभी तक किसी की बहू बेटियों की इज्जत लूटने की शिकायत प्रकाश में नहीं आई।

ग्राम मलमलिया उर्फ सिरसिया निवासी बंशराज अपनी पत्नी लचिया तथा सुलेमान नामक व्यक्ति के साथ 3–4 वर्ष पूर्व नैपाल राज्य में मजदूरी करने चला गया था। बाद में बंशराज अपनी पत्नी लचिया को वहीं छोड़कर वापस आ गया। तब लचिया ने सुलेमान से स्वेच्छा से शादी की और वहीं रहने लगी। ग्राम मलमलिया की किसी हिन्दू लड़की का दो माह पूर्व निकाह पढ़ा लिए जाने की कोई सूचना न तो पुलिस को प्राप्त हुई और न ऐसी कोई घटना हुई प्रतीत होती है। उपरोक्त घटना से किसी बंजारे का सम्बन्ध नहीं है।

यह सही है कि ग्राम सिरसिया के अल्प संख्यकों ने ग्राम समाज की बंजर भूमि में ईदगाह बनाने का प्रयास किया था, परन्तु इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तहसीलदार को एक रिपोर्ट जमीन की नाप सम्बन्धी कार्यवाही के लिए भेजी और वह जमीन धारा 145 जाब्ता-फौजदारी के अन्तर्गत हाकिम परगना महाराजगंज के आदेश से 26/8/71 को कुर्क कर ली गई है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर ग्राम के उप सभापति के भतीजे शौकत ने 1118/71 को धान रोपा था। कान्स्टबिल मुहम्मद अली के विरुद्ध यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि उसने धान बैठाने के लिये किसी से कहा। स्थिति पर नजर रक्खी जा रही है, शान्ति भंग होने की अब कोई आशंका नहीं है।

ग्राम भुवना के राम दुलारे लोहार की मृत्यु के बाद उसकी जायदाद के सम्बन्ध में उसके चचेरे भाई श्याम देव ने, उसकी स्त्री फूलमती से मुकदमेंबाजी की किन्तु जायदाद फूलमती को ही मिली। श्यामदेव चाहता था कि फूलमती उसके छोटे भाई के घर बैठ जाय जिससे जायदाद किसी अन्य को न मिले। इसलिये उसने फूलमती पर दबाव डाला। फूलमती कुछ दिनों के लिये दूसरे गांव चली गई। गांव के इदरीस नामक व्यक्ति ने फूलमती को मुकदमें में सहायता दी थी अतः फूलमती के गांव से चले जाने के बाद श्यामदेव ने इदरीस के

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

विरुद्ध दिनांक 13–8–71 को धारा 498 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखा दी जब कि 13–8–71 को ही फूलमती अपने घर वापस आ गई और वहीं रह रही है। उसे भगायें जाने की बात सही नहीं पाई गई। इदरीस बंजारा नहीं है।

दिनांक 10–8–71 को श्यामदेवरवा के थानाध्यक्ष कुछ पुलिस फोर्स के साथ कुछ बंजारों की, जिनकी मुकदमें में तलाश थी, गिरफ्तारी हेतु गये थे। अभियुक्त बंजारे पुलिस की आयद की सूचना पाकर भाग गये थे उनके घरों में तलाशी ली गई। इसके बाद 15/16 बंजारों ने पुलिस से मजाहमत की। बंजारों व पुलिस दल में हुई मुठभेड़ में थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस जनों को चोटें आईं। भागते समय बंजारे थानाध्यक्ष का रिवाल्वर भी छीन कर ले गए। इस घटना के सम्बन्ध में थाना श्याम देवरवा पर धारा 395/307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 3 ने न्यायालय में आत्समर्पण किया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 87/88 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है जांच जारी है।

बंजारों की गिरफ्तारी के लिए चलते समय थानाध्यक्ष ने कान्स्टेबिल मोहम्मद अली को ग्राम महादेवा के प्रधान आदि को लेकर घेरा डालने के लिये भेजा था। यद्यपि कान्स्टेबिल द्वारा बंजारों को पुलिस के आने की पूर्व सूचना दिये जाने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला परन्तु इस बारे में उसका आचरण संदिग्ध पाया गया है और इसलिये उसे निलम्बित कर दिया गया और उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

यह सही प्रतीत होता है कि बंजारों को जो चोरी आदि करने लगे हैं उनके गांव के कुछ लोगों का प्रश्रय प्राप्त था और इस सम्बन्ध में प्रमाण एकत्रित किये जा रहे हैं। सियरही भार, तरकुंलवा, गोपाला, महादेवा व लक्ष्मीपुर के सरदार लोग बजारों का चोरी का माल रखते थे इसका कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह थानेदार सस्पेंड थे तो इनको इंचार्ज बनाने की क्या क्षमता रही ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुअत्तल तो बाद में हुये....

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वे पहले मुअत्तल थें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब 10–8–71 को थानाध्यक्ष फोर्स क साथ बंजारों की तलाश और गिरफ्तार करने के लिये गये तो उस समय उनके साथ कितने सिपाही गये और वे कितने कौन-कौन से हथियार ले गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ब्योरे की बात है...

श्री कल्पनाथ सिंह—

नहीं, श्रीमन् आप सुन लें। पृष्ठ 2 पर आइटम नं० 5 में मंत्री जी ने अपने बयान में स्वयं लिखा है कि थानाध्यक्ष कुछ पुलिस फोर्स के साथ कुछ बंजारों की गिरफ्तारी हेतु गये थे। इसका मतलब है कि थानाध्यक्ष और पुलिस फोर्स दोनों वहां गये। वह पुलिस फोर्स कितने की थी और हथियार उसके साथ कितने थे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जो मेरे पास सूचना है वह बताता हूं कि एक एस० ओ० गये थे, एक एस० आई०, एक हेड कांस्टेबिल, 7 कांस्टेबिल, 3 विलेज चौकीदार थे और 4 आर्म्ड गार्ड के सिपाही थे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह भी बता दीजिये कि हथियार कितने गये थे आर्म्ड गार्ड के साथ? हथियार बन्द थे या नहीं थे?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

एस० ओ० के पास रिवाल्वर था, एस० आई० के पास 12 बोर की गन थी। हैड कांस्टिबिल के पास एक गन थी और 7 कांस्टिबिलों में से एक के पास एक बन्दूक थी, और कोई डिटेल्ड सूचना नहीं है।

श्री महातम प्रसाद तिवारी---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक थानेदार गया था जिसकी गोली से मुल्जिम को छर्रा लगा, तो क्या वह मौके पर नहीं था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

मैंने तो बतलाया कि एक एस० ओ० और एक एस० आई० गये थे ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

दूसरा सवाल, जितने लोग वहां गये थे उनमें से कौन-कौन आदमी मोअत्तिल कर दिये गये हैं, और कौन-कौन नहीं किये गये हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि किसको मोअत्तिल किया गया है। एक कांस्टिबिल को मोअत्तिल किया है---मोहम्मद अली कांस्टेबिल को।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

10-8 को पुलिस और बंजारों में मजाहमत हुई और थानाध्यक्ष वही है, वह एक पुलिस कांस्टेबिल को घेरा डालने के लिए भेज रहे हैं और कहा जाता है कि गांव प्रधान को लेकर घेरा डालें जबकि थानेदार भी पीटा गया, पुलिस भी पीट दी गयी, तो एक कांस्टेबिल को क्यों भेजा गया, और पुलिस फोर्स जाना चाहिये था?

श्री उपाध्यक्ष---

आप ही मंत्री होते तो क्या उत्तर देते? अगर एक काफी समझा गया तो भेजा गया, आप बैठ कर सोच लीजिये तब प्रश्न कीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या उप-गृहमंत्री ने थानेदार को कोई इनाम दिया है? अगर दिया है तो किस हैसियत से दिया है और वह कितने रुपये का था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इसकी सूचना कि उपमंत्री ने कोई इनाम दिया है, नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

पुलिस दारोगा का रिवाल्वर बंजारों ने छीन लिया तो कावरडिस में उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? वह तो नालायक था, रिवाल्वर तो अपनी हिफाजत के लिये मिला था? सस्पेंड न करके इनाम दिया है।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

मान्यवर, जहां यह मजाहमत हुई उसके चोटें आई और उसका रिवाल्वर छीन लिया गया। माननीय सदस्य ने जो विचार रखा है उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पांच गांवों के बंजारे इसमें शामिल हैं और वगैरा जैसे काम करते हैं और बंजारों ने थानेदार का रिवाल्वर भी छीन लिया और मारा तो सबको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, एक अ।ध को गिरफ्तार किया और वहां जो गांव में मुहम्मद तकी रहते हैं वह इन बंजारों का सामान वगैरा लेते हैं?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है उनके बारे में शिकायत अवश्य है लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे सबके खिलाफ कार्यवाही की जाती। जिन्होंने मजाहमत की है उनमें से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है शेष के विरुद्ध 87/88 जा० फा० में गिरफ्तार हो चुका है और अदालत में कार्यवाही की जा रही है। किसी के साथ रियायत नहीं की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, एक सवाल पूछ लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं।

प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रवेष के लिये प्रि-मेडिकल टेस्ट में हुई कथित धांधली व हस्तक्षेप तथा सफल उम्मीदवारों को मरिट के हिसाब से उनकी पसंद का कालेज एलाट न किये जाने आदि के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

प्रदेश के आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ तथा झांसी के राजकीय मेडिकल कालेजों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम० बी० बी० एस० कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 732 छात्र योग्यता के आधार पर छांटने के लिये एक कम्बाइन्ड प्री० मेडिकल परीक्षा इस वर्ष मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा 23 जून से 26 जून तक सम्पादित करवाई गई थी। जिस समय इस परीक्षा की सूचना प्रकाशित हुई थी उस समय उक्त सीटों में से 146 सीटें लड़कियों के लिये, 112 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये, 23 सीटें पहाड़ी क्षेत्रों के छात्रों के लिए, 23 सीटें उत्तराखण्ड के छात्रों के लिये तथा 23 सीटें अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये सुरक्षित थी और शेष 405 सीटें सामान्य सीटों के रूप में लड़कों के लिये उपलब्ध थीं। उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए सुरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये उक्त परीक्षा में कोई न्यूनतम अंक पाने की शर्त नहीं है, परन्तु अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए सुरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये परीक्षा के प्रत्येक विषय में 25 प्रतिशत अंक तथा योग में 30 प्रतिशत अंक पाने की, और अन्य सीटों पर प्रवेश के लिए प्रत्येक विषय में तो 25 प्रतिशत अंक तथा योग में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त है।

सीटों की संख्या में शासन के कहने पर परिवर्तन किया जा सकता है, यह बात परीक्षा के फार्म और उसके साथ छात्रों को उपलब्ध कराई गयी सामग्री में स्पष्ट कर दी गई थी। इधर कई वर्षों से यह मांग रही है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय। इसी बात को ध्यान में रखकर और सभी पहलुओं पर विचार करके परीक्षा की सूचना प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने 8 सीटें अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिये सुरक्षित कर दीं जो लगभग एक प्रतिशत हैं, तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दी जो लगभग 7 प्रतिशत है। देहाती क्षेत्र में आरक्षित सीटों में भी अनुसूचित जातियों के लिए 3 प्रतिशत सीटें बढ़ा दी गईं। इस तरह से अनुसूचित जातियां का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत कर दिया है। इन सीटों को बढ़ाने की बात परीक्षाफल घोषित करने से पहले सभी कालेजों को सूचित कर दिया गया था। ऐसा करने में छात्रों के लिये उपलब्ध 405 सामान्य सीटों को घटाकर 368 करना पड़ा। इस परिवर्तन के अतिरिक्त परीक्षा से सम्बन्धित आरम्भ में प्रकाशित किसी भी अन्य बात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीटें भरने के सम्बन्ध में सरकार ने यह प्रक्रिया बनाई है कि पहले सामान्य सीटें भरी जाती हैं और उनके भर जाने पर सुरक्षित सीटें भरी जाती हैं, तथा सुरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों में से जिनका नम्बर सामान्य सीटों पर आ जाता है उन्हें सुरक्षित सीट न देकर सामान्य सीट पर भर्ती किया जाता है। इससे यह अवश्य होता है कि सुरक्षित वर्गों के उन छात्रों में से कुछ को जो सामान्य सीटों पर भर्ती होते हैं, अपनी पहली या दूसरी पसन्द का वह मेडिकल कालेज नहीं मिल पाता है जो उन्हें यदि वे सुरक्षित सीटों पर भर्ती किये जाते तो मिल जाता, क्योंकि सामान्य छात्रों की योग्यता सूची में उनका स्थान ऐसा नहीं होता कि उन्हें उनकी पहली या दूसरी पसन्द का कालेज मिल सके। परन्तु यदि उनका स्थान सामान्य छात्रों की योग्यता सूची में भी इतना ऊंचा हो कि उनका नम्बर उनकी पहली या दूसरी पसन्द के कालेज में आ जाता है तो वह उसे अवश्य मिलता है। विभिन्न मेडिकल कालेजों में छात्रों का आंबटन इसी आधार पर किया गया है।

तेरह प्रतिशत या इतने कम अंक पाने वाला कोई भी छात्र प्रवेश के लिए नहीं चुना गया है, यद्यपि जो परिणाम घोषित हुआ था उसमें अनुसूचित जन जातियों के कुछ छात्रों को कम अंक प्राप्त हुए थे। उनका नाम उसमें इसलिये सम्मिलित था कि उनके लिये भी कोई न्यूनतम अंकों की शर्त नहीं रखी गयी थी। अनुसूचित जन जातियों का जो अंतिम छात्र भर्ती किये जाने के लिए चुना गया है उसके अंक लगभग 45 प्रतिशत हैं।

जहां सुरक्षित सीटें होती हैं वहां इस बात का होना तो अवश्यम्भावी है कि सुरक्षित वर्ग के कम अंक पाने वाले छात्र भी ले लिये जाते हैं और उनसे अधिक अंक पाने वाले सामान्य छात्रों का नम्बर उनके लिये उपलब्ध सीटों में नहीं आ पाता है।

इधर कुछ छात्रों ने एक कालेज से दूसरे कालेज में भर्ती के कुछ आवेदन-पत्र दिये हैं। साथ ही रिक्त सीटों पर भी अलग अलग प्रतीक्षा सूचियों में से कुछ अन्य छात्र लेने हैं। इस बात पर शासन द्वारा गठित कमेटी जिसमें मेडिकल कालेजों के अधिकांश प्रधान अध्यापक व स्वास्थ्य निदेशक हैं, इसी सप्ताह विचार कर लेंगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है सी०पी० एम०टी० की सूचना के प्रकाशित होने से लेकर सीटों के आबंटन आदि की सारी जिम्मेदारी, इस संबंध में बनायी गयी कमेटी की थी जिसमें सारी युनिवर्सिटियों के वाइस चान्सलर्स, डीन, तथा रजिस्ट्रार थे तथा मेरठ कालेज के प्रिन्सिपल थे?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

यह सही है कि एक कमेटी थी और उसको यह अधिकार दिया हुआ था लेकिन सरकार को भी यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह ठीक समझे तो किसी समय पर रिजर्व सीटों में परिवर्तन कर सकती है क्योंकि यह जो फार्म छपा हुआ था मेडिकल कालेजों की तरफ से, उसमें यह लिख दिया गया था—

"The Registrar, C.P.M.T. is authorised to make addition and alteration in the number and reservation of seats as and when desired by the State Government."

जब भी स्टेट गवर्नमेन्ट जरूरत महसूस करे वह रजिस्ट्रार को अथोराइज कर सकती है, उसमें जोड़ सकती है, आल्टेरेशन कर सकती है रिजर्व सीटों के अन्दर। इसलिए हमने यह जो सीटें बढ़ाईं या जो कुछ भी किया वह सब अपने अधिकारों और नियमों के अन्तर्गत ही किया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि सुरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि और परिवर्तन करने का जो शासन का अधिकार है उसके लिए कमेटी को आथोराइज नहीं किया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि कमेटी है लेकिन शासन को भी अधिकार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उन्होंने यह नोट पढ़ा है—

"The Registrar, C.P.M.T. is authorised to make addition and alteration in the number and reservation of seats as and when desired by the State Government."

यानी गवर्नमेन्ट की इच्छा पर है, वह करेगी। उसको न करके शासन ने खुद यह काम किया ऐसा क्यों हुआ, क्या मंत्रीजी इस पर प्रकाश डालेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शासन ने नहीं किया। यह उसी कमेटी ने किया। क्योंकि जब रिजल्ट निकाला गया तो उस समय जो प्रेस नोट रेलीज होना चाहिये था वह उस कमेटी के द्वारा किया गया और यह स्पष्ट लिख दिया गया था कि किस-किस तरह से सीटों का आवंटन होगा और कितने परसेंटेज किसका रिजर्वेशन है। इसमें लिखा है—

"The reserve shows about 30 per cent more names than the actual number of seats. The total number of seats is 72. The distribution of seats as officially notified by the State Government, dated July 1, 1971 is as under :

कर के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये, शेड्यूल्ड कास्टस के लिये और जो रिजर्व्ड सीट्स में परिवर्तन किया गया वह भी इस प्रेस रेलीज के साथ। श्री ज०एन० कपूर, चेयरमन, सी०पी०एम० टी०, मेरठ के द्वारा एनाउन्स किया गया न कि स्टेट गवर्नमेन्ट के द्वारा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

इस बात को देखते हुए कि रिजल्ट पहले आउट हुआ और बाद में स्टेट गवर्नमेन्ट ने एक आर्डर

निकाल कर रिजर्वेशन आफ सीट्स में आल्टरेशन्स कर दिये। तो उसमें एक कंडीशन दी हुई है, फार्म में 12 नम्बर पर—

"After the candidates have submitted their application forms no change with regard to classification of seats, e.g. General/Rural/Hill/ Uttarakhand and Scheduled Castes etc. will be permissible."

तो क्या उसके पहले कुछ फार्म प्राप्त हो गये हैं और अगर हो गये हैं तो क्या उनको सीट दी जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान में जो अपेक्षित है, जो देना चाहिये किसी को संरक्षण ....

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, रिजल्ट पहले आउट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर रिजर्वेशन के बारे में सरकार कोई आग्रह करे तो यह कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। आप फिर प्रश्न करें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

परीक्षा फल आउट होने के बाद और सरकारी आदेश जाने के बीच के पीरियड में जिन विद्यार्थियों ने यह समझा कि हम पास हो गये हैं और मेडिकल कालेज जा कर अपना फार्म दाखिल कर दिया उन विद्यार्थियों की जगह देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य को गलतफहमी है। परीक्षाफल घोषित होने के बाद राज्य सरकार ने कोई सीट का चेन्ज नहीं किया। यह तो पहले हुआ। क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी ने जो 4–5 अप्रैल को अखबारों में विज्ञप्ति निकाली कि परीक्षा 23, 24 और 25 जून को होगी तो राज्य सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये एक परसेंट सीट्स बढ़ाई वह जो फार्म्स दिये गये यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें यह मेन्शन कर दिया गया। रेजल्ट तो 8 अगस्त को निकाला गया था। तो सरकार की तरफ से जो घोषणा है जिसे मैंने पढ़ कर सुनाया, जो रेजल्ट निकाला गया, जो अखबारों में जाना चाहिए था, उसमें जो चेन्ज किया गया था उसको बता करके घोषित किया। इसलिए जनरल सीट में क्या होगा, रिजर्व्ड में क्या होगा, यह सबको स्पष्ट कर दिया गया था। जो 30 परसेन्ट ज्यादा नाम निकाले गये, जो हमारी सीट्स थीं उनके अलावा, यह तो स्पष्ट कर ही दिया था। लेकिन अखबार वालों ने अगर नहीं छापा है तो उसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने उनसे शिकायत की है कि उत्तराखण्ड के कोटा में कम से कम दो ऐसी छात्राएं हैं, एक मुकर्जी और दूसरी साहनी, जो उत्तराखण्ड की रहने वाली नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई जांच की और उसका क्या नतीजा निकला ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार के नोटिस में यह चीज आयी है और जो हमारी कमेटी है जो इन सब बातों पर विचार करेगी वह इस चीज को भी नोटिस में रखेगी और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि संरक्षण हरिजन छात्रों के लिये तो 10 प्रतिशत तक बढ़ाया लेकिन जनजातियों की संरक्षण 47 से ही मिलना चाहिये था उनको 67 में संरक्षण मिला तो क्या जनजातियों के लिये प्रतिशत बढ़ाने की कृपा करेंगी या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी तक तो ऐसा है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्व सीट बढ़ा नहीं सकते। जो सीटों का रिजर्व है वह इस प्रतिशत तक आ गया है। इसलिये अब और बढ़ाया जाना संभव नहीं है। इनका अभी एक प्रतिशत बढ़ाया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी वह कानून बतायेंगी जिसके तहत उन्होंने देहात, पहाड़ी क्षेत्र और जनजाति वगैरा की सीट आरक्षित की है ? वह कौन सा कानून है जिसके अन्तर्गत यह विभेद करके आरक्षण किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह संविधान में है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़े लोग हैं उनको संरक्षण सरकार दे सकती है और उसी आधार पर यह संरक्षण दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अभी बताया गया कि दो कैंडीडेट ऐसे थे जो हिल एरिया के नहीं थे और उनको हिल एरिया का लाभ दिया गया। इस चीज को देखते हुए जांच करके उन अधिकारियों के विरुद्ध मंत्री जी कार्यवाही करने का आश्वासन देंगी जिन्होंने उनके हिल एरिया का होने का सर्टिफिकेट दिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जहां तक संविधान के अनुच्छेद की बात है 15, उसमें खाली इतनी दिया है कि जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिक हैं उनको इस तरह का संरक्षण मिल सकता है लेकिन कहीं पर देहात के नाम से, पहाड़ के नाम से इस तरह का संरक्षण कहीं कोई नहीं है। अगर कोई कानून ऐसा बना है तो निश्चित रूप से उसका अनुच्छेद नाम लेकर बताया जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

15. (44) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

तो जो लोग सोशली ऐन्ड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको हमारी सरकार संरक्षण दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका अनुवाद मैं कर देता हूं कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खण्ड 2 में की कोई बात राज्य के नागरिकों के ऐसे वर्गों के लिये जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में रुकावट न डालेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि कुछ सीट शिड्यूल कास्ट के लिये सुरक्षित, कुछ सीट पहाड़ी इलाके के लिये सुरक्षित, कुछ सीट बैकवर्ड जाति के लिए सुरक्षित तो ये सारी सीट सुरक्षित हो गई फिर मैरिट के लिये स्थान कहां रह गया, मेरिट को कहीं सजा तो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या सोचा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अगर उदारता से देखा जाय तो यह कुल सीट 83 हैं जिनको हरिजन लड़कों के लिये या बैकवर्ड के लिये मिलाकर रिजर्व करते हैं । 758 सीट कुल हमारे यहां हैं । उनमें केवल 83 ही इन दोनों के लिये दी गई हैं । बाकी जितने लड़के हैं चाहे वे रूरल एरिया से आते हों और चाहे हिल से आते हों और चाहे वे लड़कियां हों उनकी मेरिट तो देखी ही जाती है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीया मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि परिगणित जाति के छात्रों के लिए रिजर्वेशन के लिये जो प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित है, उसके आधार पर प्रदेश के तमाम मेडिकल कालेजों में लड़के लिये गये हैं या नहीं लिये गये हैं ? यदि नहीं लिये गये तो उसके कौन से कारण हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लड़के लिये ही जा रहे हैं । क्योंकि जो रिजल्ट हुआ है, उसमें सीटें बढ़ायी गयी हैं और उसी के आधार पर लड़के तो लिये ही जायेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, हमारे प्रदेश में पिछड़ी जाति तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के लड़कों के लिये मेडिकल कालेजों में पहले संरक्षण था, डाक्टर संपूर्णानन्द जी के समय में तो था, तो अब आप भी ऐसे क्षेत्र के लड़कों को संरक्षण देने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने पहले ही बतलाया कि जितनी टोटल सीट्स होती है उसके 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन सीट्स नहीं हो सकती । इस वर्ष जो हमने इतना बढ़ाया है उससे वह करीब करीब 50 प्रतिशत पहुंच गया है, इसलिये अब तो इसमें असमर्थता है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या माननीया मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि बुन्देलखण्ड जो पिछड़ा क्षेत्र है, और झांसी में आपने मेडिकल कालेज खोल दिया है तो वहां बुन्देलखण्ड के लिये कुछ सीट्स रिजर्व करने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अब कालेज दे दिया है तो प्रगति होगी, पीछे कहां रहेंगे?

श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीया मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि पिछड़ी जाति के लिये पहले कुछ सीटें सुरक्षित थीं मेडिकल कालेजों में, तो अब क्यों उसको खत्म कर दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस वर्ष जो मेरे सामने आंकड़े आये उसमें पिछड़ी जाति के लिये अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, सरकार की चालाकी के लिये उसे दाद देता हूं कि वह पकड़ में नहीं आयी । इस साल हरिजनों का हिस्सा नहीं दिया, पिछड़ी जाति वालों को उनका हिस्सा नहीं दिया और खाली देहाती क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के नाम पर जो कहीं संविधान में नहीं है, मान्यवर, उसने यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है ? सुरक्षित सीटों के लिये विभिन्न श्रेणियां है, तो आपने महिला सीट के लिये, एक तो वह रियायत नहीं दी जो दूसरी सीटों में दी । मान लें कोई देहाती क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या कहीं का रहने वाला है, अगर जनरल सीट में चुन लिया जाता है तो उसकी जो जगह खाली होगी वह काटी नहीं जायेगी सुरक्षित सीट से लेकिन औरत की यह जगह काट ली जायेगी । तो यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और इसको आप कैसे जस्टिफाई करती हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह डिस्क्रिमिनेशन की कोई चीज नहीं है । जो लड़कियां हैं वे तो जेनरल के अन्दर ही आयेंगी लेकिन चूंकि लड़कों की शिक्षा भी होगी इसलिए यह रिजर्वेशन रखा जाता है । बाकी जो हरिजन हैं, अगर वे जेनरल की मेरिट लिस्ट में ही आ जायेंगे तो उनको जो सीट सुरक्षित है उसमें नहीं आंका जायेगा । जैसे एलेक्शन का ही मैटर ले लें । उसमें अगर कोई हरिजन कैंडिडेट, जेनरल सीट से खड़ा होना चाहे तो वह खड़ा हो सकता है और जीत कर आ सकता है । उसी तरह से हरिजन लड़का मेरिट लिस्ट में आ जाय और उसका 2–4 नम्बर ऊपर आ जाय और 50 लड़कों को लेना है तो वह जेनरल में आ जायेगा, उसके लिये जेनरल का रास्ता खुला हुआ है । इसलिये इसमें डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं आता ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय नेगी जी ने श्री मुकर्जी और साहनी नाम की लड़कियों का उदाहरण देते हुए बतलाया—मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र जो सामाजिक और आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनके लिये स्थान जो सुरक्षित है उन पर भी बाहर के लोग रखे गये हैं, इस बात को देखते हुए क्या माननीया मंत्री जी सारी लिस्ट की छानबीन करायेंगी और जो गैर पहाड़ी लोग ले लिये गये हैं उनके नाम काटने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सरकार के नोटिस में है और इन पर विचार किया जा रहा है ।

(श्री कल्पनाथ सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री अनन्त राम जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस तरह से यह प्रश्न न तो हल हो सकता है इस नियम 51 की बहस से और न इसका हल अल्पसूचित प्रश्नों से ही हो सकता है ।

इस पर आप बहस दिला दें। आपने वकबन्दी की अदालत की तरह इस तरह से प्रश्न समाप्त करके जल्दी से आगे की कार्यवाही ले ली, कितनी ज्यादती हुई है इसका अन्दाजा आपको श्रीमन्, नहीं हो पा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें 40 मिनट लग चुके हैं, आप दूसरा लिख कर दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सरकार के नोटिस में यह शिकायत भी आई है कि हरिजनों, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों और महिलाओं जिनको भी संरक्षण मिला है उन में सर्वाधिक नम्बर पाने वाले छात्रों को पहली पसन्द नहीं मिली बल्कि कम नम्बर पाने वालों को कालेज की पहली पसन्द मिल गई है। यह कहां तक मंत्री जी उचित समझती हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

केवल एक लड़के की तरफ से यह रिक्वेस्ट आई थी कि उसको उसकी पसन्द का कालेज नहीं दिया गया है और क्योंकि वह जनरल सीट में आ गया था और उसके नम्बर अच्छे थे इसलिए उसके साथ यह परेशानी आई थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह केवल एक सीट का ही मामला नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---

अब अगला आइटम लिया जायेगा, श्री कल्पनाथ सिंह।

श्री राम वचन यादव---

जब यहां डा० सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे तो हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिये कुछ सीटें रिजर्व की गई थीं, क्या मंत्री जी को इसका ज्ञान है और वह अब क्यों समाप्त हो गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

(व्यवधान)

गन्ना समिति बभनान, जिला बस्ती की सिंचाई योजना के कई लाख रुपये की ऋण के मामले से सम्बन्धित रिपोर्ट के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि यह जो प्रश्न पैदा हुआ इसमें बभनान केन यूनियन का मामला है जिस पर साढ़े 16 लाख रुपया बकाया होने की बात कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि यह रुपया इस केन यूनियन को कर्ज के तौर पर बिना बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की किसी संस्तुति के ही दिया गया। यह भी कहा जाता है कि इस कर्ज की अदायगी न केवल एक बार में एक साल में हुई बल्कि उस की अदायगी 2 बार में और २ सालों में की गई। और यह भी कहा जाता है कि यह कर्जा किसी एक नेता जी की

[श्री कल्पनाथ सिंह]

वजह से इस केन यूनियन को दिया गया, वह कौन से ऐसे नेता थे, वह कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला जिसमें आकर इस केन यूनियन ने बिना किसी प्रस्ताव के और बिना किसी काम के साढ़े 16 लाख रुपया ले लिया, इस सरकार से। उस रुपये से कहा जाता है कि नलकूप लगवाये गये लेकिन जितने भी नलकूप लगे व सब बेकार पड़े हैं, वहां नये पैसे का कोई काम नहीं हुआ। किसानों को सिंचाई की कोई सुविधा नहीं मिली। और उल्टे वह केन यूनियन को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उसका अथोराइजेशन कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आज यह स्थिति पैदा हो गयी है कि जिससे इतनी बड़ी धनराशि 16 1/2 लाख रुपयों का गोलमाल किया गया। वह कौन से लोग थे, कौन से अधिकारी थे और कौन नेता थे जिनके वजह से यह सारा काम हुआ। श्रीमन्, इस बात की व्यवस्था है कि जो सहकारी समितियों में इसे प्रकार के काम करने वाले लोग जो रुपयों का मिसएप्रोप्रिएशन करें या गलत तरीके से धन का इस्तेमाल करें, उनकी प्रोपर्टीज से वह रुपया वसूल हो जाया करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 16 1/2 लाख रुपये के बारे में यह सरकार अपनी निश्चित नीति की घोषणा करें और वह यह भी बताये कि इसको वसूल करने की क्या कोशिश की जा रही है। ये कौन लोग हैं जिनके प्रभाव में आकर यह काम किया गया है। आज तक इस मामले में जब कि न तो सिंचाई विभाग को वे ट्यूबवैल दिए गये और न सरकार ने इन्हें किसी दूसरे विभाग को दिए कि वे चलाएं। तो इससे किसानों को दुहरा नुकसान उठाना पड़ा है। अतः इन तथ्यों का स्पष्टीकरण में माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वे इस संबंध में उत्तर देते समय अपनी निश्चित नीति की घोषणा करें?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

माननीय सदस्य ने जो कहा कि बिना प्रस्ताव के कर्ज लिया गया, यह गलत है। जून, 1952 में समिति की बैठक हुयी थी उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरे पास इस समय लोक लेखा समिति की 1963, 1964 और 1955 की आडिट रिपोर्ट है जिसके पृष्ठ 5 और 24 पर दिया है कि समिति को बताया गया है कि यह ऋण संघ के प्रार्थना-पत्र पर नहीं दिया गया परन्तु कुछ स्थानीय नेताओं के कहने पर दिया गया था।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, जो हमें सूचना है वह मैं बता रहा हूं।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें नियम यह है कि एक बार जब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर लेंगे तो माननीय मंत्री संक्षिप्त में इसका उत्तर देंगे और फिर आपको समय मिलेगा। इसके बाद फिर माननीय कल्पनाथ सिंह जी और मंत्री जी को उनका उत्तर देने का समय मिलेगा।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, लोक लेखा समिति में साक्ष्य के समय विभाग ने स्वयं यह कहा था कि संघ के प्रार्थना-पत्र पर यह ऋण नहीं दिया गया बल्कि स्थानीय नेताओं के अनुरोध पर दिया गया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी के कब्जे में पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। आपके पास सारे तथ्य होने की आवश्यकता हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

आधे घंटे की बहस में मेरे विचार में कोरम की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन की सारी कार्यवाही कोरम के साथ ही होनी चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यहां संविधान की इज्जत नहीं है, कायदे कानून की इज्जत नहीं है। इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री अनन्तराम जायसवाल सदन को त्याग कर चले गये।)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्यों कि सरकार के पक्ष से कोरम पूरा नहीं है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है। इसलिये इसको स्थगित करके दूसरे दिन के लिये निश्चित करें और सरकार को आदेश दें कि.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह मामला श्री के० डी० मालवीय से संबंधित है अतः यह योजना के अनुसार है इनके.....

श्री उपाध्यक्ष---

विरोधी पक्ष में भी तो बहुत कम सदस्य हैं। यहां आपसे ज्यादा हैं।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मनेजर सिंह---

मान्यवर, विभाग ने स्वयं साक्ष्य में स्वीकार किया है वक्तव्य में। संघ ने कोई आवेदन पत्र लिखकर नहीं दिया..

श्री उपाध्यक्ष---

वह आप बाद में देंगे। आप मंत्री जी को सुन लें। पहले माननीय सदस्य संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद मंत्री जी का वक्तव्य होगा। आप बीच में नहीं आ सकते हैं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, पहले दो समितियां थीं .....

श्री रामबचन यादव---

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना दूंगा। अन्य कार्य के अतिरिक्त 14 सितम्बर को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक वित्त-विवरण पर विचार होगा और 15 सितम्बर को संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अनुसमर्थन प्रस्ताव पर विचार होगा।

अब हम उठते हैं और 14 सितम्बर, 1971 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 38 मिनट पर मंगलवार 14 सितम्बर 1971 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
31 अगस्त, 1971।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 249 पर।)

पैड़ी गढ़वाल जिले में पेयजल योजनाओं की तालिका

	योजनाओं की संख्या
1—योजनायें जिनके निर्माण हेतु जिला परिषद् पौड़ी के माध्यम से संस्तुति प्राप्त हुयी है।	53 (योजनाओं के नाम संलग्नक में दिये हुए हैं)
2—उपर्युक्त 53 योजनाओं में जो योजनायें कार्यान्वित हो चुकी है।	5 (योजनाओं के नाम संलग्नक के क्रमांक 1–5 में है)
3—योजनायें जिन पर कार्य प्रगति पर है।	13 (योजनाओं के नाम संलग्नक के क्रमांक 6 से 18 में है)
4—योजनायें जिनका सर्वेक्षण हो गया है और प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं।	33 (योजनाओं के नाम संलग्नक के क्रमांक 19–51 में है)
5—योजनायें जिन पर सर्वेक्षण हो रहा है।	2 (योजनाओं के नाम संलग्नक के क्रमांक 52–53 में दिये है)

संसद विधान सभा

संलग्नक

	क्रमांक	योजना का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
	1	2	3
योजनायें जो कार्यान्वित हो चुकी है।	1	धौर ..	द्वारीखाल
	2	रतूड़ा ..	रिवर्स
	3	पुण्डेरगांव ..	लैन्सडाउन
	4	देलमेनाखाल ..	पोखरा
	5	विजोली ..	एकेश्वर
योजनायें जिन पर कार्य प्रगति पर है।	6	ईड़ा ..	बीरोखाल
	7	मल्लीखालगड्डी ..	पावौं
	8	बीरोखाल ..	बीरोखाल
	9	खड़खोलाचिलाऊं ..	कोट
	10	हंसूड़ी (थालीसेन)	थालीसेन
	11	कठूर (कोट) ..	कोट
	12	झाझरी जजेड़ी ..	पोखरा
	13	थालीसेन कन्दार ..	थालीसेन
	14	बड़े सत्तूखाल ..	एकेश्वर
	15	रिगूड़ ..	कोट
	16	देवसाल बेलगढ़ दुर्गाकोट	किल्वोखाल
	17	पिपोली ..	नैनीडाडा
	18	विनोली मल्ला एवं तल्ला	रिखनीखाल
योजनायें जिनका सर्वेक्षण हो गया और प्राक्कलन तैयार किए जा चुके हैं।	19	सुराड़ी मधिगांव ..	रिवर्स
	20	केसुन्द्र ..	पौड़ी
	21	गढ़मोनूपलकोट ..	पावों
	22	इसोटी इन्द्रपुरी ..	एकेश्वर
	23	सिल्ड़ी ..	द्वारीखाल
	24	थापला ..	एकेश्वर
	25	खेरा ..	कोट
	26	सुरालगांव ..	रिवर्स
	27	बछेली ..	रिवर्स
	28	चिलाऊ ..	नैनीडान्डा
	29	बैजरों ..	बीरोखाल
	30	मझोला ..	लैन्सडाउन
	31	चांदपुर ..	द्वारीखाल
	32	मुहेरा ..	दुगड्डी
	33	महाखोली ..	पावौं
	34	हसूड़ी (कल्जीखाल)	कल्जीखाल
	35	विश्वाखेल ..	रिखनीखाल
	36	सिड़ियाखाल ..	पोखरा
	37	सतपुली ..	द्वारीखाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	1	2		3
	38	धुरंगू	..	नैनीडाण्डा
	39	चोपड़ा	..	पोखरा
	40	सुन्ना	..	एकेश्वर
	41	सिनाला	..	रिखनीखाल
	42	पचराड (हरिजन)	..	बीरोखाल
	43	गवारी मल्ली	..	थालीसेन
	44	सीक स्कूल	..	पावों
	45	पाली हरिजन	..	पौड़ी
	46	कोलोजल	..	लैन्सडाउन
	47	चौपड़ियापाख	..	पावों
	48	सिद्धआश्रम	..	कल्जीखाल
	49	रनेथ डण्डोली	..	द्वारीखाल
	50	अबाई	..	द्वारीखाल
	51	चौवट्टा खाल	..	पोखरा
योजनायें जिन पर सर्वेक्षण हो रहा है ।	52	हल्दूखाल	..	नैनीडाण्डा
	53	पवासू	..	कल्जीखाल

विकास खण्ड पदेश्वर

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 251 पर)

सड़कों की सूची जिस पर मिट्टी के अलावा कंकड़ अथवा ईंटा डाला गया है तथा इसके निर्माण पर लागत खर्च का ब्योरा।

सड़कों का नाम जिस पर कंकड़ अथवा ईंटा डाला गया		शासकीय स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	प्राविधिक स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	खर्च (रुपये में) (प्रारंभ से 30-6-71 तक)
1--सहतवार हल्दी सड़क	..	4.80	4.14	2,19,687.52
2--सहतवार कोल सड़क	..	0.72	0.72	39,616.59
3--सिकन्दरपुर कथौड़ा सड़क	..	2.60	2.49	2,38,451.28
4--पन्द्रह एप्रोच सड़क ..	..	0.15	0.15	14,038.47
5--कोटवारी नागपुर सड़क	..	1.14	1.08	1,00,910.95
6--नगरा सिकन्दरपुर सड़क	..	8.83	8.205	7,19,892.00
7--डेहरी प्रधान पुर सड़क	..	2.50	2.22	1,86,423.03
8--रसरा नगरा तुर्तीयार सड़क	..	3.53	2.88	2,48,576.00
9--रतनपुर बिलौली सड़क	..	3.30	3.135	1,82,203.00
10--सिकन्दरापुरा बेल्थरा सड़क	..	3.82	3.82	3,11,817.00

नोट--क्रिहिड़ापुर-इब्राहिम पट्टी सड़क पर केवल मिट्टी का कार्य (49169 घनफुट, 4 फर्लांग, रु० 5463.98 पै०) हुआ है, अतएव यह उपर्युक्त सूची में अंकित नहीं है।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 261 पर)

नगरपालिका कर्मचारी संघ, मेरठ

पत्र संख्या दिनांक

प्रेषक,

अध्यक्ष,
नगरपालिका कर्मचारी संघ,
मेरठ।

सेवा में,

श्रीयुत, प्रशासक महोदय,
नगरपालिका, मेरठ।

विषयः—मेरठ नगरपालिका के कर्मचारियों की मांग पूर्ण न होने के फलस्वरूप हड़ताल का नोटिस।

महोदय,

मेरठ नगरपालिका प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पालिका है। किन्तु खेद का विषय है कि इस नगरपालिका के कर्मचारियों को अपने मण्डल की ही नहीं आपितु जिले की अन्य छोटी पालिकाओं के कर्मचारियों से कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है।

मेरठ नगरपालिका कर्मचारी संघ समय समय पर अपने प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम स सचिव, स्वायत्त शासन, मंत्री स्वायत्त शासन व अन्य अधिकारीगण से अपनी इस मांग के संबंध में कि इस पालिका के कर्मचारियों को भी वही महंगाई भत्ता दिया जाये जो देहरादून नगरपालिका के कर्मचारियों को प्राप्त है मिला तथा सभी से केवल मात्र आश्वासन ही मिलता रहा।

इसी मण्डल की मुजफ्फरनगर नगरपालिका के कर्मचारियों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पूर्व ही अंकन 25 रु० प्रतिमाह अतिरिक्त महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी स्वीकार करके कर्मचारियों को उसका भुगतान आरम्भ कर दिया है। आश्चर्य का विषय है कि आप हम शान्तिप्रिय कर्मचारियों की इस मांग के प्रति उदासीन हैं जो हमने काफी लम्बे समय से आपको प्रेषित की हुई है कि हमें देहरादून के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाये।

राज्य सरकार व आपकी उदासीनता के कारण कर्मचारियों में अत्यन्त क्षोभ है क्योंकि आप भी राज्य सरकार की आशा पर वृद्धि का भुगतान स्वीकार कर सकते थे, जैसा कि अन्य पालिकाओं में होता है। राज्य सरकार के आश्वासनों में भी निराश होकर कर्मचारियों का इस आवश्यक विलम्ब होने के कारण धैर्य टूट गया है। अतः मेरठ नगरपालिका कर्मचारी संघ की साधारण सभा दिनांक 29-6-61 में सर्व सम्मति से यह निश्चय किया गया कि यदि 15-7-71 तक कर्मचारियों की यह मांग पर्ण न हुई तो दिनांक 16-7-71 से कर्मचारीगण हड़ताल पर निम्न कार्यक्रमानुसार चले जायेंगे। मेरठ नगरपालिका कर्मचारी संघ की साधारण सभा के निश्चय से आपको अवगत कराते हुये निवेदन है कि मेरठ नगर के कर्मचारियों को देहरादून नगर पालिका के समान अंक महंगाई भत्ते का भुगतान करान की कृपा करें जिससे कि मेरठ की जनता को नागरिक जीवन की सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर व राज्य सरकार पर होगा।

विधान सभा

कार्यक्रम हड़ताल

1—दिनांक 12-7-71 से समस्त कर्मचारी अपने हाथों पर काली पट्टी व मांग का बैज लगाकर दिनांक 15-7-71 तक कार्य करेंगे।

2—दिनांक 16-7-71 प्रातः से समस्त कर्मचारीगण हड़ताल पर चले जायेंगे केवल जल-वितरण, कलेक्शन स्टाफ, चुंगी की चौकियों पर नियुक्त स्टाफ कार्य पर पालिका की आय के साधनों को समाप्त न करने तथा जनता को परेशानी से बचाने के लिये चालू रहेंगे।

3—यदि दिनांक 19-7-71 तक भी हम कर्मचारियों की मांग न पूर्ण की गई तो दिनांक 20-7-71 से जल वितरण, कलेक्शन स्टाफ, चुंगी स्टाफ सहित सभी कर्मचारी अनिश्चित कालकी हड़ताल पर चले जायेंगे।

भवदीय,
(ह०) अस्पष्ट,
अध्यक्ष।

प्रतिलिपिः—

(1) श्री धर्मदत्त वैद्य, स्वायत्त शासन मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) श्री उमादत्त शर्मा, राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ इत्यादि।

(ह०) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका कर्मचारी संघ,
मेरठ।

दिनांक 1-7-1971

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 264 पर)

वर्ष 1968–69 व 1969–70 में विधायकों के लिये दवाइयों हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसका प्रयोग

वर्ष	अस्पताल का नाम	स्वीकृत धनराशि	प्रयोग की गई धनराशि
		रु०	रु०
1968–69	(1) बलरामपुर अस्पताल	12,000.00	36,953.16
	(2) दारुलशफा डिस्पेंसरी	2,500.00	1,802.42
	(3) सिविल अस्पताल ..	—	40,000.00
1969–70	(1) बलरामपुर अस्पताल	22,000.00	2,21,996.46
	(2) दारुलशफा डिस्पेंसरी	25,000.00	24,939.80
	(3) सिविल अस्पताल ..	10,000–00	65,000.00

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
स्वास्थ्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 197 एल० ए०—1972—840 (हिन्दी)।